वार्षिक रिपोर्ट

2010–2011

वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान

वार्षिक रिपोर्ट
2010–2011

वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान
सेक्टर 24, नोएडा–201301

वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, सेक्टर 24, नोएडा–201301 द्वारा प्रकाशित

प्रकाशन वर्षः 2012

प्रतियांः 150

मुद्रकः गैलेक्सि ऑफसेट प्रेस,
बी–83, नारायणा इण्डस्ट्रियल एरिया,
फेस–2, नई दिल्ली–110028

विषय–सूची

संस्थान का मैंडेट	1
संस्थान का ढाँचा	2
अनुसंधान	5
शिक्षा और प्रशिक्षण	46
प्रकाशन	59
एन.आर.डे. श्रम सूचना केन्द्र	61
राजभाषा नीति का कार्यान्वयन	63
कर्मचारियों की संख्या	65
फैकल्टी	66
वार्षिक लेखा और लेखा–परीक्षा रिपोर्ट 2010–2011	67

संस्थान का विज़न और मिशन

विज़न

संस्थान को श्रम अनुसंधान और प्रशिक्षण में वैश्विक रूप से प्रतिष्ठा प्राप्त ऐसे संस्थान के रूप में विकसित करना जो उत्कृष्टता का केन्द्र हो तथा कार्य संबंधों और कार्य की गुणवत्ता को बढ़ावा देने के प्रति कृत संकल्प हो।

मिशन

संस्थान का मिशन निम्नलिखित के माध्यम से श्रम तथा श्रम संबंधों को विकास की कार्यसूची में विशेष केन्द्र के रूप में स्थापित करना है:–

- *कार्य की दुनिया में रूपांतरण के मुद्दे पर कार्रवाई करना*
- *श्रम तथा रोजगार से संबंधित मुख्य सामाजिक भागीदारों तथा पणधारियों के बीच कौशल तथा अभिवृत्ति और ज्ञान का प्रचार–प्रसार करना*
- *वैश्विक स्तर के अनुसंधानिक अध्ययनों और प्रशिक्षण हस्तक्षेपों को हाथ में लेना*
- *विश्व प्रसिद्ध ऐसे संस्थानों के साथ समझ निर्माण तथा साझेदारी बनाना जो श्रम से संबंधित हैं।*

संस्थान का मैंडेट

जुलाई, 1972 में स्थापित, भारत सरकार, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय का एक स्वायत्त निकाय वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, श्रम अनुसंधान और शिक्षा के एक शीर्ष संस्थान के रूप में विकसित हुआ है। अपने आरम्भ से ही संस्थान ने अनुसंधान, प्रशिक्षण, शिक्षा और प्रकाशन के माध्यम से संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों में श्रम के विभिन्न पहलुओं से जुड़े विविध समूहों तक पहुँच बनाने का प्रयास किया है। ऐसे प्रयासों के केन्द्र में शैक्षिक अंतर्दृष्टि और समझ को नीति निर्माण और कार्रवाई में शामिल करना रहा है ताकि समतावादी और लोकतांत्रिक समाज में श्रम को न्यायोचित स्थान मिल सके।

उद्देश्य और मैंडेट

संगम ज्ञापन में स्पष्ट रूप से उन विविध कार्यकलापों का उल्लेख किया गया है, जो संस्थान के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक हैं। संस्थान के मैंडेट में निम्नलिखित कार्यकलाप शामिल हैं:

(i) स्वयं या राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, दोनों तरह के अभिकरणों के सहयोग से अनुसंधान करना, उसमें सहायता करना, उसे बढ़ावा देना और उसका समन्वयन करना;

(ii) शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यकलापों, संगोष्ठियों और कार्यशालाओं का आयोजन करना और उनके आयोजन में सहायता करना;

(iii) निम्नलिखित के लिए स्कंध स्थापित करना:

- क. शिक्षा, प्रशिक्षण और ओरिएन्टेशन;
- ख. अनुसंधान, जिसमें क्रियानिष्ठ अनुसंधान भी शामिल है;
- ग. परामर्श; और
- घ. प्रकाशन और अन्य ऐसे कार्यकलाप, जो सोसाइटी के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक हों।

(iv) श्रम और तत्संबद्ध कार्यक्रमों की योजना बनाना, उनके कार्यान्वयन में आने वाली विशिष्ट समस्याओं का विश्लेषण करना और उपचारात्मक उपाय सुझाना;

(v) लेख, पत्र–पत्रिकाएं और पुस्तकें तैयार करना, उनका मुद्रण और प्रकाशन करना;

(vi) पुस्तकालय और सूचना सेवाओं की स्थापना और रख–रखाव करना;

(vii) समान उद्देश्य वाली भारतीय और विदेशी संस्थाओं और अभिकरणों के साथ सहयोग करना; और

(viii) फैलोशिप, पुरस्कार और वृत्तिकाएं प्रदान करना।

संस्थान का ढाँचा

संस्थान महापरिषद द्वारा शासित है, जो एक त्रिपक्षीय निकाय है, जिसके सदस्यों में केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों, नियोक्ता संगठनों, कर्मकार संगठनों के प्रतिनिधि, संसद सदस्य, विधायक और श्रम के क्षेत्र में ख्यातिप्राप्त व्यक्ति शामिल हैं। केन्द्रीय श्रम मंत्री इस महापरिषद के अध्यक्ष हैं।यह संस्थान के कार्य कलापों के लिए विस्तृत नीति संबंधी मानक निर्धारित करती है। कार्यपरिषद, जिसका गठन महापरिषद् के सदस्यों के बीच से किया जाता है, और जिसके अध्यक्ष श्रम मंत्रालय के सचिव हैं, संस्थान के कार्यकलापों का नियंत्रण, मॉनीटरिंग और मार्गदर्शन करती है संस्थान के निदेशक मुख्य कार्यकारी अधिकारी है और कार्यकलापों के प्रबंधन और प्रशासन के लिए जिम्मेदार है। संस्थान के रोजमर्रा के कामकाज में विविध विषयों में पारंगत फैकल्टी सदस्य और प्रशासनिक स्टाफ निदेशक की सहायता करते हैं।

महापरिषद् का गठन

1. श्री मल्लिकार्जुन खरगे — अध्यक्ष
   श्रम एवं रोजगार मंत्री
   श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, श्रम शक्ति भवन,
   नई दिल्ली–110 001

2. श्री हरीश रावत — उपाध्यक्ष
   श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री
   श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, श्रम शक्ति भवन,
   नई दिल्ली–110 001

केन्द्रीय सरकार के छः प्रतिनिधि

3. श्री पी.सी. चतुर्वेदी — उपाध्यक्ष
   सचिव (श्रम एव रोजगार),
   श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, श्रम शक्ति भवन,
   नई दिल्ली – 110 001

4. श्री रवि माथुर — सदस्य
   अपर सचिव,
   श्रम शक्ति भवन, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय,
   नई दिल्ली – 110 001

5. श्री चमन कुमार — सदस्य
   संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार,
   श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, श्रम शक्ति भवन,
   नई दिल्ली – 110 001

6. श्री अनूप चंद पाण्डे — सदस्य
अपर सचिव,
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय,
श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली – 110001

7. श्रीमती विभा पुरी दास — सदस्य
सचिव,
माध्यमिक एवं उच्चतर शिक्षा विभाग,
मानव संसाधन विकास मंत्रालय,
शास्त्री भवन, नई दिल्ली–110001

8. सुश्री नैनी जयासीलन — सदस्य
सलाहकार (श्रम एवं रोजगार),
योजना आयोग,
योजना भवन, नई दिल्ली–110 001

कर्मकारों के दो प्रतिनिधि

9. श्री एस.एस. राव — सदस्य
मुख्यसचिव, एन एफ आई आर
3 चेंम्सफोर्ड रोड़ नई दिल्ली–110055

10. श्री पी.टी. राव — सदस्य
सदस्य राष्ट्रीय कार्यकारिणी
भारतीय मजदूर संघ,
एडाकाटिल हाउस,
सारथा मंदिर मार्ग,
अलुवा–683101 (केरल)

नियोक्ताओं के दो प्रतिनिधि

11. श्री के.सी. मेहरा — सदस्य
आवासी निदेशक (निगमित),
शापूर्जी पलौंजी एण्ड कं. लि.,
सी–81, साउथ एक्सटेंशन, पार्ट–।।,
नई दिल्ली–110 049

12. श्री विजय पुरी, — सदस्य
क्षेत्रीय उपाध्यक्ष,
लघु विनिर्माता फोरम, गुड़गांव
6–बी, फ्रैण्डस कॉलोनी,
झारसा रोड, गुड़गांव,
हरियाणा

चार प्रतिष्ठित व्यक्ति, जिन्होंने श्रम के क्षेत्र में या सम्बद्ध क्षेत्रों में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया:

13. श्री एम. ए. अजीम — सदस्य
अजीम प्लेस,
गुलबर्गा एज्यूकेशन ट्रस्ट,
नेहरू गंज एरिया,
गुलबर्गा–585104 (कर्नाटक)

14. श्री एम. वी. शशिकुमारन नायर — सदस्य
राजश्री मनक्कारा, सास्तामकोटा पी.ओ.,
जिला कोलाम (केरल)

15. डॉ. मुरारी लाल — सदस्य
359, पॉकेट–5,
फेज– I, मयूर विहार, नई दिल्ली

16. श्री जितेन्द्र सिंह — सदस्य
सुपुत्र स्वर्गीय श्री भोलेन्द्र सिंह,
ए–64, आवास विकास कॉलोनी,
सूरजकुंड, गोरखपुर (उ.प्र.)

दो संसद सदस्य (लोक सभा और राज्य सभा में से एक–एक)

17. डॉ. विनय कुमार पाण्डे — सदस्य
संसद सदस्य (लोक सभा),
143, साउथ एवेन्यू, नई दिल्ली

18. श्री राम चंद्र खुंटिया — सदस्य
संसद सदस्य (राज्य सभा),
26, डॉ. राजेंद्र प्रसाद रोड,
नई दिल्ली– 100001

अनुसंधान संस्थान

19. श्री वारेश सिंहा, भा.प्र.से. — सदस्य
महानिदेशक,
महात्मा गांधी श्रम संस्थान,
ड्राइव–इन रोड, मेम नगर, अहमदाबाद–380 062 (गुजरात)

वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नोएडा के प्रतिनिधि

20. श्री वी.पी. यजुर्वेदी, — सदस्य–सचिव
निदेशक,
वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान
सेक्टर 24, नोएडा–201301

अनुसंधान

संस्थान के कार्यकलापों में अनुसंधान का केन्द्रीय स्थान है। संस्थान अपने आरम्भ से ही अनुसंधान कार्यों में सक्रिय रूप से लगा रहा है, जिसमें श्रम से जुड़े मुद्दों के विविध आयामों पर क्रियानिष्ठ अनुसंधान करना भी शामिल है परन्तु इन कार्यकलापों के केन्द्र में सदैव ही ऐसे मुद्दे रहे हैं, जो सीमान्त, वंचित और श्रम बल के संवेदनशील वर्गों से संबंधित हैं।

संस्थान के अनुसंधान कार्यकलापों के मुख्य उद्देश्यों को तीन व्यापक स्तरों पर रखा जा सकता है:

- अनुसंधान के मुद्दों की सैद्धान्तिक समझ को उन्नत बनाना।
- समुचित नीतिगत प्रतिक्रियाओं के निर्माण के लिए आवश्यक सैद्धान्तिक और आनुभविक आधार बनाना।
- क्षेत्र स्तरीय कार्रवाई/हस्तक्षेपों की खोज करना, जिसका मुख्य उद्देश्य श्रम बल के असंगठित वर्गों के सामने आने वाली समस्याओं को हल करना है।

इन उद्देश्यों में स्पष्ट रूप से यह कहा गया है कि अनुसंधान कार्यकलाप आवश्यक रूप में सक्रिय प्रकृति के हैं और इन्हें सदैव उभरती चुनौतियों के अनुरूप बनाया जाता है। यह स्वीकार करना महत्त्वपूर्ण है कि ये उभरती चुनौतियां वैश्वीकरण के समसामयिक युग में तीव्र गति में अधिक जटिल होती जा रही हैं। पहले कभी भी श्रम की दुनिया में हुए परिवर्तन इतने प्रभावित करने वाले नहीं रहे। इन परिवर्तनों का अध्ययन करने तथा इनके प्रभाव, परिणामों और श्रम की दुनिया पर इनकी प्रासंगिकता का विश्लेषण करने के लिए समुचित अनुसंधान रणनीतियों और कार्यसूची को तैयार किया जाना जरूरी है।

निस्संदेह, यह एक बहुत कठिन कार्य है और इस कार्य को एक वैज्ञानिक ढंग से किया जाना है ताकि अनुसंधान में संगत मुद्दों को शामिल किया जा सके। संस्थान के प्रत्येक अनुसंधान केन्द्र को अनुसंधान के प्रमुख मुद्दों को स्पष्ट ढंग से इंगित करना चाहिए और अन्वेषण किए जाने वाले महत्त्वपूर्ण घटकों के ब्यौरे भी तैयार करने चाहिएं। इससे केवल यह सुनिश्चित नहीं होगा कि संस्थान के अनुसंधान कार्यकलापों में वैश्वीकृत व्यवस्था में श्रम के समक्ष उभर रहे प्रमुख मुद्दों को शामिल किया गया है अपितु संबंधित क्षेत्रों में विशिष्टता भी हासिल हो सकेगी, जो किसी भी अनुसंधान केन्द्र के शैक्षिक स्तर को बढ़ाने का महत्त्वपूर्ण उत्प्रेरक तत्त्व है।

इसी परिप्रेक्ष्य में संस्थान के विभिन्न अनुसंधान केन्द्रों द्वारा शामिल किए जाने वाले अनुसंधान मुद्दों की रूपरेखा तैयार की गई है।

श्रम बाजार अध्ययन केन्द्र

श्रम बाजार अध्ययन केन्द्र के अनुसंधान कार्यकलापों में अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण के संदर्भ में समसामयिक श्रम की दुनिया के सामने उभरती चुनौतियों को केन्द्र बनाया गया है। अनुसंधान अध्ययन का उद्देश्य इस संबंध में सैद्धांतिक समझ बढ़ाना और नीति निर्धारण के लिए आवश्यक जानकारी प्रदान करना है।

अनुसंधान के लिए पहचान लिए गए कोर क्षेत्रों में निम्नलिखित शमिल हैं:

- रोजगार और बेरोजगारी
- श्रमिक आप्रवास
- उत्तम कार्य
- अनौपचारिक अर्थव्यवस्था पर श्रम सूचना प्रणाली

अनुसंधान करने के अलावा केन्द्र, अनुसंधानकर्ताओं के कौशल को श्रम पर अध्ययन करने के लिए पैना बनाने के कार्य में भी सक्रिय रूप से लगा हुआ है। यह कार्य श्रम अनुसंधान में उभरते परिप्रेक्ष्य के लिए उपयोगी, नई और उचित अनुसंधान पद्धतियों का पाठ्यक्रम आयोजित करके किया जा रहा है।

पूरी कर ली गई परियोजनाएं

(I) रोजगार पर लोगों को वार्षिक रिपोर्ट, 2010

4 जून, 2009 को संसंद के दोनो सदनों के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए महामहिम राष्ट्रपति ने यह घोषणा की थी कि सरकार स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण, अवसंरचना और रोजगार पर लोगों के लिए पांच रिर्पोट निकालेगी। एक राष्ट्रीय बहस छेड़ने के लिए रोजगार पर वार्षिक रिपोर्ट तैयार करने की जिम्मेदारी श्रम एवं रोजगार मंत्रालय को सौपी गई। यह रिपोर्ट लोगों के समक्ष रखी जानी थी। वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान ने इस रिपोर्ट को तैयार करने में तकनीकि विशेषज्ञता और समर्थन प्रदान किया।

रोजगार पर लोगों को पेश की जा रही इस रिपोर्ट में समसामयिक रोजगार परिदृश्य को समझने के लिए एक ढांचा पेश किया गया है। इसमें काम के इच्छुक व्यक्तियों के लिए गुणवत्तापूर्ण रोजगार के सृजन के महत्वपूर्ण मुद्दों को केन्द्र में रखा गया है। खासतौर से जो लोग श्रम बाजार से वंचित है और जिन्हें हाशिये पर रखा गया है, उन्हें उत्कृष्ट रोजगार प्रदान करने का मुद्दा इस रिपोर्ट का केन्द्रीय विषय है। रिपोर्ट में यह तथ्य रेखांकित किया गया है कि समतापूर्ण एवं अनुपाती न्याय के साथ–साथ रोजगार वृद्धि 'समावेशी विकास' के राष्ट्रीय एजेण्डे को प्राप्त करने का एक सशक्त माध्यम बन सकती है। रिपोर्ट में रोजगार को एक ऐसे महत्वपूर्ण माध्यम के रूप में देखा गया है जिसके द्वारा नागरिकता को लोगों के लिए वास्तविक बनाया जाता है, यह वह मार्ग है जिससे समाज में लोगों की पकड़ बनती है, वृद्धावस्था और खराब स्वास्थ्य की असुरक्षा दूर होती है और बच्चों के लिए बेहतर भविष्य सुनिश्चित होता है।

रिपोर्ट का एक केन्द्रीय विचार यह है कि उच्च आर्थिक विकास तथा गुणवत्तापूर्ण रोजगार की वृद्धि एक दूसरे को बल देते है। नैमित्तिक श्रमिकों तथा कुछेक स्वनियोजितों की कमाई के निचले स्तर और घटिया कार्यदशाओं को महसूस

करते हुए रिपोर्ट में यह तर्क दिया गया है कि देश के कुल रोजगार में औपचारिक क्षेत्र में खासतौर पर विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों में रोजगार का हिस्सा बढ़ाया जाए।

रिपोर्ट में इस एजेण्डे को दृढ़तापूर्वक रखा गया है कि 'जनसांख्यिकीय लाभांश' का पूरा–पूरा उपयोग किया जाए। इसके लिए सामान्य तौर पर युवाओं के लिए और खासतौर पर युवा महिलाओं के लिए लाभदायक रोजगारों का सृजन करने को केन्द्र बनाया जाए। रिपोर्ट में इस बात पर गौर किया गया है कि वर्तमान में कुशल श्रमिकों का अनुपात बहुत कम है। इसलिए श्रमिकों की नियोज्यता को बढ़ाने के लिए एक उचित और करणीय ढांचे का होना जरुरी है। इस लक्ष्य को तभी प्राप्त किया जा सकता है जब श्रमिकों को विभिन्न स्तरों पर प्रशिक्षण प्रदान किया जाए और स्थानीय कौशलों को मान्यता दिए जाने पर बल दिया जाए तथा अनौपचारिक रूप से प्राप्त किए गए कौशलों को प्रमाणित किया जाए और साथ ही कौशल विकास संस्थाओं का विस्तार किया जाए। रिपोर्ट में यह भी तर्क दिया गया है कि श्रम कानूनों को युक्ति संगत बनाया जाए तथा समतामूलक रोजगार वृद्धि के लिए श्रम सुधारों के दायरे का विस्तार किया जाए। इसके अंतर्गत अल्पकालिक एवं मध्यकालिक रणनीतियों का निर्धारण किया गया है ताकि सभी कामकाजी वर्गो के लिए, खासतौर पर सुविधाविहीन समूहों के लिए लाभदायक रोजगार के अवसर सुनिश्चित हो सकें।

इस रिपोर्ट को मुद्रित करवा कर इसका प्रचार प्रसार सभी संबंधित पणधारियों के बीच कर दिया गया है। यह रिर्पोट श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। इस रिपोर्ट को तैयार करने में वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान ने अनुसंधानिक सहायता उपलब्ध करवाई है।

(परियोजना निदेशकः डॉ. एस के शशिकुमार, वरिष्ठ फैलो)

(II) राष्ट्रीय फ्लोर स्तरीय न्यूनतम मजदूरी को सांविधिक बनाने के प्रभाव और जरुरतों का निर्धारण करना

भारत सरकार ने न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 में कतिपय विशेष रूप से राष्ट्रीय फ्लोर स्तरीय न्यूनतम मजदूरी को संविधिक बनाने से संबंधित संशोधनों का प्रस्ताव किया है। इसके प्रसंग में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान को यह जिम्मेदारी सौंपी है कि संस्थान राष्ट्रीय फ्लोर स्तरीय न्यूनतम मजदूरी को सांविधिक बनाए जाने के संभावित परिणामों का पता लगाने के लिए एक अनुसंधानिक अध्ययन करे। इस अध्ययन को निम्नलिखित विशिष्ट उद्देश्यों के तहत हाथ में लिया गया है।

- राष्ट्रीय फ्लोर स्तरीय न्यूनतम मजदूरी को सांविधिक बनाए जाने की जरुरतों और तर्काधार का पता लगाना
- इसकी वित्तीय विवक्षाओं का आकलन करना
- कर्मकारों की गरीबी और साधारण जनसंख्या पर पड़ने वाले इसके प्रभावों का आकलन करना, तथा
- लोगों की व्यय पद्यतियों और कीमतों में आए परिवर्तनों पर पड़ने वाले अन्य प्रभावों का पता लगाना
- रिपोर्ट अन्तिम रूप में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय को सौप दी गई है।

(परियोजना निदेशकः डॉ. एस के शशिकुमार, वरिष्ठ फैलो)

(III) कर्नाटक के गुलबर्गा क्षेत्र में कौशल के अभावों का विश्लेषण

गुलबर्गा में कौशल के अभावों का विश्लेषण करने का अध्ययन कर्नाटक के 6 जिलों नामतः गुलबर्गा, यादगीर कोपाल, रायचूर, बीजापुर तथा उत्तरी कर्नाटक क्षेत्र स्थित बिडार में किया गया है। इस क्षेत्र की कुल जनसंख्या 9.4 मिलियन है जो राज्य की कुल जनसंख्या का 17 प्रतिशत हिस्सा है। कुल जनसंख्या में से कर्मकारों (15 वर्ष से अधिक आयु के

व्यक्तियों) का हिस्सा 69.5 प्रतिशत है। इस अध्ययन के विस्तृत उद्देश्य में भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा स्थापित किए जाने वाले कौशल विकास केन्द्र के सन्दर्भ में गुलबर्गा क्षेत्र में कौशल के अभाव का पता लगाना था। अध्ययन के विस्तृत उद्देश्य निम्न प्रकार है–

- गुलबर्गा क्षेत्र की जनसंख्या की कौशल प्रोफाइल तथा शैक्षिक स्तर का विश्लेषण करना
- इस क्षेत्र में विभिन्न व्यावसायिक शिक्षा तथा प्रशिक्षण प्रदान करने वाली संस्थाओं जैसे सरकार, निजी तथा गैर सरकारी संगठनों की व्यावसायिक शिक्षा, कौशल तथा प्रशिक्षण प्रदान करने की क्षमताओं का पता लगाना
- राज्य और क्षेत्रीय स्तर पर कौशल की मांग का पता लगाना
- उभरते आर्थिक सेक्टरों के लिए क्षेत्रीय स्तर पर कौशल के अभाव के परिदृश्य का पता लगाना
- ऐसे नए संस्थानों के लिए उपयुक्त नीतियां तथा ब्लू प्रिंट का सुझाव देना जिनकी स्थापना करने की जरुरत क्षेत्र में कौशल की कमी और कौशल आधार को बढ़ाने के लिए पड़ सकती है।

यह रिपोर्ट उत्तरी कर्नाटक क्षेत्र में कौशल की कमियों को उजागर करती है जो राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन के द्वितीयक आंकड़ों के विश्लेषण करने और क्षेत्र के शैक्षिक संस्थानों, उद्योगों, सरकारी निकायों तथा निजि संगठनों, जो क्षेत्र में आपूर्ति और मांग समीकरणों को प्रभावित करते है के साथ बातचीत करके और प्रारम्भिक अनुसंधान के माध्यम से प्राप्त हुई है। यह रिपोर्ट कौशल के अभावों के आधार पर 11 सिफरिशें करती है और 8 महत्वपूर्ण सेक्टरों में अल्पकालिक और दीर्धकालिक पाठ्क्रमों/ट्रेडों में प्रशिक्षण दिए जाने का सुझाव देती है ताकि कौशल विकास केन्द्र की स्थापना से पूर्व इन पर ध्यान दिया जा सके।

(परियोजना निदेशक: श्री अनूप सतपथी, फैलो)

चल रही परियोजनाएं

(I) भारत में साफ सफाई कर्मकारों की कार्यदशाओं का अध्ययन

इस अध्ययन का मुख्य उद्देश्य भारत में साफ सफाई कर्मकारों की कार्यदशाओं और उनकी सामाजिक आर्थिक दशाओं का अध्ययन करना है। इस अध्ययन के विशिष्ट उद्देश्य इस प्रकार है:–

- साफ सफाई कर्मकारों की संख्या के उपलब्ध आकलनों को प्रलेखबद्ध करना और भारत में राज्यवार और क्षेत्रवार विभाजन के आधार पर कुल साफ सफाई कर्मकारों का पता लगाना
- साफ सफाई कर्मकारों की श्रेणियों की पहचान करना जो उनकी असुरक्षा और उन्हें प्राप्त सरंक्षण के प्रकारों पर आधारित हो
- साफ सफाई कर्मकारों के रोजगार और कार्यदशाओं, विशेष रूप से उनके कार्य घंटों की परीक्षा, कार्य का ठेका, मजदूरी भुगतान, सामाजिक सुरक्षा के उपाय, स्वास्थ्य जोखिम, तथा उनको लगने वाली चोटों का गहन विश्लेषण करना। यह विश्लेषण साफ सफाई कर्मकारों की विभिन्न श्रेणियों के संबंध में उनको राज्य सरकारों द्वारा उपलब्ध अधिकारों के आलोक में किया जाएगा
- साफ सफाई कर्मकारों और उनके आश्रितों की सामजिक आर्थिक दशाओं का विस्तृत अध्ययन और प्रलेखन
- साफ सफाई कर्मकारों को उपलब्ध करवाए गए प्रशिक्षण एवं कर्मकारों द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे उपकरणों की गुणवता और उसका विस्तार का पता लगाना और उसकी जांच करना
- ऐसी सामाजिक सुरक्षा और अन्य कल्याण उपायों की प्रभावशीलता का पता लगाना जो साफ सफाई कर्मकारों

के जीवन स्तर और उनकी कार्यदशाओं में सुधार के लिए लागू की गई है
- ऐसे संस्थानिक ढांचे का मूल्यांकन करना जो सामान्य रूप से कर्मकारों और विशेष रूप से साफ सफाई कर्मकारों को उपलब्ध करवाया गया है
- इस व्यवसाय में लगे कर्मकारों की सामाजिक आर्थिक स्थितियों और कार्य दशाओं में सुधार के उपयुक्त उपायों का सुझाव देना।

यह अध्ययन मुख्य रूप से बड़े पैमाने पर किए राष्ट्रीय प्रारम्भिक सर्वेक्षण पर आधारित है जिसमें 5000 साफ सफाई कर्मकार परिवारों को व्यवस्थित नमूना प्रक्रिया के माध्यम से चयन करके शमिल किया गया है।
सर्वेक्षण कार्य पूरा हो गया है आंकड़ों का विश्लेषण और रिर्पोट लिखने का कार्य जारी है। अध्ययन के अप्रैल, 2011 में पूरा हो जाने की आशा है।

यह अध्ययन सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित है।

(परियोजना निदेशक: डॉ. एस के शशिकुमार वरिष्ठ फैलो)

(II) सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की सहभागिता से 1396 सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के उन्नयन की स्कीम का मध्यकालिक मूल्यांकन

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की सहभागिता से 1396 सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के उन्नयन की स्कीम का कार्यान्वयन किया है। इस स्कीम में विशेष रूप से इनपुट, प्रक्रिया, आउटपुट तथा परिणाम की दृष्टि से उन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का मध्यकालिक मूल्यांकन किया जा रहा है जिन्हें 2007–08 तथा 2008–09 के दौरान कवर किया गया था। कुल 600 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में से इस अवधि के दौरान कवर किए गए 120 संस्थानों को नमूने में शमिल किया गया है, यह मूल्यांकन उस विस्तृत सूचना के आधार पर किया जाएगा जिसे चयनित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानो से एकत्र किया जाएगा और संरचित प्रशानावली और सरकारी अधिकारियों, विद्यार्थियों, नियोजकों जैसे विभिन्न पणधारियों के साथ विचार विमर्श करके और सूचनाएं एकत्र करके किया जाएगा।

इस अध्ययन का मुख्य उद्देश्य व्यावसायिक प्रशिक्षण पद्यति से निकले स्नातकों के रोजगार परिणामों को अधिक मांग की आपूर्ति में समर्थ बनाने के लिए डिजाइन और प्रशिक्षण में सुधार करके किया जाएगा।
यह अध्ययन श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रायोजित है।

(परियोजना निदेशक: डॉ. एस के शशिकुमार वरिष्ठ फैलो)

(III) दक्षिण एशिया से गल्फ देशों को उत्प्रवास करने वाली महिला कर्मकारों का अनुसंधानिक अध्ययन

यह अध्ययन दक्षिण एशिया (बंगलादेश, भारत, नेपाल पाकिस्तान तथा श्रीलंका) से महिला कर्मकारों के गल्फ देशों (बहरीन, कुवैत, ओमान, कतार, सउदी अरेबिया तथा संयुक्त अरब अमीरात) में उत्प्रवास पर ध्यान केन्द्रित करता है।

इस अध्ययन के विशिष्ट उद्देश्य इस प्रकार है–

- लिंगीय उत्प्रवास की विशेषताएं, पैटर्न और प्रवृत्तियां
- गल्फ देशों में महिलाओं के उत्प्रवास की प्रक्रिया में मध्यस्थों/सुविधादाताओं की भूमिका और कार्य
- गन्तव्य स्थानों पर श्रम तथा मानव अधिकारों का उल्लंघन, जिनका सामना उत्प्रवासी महिलाओं को करना पड़ता है

- महिला उत्प्रवास, आगे भेजने तथा सशक्तिकरण के बीच संबंध
- उत्प्रवास और विकास के बीच संबंध – पीछे रह गए परिवार, सामाजिक आर्थिक, सांस्कृतिक प्रभाव
- उत्प्रवास और अधिकार (संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन और मानव अधिकार)
- सरकारी संस्थानों, सिविल सोसाइटी, गैर सरकारी संगठनो, सी.बी.ओ, नेटवर्क से प्राप्त प्रतिक्रियाएं
- उत्प्रवास की भविष्य की प्रवृतियों की स्थिति (5–10 वर्ष) और महिला उत्प्रवासी कर्मकारों के कौशल निर्माण के लिए कौशल रणनीतियों का सुझाव
- इस क्षेत्र में विभिन्न कार्यक्रमों के उत्तम व्यवहार/सीखों का आलोचनात्मक विश्लेषण

यह अध्ययन संयुक्त राष्ट्र महिलाओं द्वारा प्रायोजित है।

(परियोजना निदेशकः डॉ. एस के शशि कुमार, वरिष्ठ फैलो एवं सुश्री राखी थिमोथी, एसोशिएट फेलो)

(iv) वर्ष 2022 तक 500 मिलियन लोगों को कौशल प्रदान करने के लिए प्रशिक्षकों की जरुरत का पता लगाना

किसी भी देश के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए कौशल और ज्ञान प्रेरक बल का कार्य करते हैं। भारत ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहा है इस तरफ बढ़ रहे किसी भी देश के लिए यह उत्तरोत्तर महत्वपूर्ण बनता जा रहा है कि वह उस कौशल के उन्नयन की ओर अपना ध्यान केन्द्रित करे जो उसके यहा उभर रहे आर्थिक वातावरण के अनुकूल हो। भारत की वर्तमान कौशल विकास क्षमता प्रतिवर्ष लगभग 9.1 मिलियन लोगों को कौशल प्रदान करने की है। कौशल विकास पर राष्ट्रीय नीति के अनुसार भारत को वर्ष 2022 तक 500 मिलियन लोगों को कौशल प्रदान करना है। इन 11 वर्षो के दौरान लगभग 500 मिलियन लोगों को कौशल प्रदान करने का अर्थ अन्य बातों के साथ यह है कि इस चुनौति को पूरा करने के लिए हमें लगभग प्रतिवर्ष 50 मिलियन लोगों को कौशल प्रदान करने के लक्ष्य को प्राप्त करना होगा। इसी सन्दर्भ में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने एक अध्ययन को प्रायोजित किया है जिसमें 500 मिलियन लोगों को कौशल प्रदान करने के लिए प्रशिक्षकों की आवश्यकताओं का पता लगाया जाएगा। इस पृष्ठाभूमि में इस अध्ययन का उद्देश्य 500 मिलियन कौशल प्राप्त लोगों को परिभाषित करना और 2022 तक इतने लोगों को कौशल प्रदान करने के लिए प्रशिक्षकों की संख्या का पता लगाना है। अध्ययन का वास्तविक कार्यफलक निम्न प्रकार हैः–

1. 500 मिलियन कुशल लोगों की जरुरतों को परिभाषित करना
2. सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र दोनों को मिला कर सभी मंत्रालयों/ट्रेड्स, क्षेत्रों के प्रशिक्षण संस्थानों में मौजूदा प्रशिक्षकों (प्रमाणित प्रशिक्षित/गैर प्रशिक्षित) की संख्या का पता लगाना ।
3. सार्वजानिक तथा निजी क्षेत्र दोनो को मिला कर सभी मंत्रालयों, ट्रेड्स, क्षेत्रों तथा प्रशिक्षकों (प्रमाणिात प्रशिक्षित/गैर प्रशिक्षित) की संख्या का पता लगाना ताकि वर्ष 2022 तक के निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके।
4. सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र दोनों को मिलाकर सभी मंत्रालयों, ट्रेड्स, क्षेत्रों के प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण संस्थानों की मौजूदा क्षमता का पता लगाना
5. श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, ग्रामीण विकास, शहरी विकास मंत्रालय आदि जैसे विभिन्न मंत्रालयों के भविष्य की योजनाओं की समीक्षा करना तथा एनएसडीसी जैसे अन्य संबंधित प्लेयर्स तथा अन्य निजी प्लेयर्स की समीक्षा करना ताकि प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण की भर्ती के लिए उपबंधों का विश्लेषण किया जा सके। जहां कही भविष्य की योजनाए उपलब्ध न हो वहा प्रवृतियों के विश्लेषण की आवश्यकता होती है ताकि उन प्रशिक्षकों की संख्या का पता लगाया जा सके जिन्हें पूल में शामिल किया जाना है।

6. प्रशिक्षकों की कमी का विश्लेषण करना और प्रशिक्षकों की आवश्यकता का आकलन (ट्रेड तथा स्तर वार) अगलें 10 वर्षों के लिए करना (वर्ष में दो बार आकलन)
7. मौजूदा प्रशिक्षकों की गुणवता का पता लगाना और प्रकल्पित आवश्यकता के अनुसार प्रशिक्षकों को अपेक्षित संख्या में किराए पर लेने के उपायों और साधनों का सुझाव देना।

(परियोजना निदेशकः श्री अनूप सतपथी, फैलो)

(v) विश्व बैंक से सहायता प्राप्त व्यावसायिक प्रशिक्षण सुधार परियोजना की प्रबंधन समीक्षा

विश्व बैंक भारत सरकार के व्यावसायिक प्रशिक्षण सुधार (परियोजना को सहायता प्रदान कर रहा है। यह परियोजना केन्द्र प्रायोजित बहुराज्जीय परियोजना है जो 33 राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों में कार्यान्वित की जा रही है। इस परियोजना में 400 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को वित्त पोषित किया जा रहा है ताकि संस्थानों द्वारा उपलब्ध करवाए जा रहे व्यावसायिक प्रशिक्षण की गुणवत्ता का उन्नयन किया जा सके। इसके साथ साथ केन्द्र द्वारा प्रायोजित अनुदेशों के प्रशिक्षण के 14 संस्थानों, पाठ्यक्रम का विकास तथा पढ़ाने और प्रशिक्षण सामग्री तैयार की जा सके। इसके अतिरिक्त इस परियोजना के अन्तर्गत 10 नए अनुदेशक प्रशिक्षण स्कंधों की स्थापना का वित्त पोषण भी किया जा रहा है जिनका उद्देश्य राज्य सरकारों के नियंत्रण में रह कर अनुदेशकों को प्रशिक्षण प्रदान करना है। परियोजना में ऐसे नीतिगत अनुसंधान और नवाचार प्रस्तावों को वित्त पोषण करने की भी योजना है जिन्हें दीर्घ कालीन व्यवस्थित सुधारों के रूप में देखा जा रहा है।

प्रबंधन समीक्षा के उद्देश्यों में प्रभावशीलता की समीक्षा प्रभावकारिता, बाधाएं तथा जोखिम, सुधार के लिए सिफारिशें और निम्नलिखित पर उत्तम व्यवहारों को प्रलेख बद्ध करना हैः–

(i) राष्ट्रीय संचालन समिति और राज्य संचालन समिति की कार्य प्रणाली
(ii) राष्ट्रीय और राज्य स्तरों पर परियोजना कार्यान्वयन एककों की कार्य प्रणाली
(iii) संस्थागत प्रबंधन समिति की कार्य प्रणाली
(iv) परियोजना के सचारु कार्यान्वयन के लिए विभिन्न स्तरों पर शक्तियों का प्रत्यायोजन
(v) निधी फ्लो और निधियों का इस्तेमाल
(vi) खरीद प्रबंधन
(vii) प्रकटन प्रबंधन

(परियोजना निदेशकः श्री अनूप सतपथी, फेलो)

रोजगार संबंध और विनियमन केन्द्र

केन्द्र के अनुसंधान कार्यकलापों में निम्नलिखित विषयों पर जोर दिया जाएगा:

1. अनौपचारिक तथा औपचारिक क्षेत्र में बदलते रोजगार संबंध
2. अनौपचारिक क्षेत्र श्रमिकों की सामाजिक–आर्थिक दशाएं।
3. तदर्थ और आनुषंगिक रोजगार।
4. औपचारिक और अनौपचारिक सेक्टरों में लगे श्रमिकों के श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा के मुद्दे

अनुसंधान के विशिष्ट मुद्दों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- आनुषंगिक रोजगार के उभरते स्वरूपों और विभिन्न उद्योगों/क्षेत्रों में रोजगार संबंधों पर इसके प्रभाव का विश्लेषण।
- एक अर्ध–विकसित अर्थव्यवस्था, जहां रोजगार, आय और स्वास्थ्य के संबंध में असुरक्षा बढ़ती दिखाई दे रही है, सामाजिक सुरक्षा की अवधारणा का पुनर्निरूपण।
- मौजूदा सामाजिक सुरक्षा उपायों की खासतौर पर अनौपचारिक/असंगठित क्षेत्रों के संबंध में प्रभावकारिता का मूल्यांकन।
- श्रम कानूनों के अर्थशास्त्र का अध्ययन करना।
- समान स्थिति वाले अन्य देशों में श्रम कानूनों का व्यापक अध्ययन और वैश्वीकरण के संदर्भ में उनका विश्लेषण।
- श्रम न्याय व्यवस्था के रुझानों की जांच करना।

चल रही परियोजनाएं

(I) निजी सुरक्षा अभिकरणों में कार्यरत सुरक्षा कर्मियों के श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा के मुद्दे: ओखला तथा नौएडा का वैयक्तिक अध्ययन

अध्ययन का संदर्भ: सेवा क्षेत्र किसी भी क्षेत्र के आर्थिक और सामाजिक विकास की रीढ़ की हड्डी होता है। पिछले कुछ वर्षों के दौरान विश्व की अर्थव्यवस्था में यह सेक्टर सबसे बड़े उभरते हुए सेक्टर के रूप में सामने आया है और इसी क्षेत्र ने रोजगार और उत्पादन में अनगिनत रूप में योगदान दिया है। इसकी विकास दर कृषि और विनिर्माण सेक्टरों के मुकाबले उच्च रही है। भारत में वर्ष 2006–2007 के दौरान सेवा क्षेत्र ने सकल घरेलू उत्पाद में 55.1 प्रतिशत का योगदान दिया है।

सेवा क्षेत्र के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण सेवा सुरक्षा सेवा है। हालांकि सेवा क्षेत्र की अन्य सेवाओं के विषय में बहुत से अध्ययन किए गए हैं लेकिन सम्पूर्ण भारत में फैली सुरक्षा एजेंसियों के माध्यम से हजारों सुरक्षा गार्ड उपलब्ध कराए जाते हैं, विशेष रूप से जहां तक श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा के मुद्दों से संबंधित सुरक्षा गार्डों से संबंधित कोई अध्ययन नहीं हुआ है। एक साधारण मनुष्य की समझ से सुरक्षा गार्डों की संख्या में दिन दूनी और रात चौगुनी वृद्धि हो रही है लेकिन इनके संबंध में किसी प्रकार की विश्वसनीय आंकड़े अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और स्थानीय स्तर पर उपलब्ध नहीं है। इसी प्रकार इस मुद्दे पर अनुभव यह बताता है कि ऐसे सुरक्षा गार्डों की संख्या यदि मिलियंस में नहीं है तो हजारों में जरूर है। यह सुरक्षा गार्ड अपर्याप्त पारिश्रमिक, रोजगार सुरक्षा का अभाव और सामाजिक सुरक्षा उपायों की अपर्याप्तता आदि जैसी समस्याओं स जूझते हैं। लेकिन इन सामान्य अवधारणाओं के आधार पर कोई नीति तब तक नहीं बनाई जा सकती जब तक किसी वैज्ञानिक पद्धति से उपयुक्त जांच और परख न कर ली जाए।

अध्ययन के उद्देश्य: उपरोक्त भूमिका तथ्यों के संदर्भ में कुछ विशिष्ट उद्देश्य इस प्रकार रखे जा सकते हैं:–

1. विभिन्न प्रकार की सुरक्षा सेवा एजेंसियों में सुरक्षा गार्डों से संबंधित रोजगार और श्रम सबंधी मुख्य मुद्दों के संबंध में बेहतर समझ विकसित करना
2. विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के माध्यमों से तैनात सुरक्षा गार्डों से संबंधित मुख्य सामाजिक सुरक्षा मुद्दों की बेहतर समझ विकसित करना
3. सुरक्षा गार्डों की भर्ती पैटर्न/तंत्र तथा निजी सुरक्षा गार्डों के प्रशिक्षण का भर्ती पूर्व अध्ययन करना ताकि उनकी इस रोजगार के प्रति योग्यता का निर्णय लिया जा सके।
4. सुरक्षा गार्डों के संबंध में लागू विभिन्न श्रम कानूनों की अवस्थिति और उनके मूल्यांकन की तुलनात्मक अध्ययन करना।
5. जहां भी सुरक्षा गार्डों से संबंधित कुछ कमियां हैं, उनके हितों की रक्षा के लिए ऐसे सामाजिक सुरक्षा उपायों की सुझाव देना जिन्हें लागू किया जा सकता हो।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र थे देश के महानगरों थी सभी मुख्य विशेषताओं का प्रतिनिधित्व हसिल है ओखला और नोएडा दो ऐसी मुख्य स्थान है जो राष्ट्रीय राजधनी क्षेत्र में अध्ययन में शमिल हैं। इसके नमूना आकर में 40 एजोसियां ओर 200 सुरक्षा व्यक्तियों को शमिल किया गया है

अध्ययन फलक

अध्ययन के फलक में सुरक्षा गार्डों के रोजगार की शर्तो जैसे कार्य घण्टे, पारिश्रमिक भत्ते, यदि कोई हो आदि, रोजगार की सुरक्षा, सामान्य जागरूकता का स्तर तथा उत्तरदाताओं पर लागू सुरक्षा कानूनों तथा विभिन्न श्रम कानूनों के तहत उत्तरदाताओं को उपलब्ध अधिकारों से संबंधित जागरूकता को शमिल किया गया है

पद्यति और नमूना तकनीक

अध्ययन के उद्देश्य के लिए संगत आंकड़ों और सूचनाओं को प्राथमिक तथा द्वितीय दोनों स्रोतों से एकत्र किया गया है। प्राथिमिक आंकड़े संरचित प्रशानवली को भरवा कर एकत्र किए गए थे। अध्ययन के उद्देश्य के लिए सुरक्षा एजेसियों का चयन उद्देश्यपूर्ण नमूना पद्यति को अपना कर किया गया। प्रश्नावली के माध्यम से एकत्र की गई सूचनाओं की पुष्टि पुनः सुरक्षा गार्डों के समूह, यूनियन एसोशिसनों के पदाधिकारियों/तथा संबंधित क्षेत्र के श्रम विभागों के अधिकारियों/कर्मचाारियों से संसूचित वार्तालाप के माध्ययम से की गई। इस मुद्दे पर गहराई से जानकारी प्राप्त करने के लिए कुछ वैयक्तिक अध्ययन भी विकसित किए गए।

परियोजना की मौजूदा स्थिति: अध्ययन के अंतिम परिणामों को संस्थान के संकाय सदस्यों अनुसंधान सलाहकार समूह के समक्ष पहले से ही प्रस्तुत कर दिया गया है। प्रस्तुतिकरण के दौरन दिए गए सुझाावों को रिपोर्ट में शामिल करके रिपोर्ट संस्थान को प्रस्तुत कर दी गई है।

(परियोजना निदेशक: डॉ संजय उपाध्याय, फेलो)

(II) ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम 1970 में संशोधन प्रस्तावों के वित्तीय निहितार्थ और आर्थिक प्रभाव के मूल्यांकन का अध्ययन

प्रधानमंत्री कार्यालय की सलाह के आधार पर श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने 30 अप्रैल 2010 को इस संस्थान को ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 में प्रस्तावित संशोधनों का अर्थव्यवस्था पर केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के लिए वित्तीय निहितार्थों पर पड़ने वाले प्रभावों के मूल्यांकन का अध्ययन करने की जिम्मेदारी दी थी। इस अध्ययन में उत्पादन के विभिन्न सेक्टरो तथा रोजगार जो एक इनपुट के रूप में श्रम पर निर्भर करता है पर पड़ने वाले प्रभाव भी शमिल है।

संस्थान ने एक कार्यदल का गठन करने के साथ अध्ययन का कार्य आरम्भ कर दिया था। इस अध्ययन दल में अर्थशास्त्र और श्रम के क्षेत्र के विशेषज्ञ शमिल थे। अध्ययन के निष्कर्षों के आधार पर तैयार की गई रिपोर्ट भारत सरकार को प्रस्तुत कर दी गई है।

(परियोजना निदेशक: डॉ ओंकार शर्मा, फेलो)

कृषि संबंध और ग्रामीण श्रम केन्द्र

विज़न

कृषि संबंध और ग्रामीण श्रम केन्द्र की स्थापना बदलते संबंधों और ग्रामीण श्रम पर उनके प्रभाव का अध्ययन करने तथा उसके बारे में समझ को बढ़ाने की दृष्टि से की गई थी। केन्द्र की अनुसंधान परियोजनाएं निम्नलिखित मुद्दों पर केन्द्रित होती हैं

- वैश्वीकरण और ग्रामीण श्रम पर उसका प्रभाव
- ग्रामीण श्रम बाजार की बदलती संरचना के पैटर्न और मेक्रो प्रवृत्ति
- संगठनात्मक रणनीतियों का प्रलेखन, मूल्यांकन और प्रचार–प्रसार
- सामाजिक सुरक्षा और ग्रामीण श्रम

पूरी कर ली गई परियोजना

(1) शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के कार्यान्वयन प्रक्रिया को कारगर और प्रभावी बनाना: एक क्रियानिष्ठ अनुसंधान परियोजना

उद्देश्य

- शहरी गरीबी उन्मूलन स्कीमों के कार्यान्वयन की प्रक्रिया का अध्ययन करना
- स्कीमों तक लाभग्रहियों की पहुंच की सीमा को बढ़ाना और उसमें सुधार का अध्ययन करना
- लाभग्रहियों की जानकारी के स्तर में सुधार का अध्ययन करना
- इस स्कीम के माध्यम से कौशल उन्नयन की प्रासंगिकता का अध्ययन करना और इसमें सुधार के उपाय सुझाना
- स्कीम को सहभागी प्रक्रिया के माध्यम से प्रभावी कार्यान्वयन के लिए आदर्श इनपुट उपलब्ध करवाना
- बेहतर परिणामों के लिए समुचित प्रशासनिक तथा तकनीकी उपायों की संभावनाओं का पता लगाना

फलक

यह क्रियानिष्ठ अनुसंधान शहरी परिवारों के अध्ययन से संबंधित होगा और इसका ध्यान चिह्नित परिवारों पर कार्यक्रमों और स्कीमों के पड़ने वाले प्रभावों और कार्यान्वयन की प्रक्रिया पर रहेगा। इसके अतिरिक्त यह अध्ययन सुमुचित कार्यान्वयन के कारकों को भी जाँच करेगा जिनकी संभवनाओं का पता क्रियानिष्ठ अनुसंधान हस्तक्षेपों में लगाया में लगाया जाएगा। कोलकाता में वार्ड संख्या 57 में पागलादांगा तथा कामारहाती क्षेत्रों का चयन करने के पश्चात इस क्षेत्र में कई लघु (एक दिन) के शिविरों का आयोजन किया गया है। ऐसे परिवारों की पहचान घर घर जा कर और उनका मूल्यांकन करके की गई है। इस कार्य के लिए कलितारा महिला समिति नामक संगठन से सहायता ली गई। समिति के कुछ सदस्यों और परियोजना फील्ड स्टाफ अन्वेषकों ने दोनों परिवारों का चयन किया जिन्होंने बाद में सर्वेक्षण किया

और शिविर के सहभागियों का चयन किया। जब एक बार शिविर के सहभागियों का चयन कर लिया गया उनसे उस क्षेत्र की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों से संबंधित आंकडे एकत्र करने और उस क्षेत्र को सुधारने के लिए क्या क्या कदम उठाए जा सकते है यह बताने का अनुरोध किया गया।

शिविर की प्रक्रिया संवाद पद्यति पर आधारित थी। तीनों शिवरों में सहभागियों की औसत संख्या लगभग 30 थी। शिविर की प्रक्रिया की शुरुआत उन समस्याओं की पहचान और उनके बताने से हुई जिनका सामना सामान्य रूप से गंदी बस्तियों में रहने वाले लोगों और विशेष रूप से शिविर के सहभागियों द्वारा किया जाता है। सहभागियों के साथ विचार विमर्श के दौरान विभिन्न समस्याएं उभर कर सामने आई जैसे पानी की कमी, नालियों की अपर्याप्त सुविधा, अशिक्षा, विभिन्न स्कीमों के बारे में अनभिज्ञता और उनके लाभ के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रमों की जानकारी का अभाव।

(परियोजना निदेशकः डॉ. एम.एम. रहमान, वरिष्ठ फेलो)

चल रही परियोजनाएं

(1) भारत में मेरिन मत्स्य उद्योग और मेरिन मत्स्य कर्मकार : इस सैक्टर में रोजगार की संभावनाएं तलाशने के विशेष संदर्भ में एक अध्ययन

प्रस्तावना

भारत में 8118 किलोमीटर लंबा तटीय क्षेत्र है और 2.02 मिलियन वर्ग कि.मी. का ''अनन्य आर्थिक जोन'' है जिसमें मेरिन मछुआरों के लिए बड़ी संभावना है । इसके अलावा, देश में एक कांटीनेंटल शेल्फ क्षेत्र है जो लगभग 0.53 मिलियन वर्ग कि.मी. है । इन स्रोतों से मछलियों का उत्पादन अत्यधिक है । उदाहरण के लिए, 2003–04 में समुद्रीय मछलियों का उत्पादन 2.94 मिलियन टन था, जबकि इनलैंड मछलियों का उत्पादन 3.46 मिलियन टन था । उसी वर्ष के दौरान, इन दोनों क्षेत्रों में कुल मिलाकर मछलियों का उत्पादन 6.40 मिलियन था । मछलियों के कुल उत्पादन में 2003–04 में 6.46 मिलियन से बढ़कर 2005–06 में 657 मिलियन टन हो गया । ऐसा अनुमान है कि संभावित उत्पादन 8.40 मिलियन टन हो सकता है । वैश्विक रूप से भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है । यह विश्व में ताजा जल मछलियों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादन देश भी है ।

''देश के ईईजेड के समुद्रीय मत्स्य संसाधन, 2000 के अंतिम अद्यतन आंकड़ों के अनुसार 3.93 मिलियन मैट्रिक टन आंके गए हैं । यह संसाधन 'इनशोर' (58 प्रतिशत), 'ऑफशोर' (34.9 प्रतिशत) और गहन समुद्र (7 प्रतिशत) जल में विभाजित है । इस संसाधन का प्रमुख हिस्सा 'डिमर्सल' (2.02 मिलियन टन) है, इसके पश्चात पेलाजिक का 1.67 मिलियन टन और समुद्रीय संसाधनों का 0.24 मिलियन टन आता है । अनुमान इस तथ्य की ओर इशारा करता है कि यदि मछली पकड़ने का कार्य संसाधन विशिष्ट वैसलों मुख्यतः समुद्रीय क्षेत्र में, को लगाकर किया जाए मछली के उत्पाद में लगभग 1.2 मिलियन टन तक वृद्धि होने की गुंजाइश है,। जानकारी में आई अन्य विशेषता है–तटीय क्षेत्र में संसाधन लगाना जो या तो स्पेशीज विशिष्ट है या स्थान विशिष्ट, ये दोनों ही अस्थायी मत्स्य पालन दबाव के परिणामस्वरूप हुए हैं (भारत सरकार 2005) ।

अर्जन के हिसाब से, देश, 6 हजार करोड़ रूपए प्रति वर्ष की विदेशी मुद्रा अर्जित करता है । रोजगार के संबंध में, यह सैक्टर देश में 14 मिलियन से अधिक लोगों के लिए आजीविका का स्रोत है । भोजन के संबंध में यह सैक्टर, देश की सतत बढ़ती जनसंख्या के लिए प्रोटीन का एक प्रमुख स्रोत है ।

औचित्य

मौजूदा साहित्य का परीक्षण यह दर्शाता है कि कार्य, जीवन यापन और सामाजिक सुरक्षा और कर्मकारों की अन्य आवश्यकताएं, जैसे बाजार तक पहुंच, ऋण संस्थान, तकनीकी जानकारी और अन्य व्यावसायिकता में वृद्धि करने वाले कौशलों की समस्या उपयुक्त ढंग से हल नहीं की गई है ।

अन्य पहलू जिस पर ध्यान नहीं दिया गया है, वह है – रोजगार के भावी रोजगार के अवसर जो मौजूद जल निकायों में प्रति व्यक्ति आय कम हो जाने और विस्थापन के कारण प्रदान किया जाना होगा जिसके धीमे परंतु वैश्विक ताप जो अब बहुत वास्तविक है, के कारण देश के कुछ तटवर्ती और एस्चूरीन क्षेत्रों के धीरे–धीरे डुबने की संभावना है।

इसके अतिरिक्त प्रौद्यागिकी और अवसंरचना, सुविधाएं, परिवहन और मछली लैडिंग केन्द्रों की स्थितियों को ध्यान में रखते हुए मछली में रखते हुए मछली उद्योग का कोई समेकित रूप में कोई अध्ययन नही किया गया है।

विशिष्ट उद्देश्य निम्नलिखित हैं :

(क) चुनिंदा मेरिन राज्यों में मेरिन मछुआरों की जीवन–यापन और कार्य संबंधी दशाओं का अध्ययन करना ।
(ख) मत्स्य कर्मकारों के लिए सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों की स्थिति का अध्ययन करना ।
(ग) स्थायित्व के हिसाब से मेरिन मत्स्य पर्यवासों की समस्याओं का पता लगाना ।
(घ) विभिन्न चरणों में श्रम प्रक्रिया और रोजगार पैटर्न तथा प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग, इसकी सधनता का अध्ययन करना ।
(ड.) कुछ चुनिंदा क्षेत्रों में चुनिंदा मत्स्य लैंडिंग केंद्रों की दशाओं का पता लगाना ।

(परियोजना निदेशक : डॉ. पूनम एस. चौहान, फेलो)

(2) असंगठित क्षेत्र के कर्मकारों विशेष रूप से ऐसे कर्मकार जो खान संबंधी गतिविधियों में लगे है, को सशक्त बनाना – बुंदेलखड क्षेत्र में क्रियानिष्ठ अनुसंधान परियोजना

परिचय

असंगठित क्षेत्र लगातार बढ़ने वाला क्षेत्र है और इस क्षेत्र के कर्मकारों की लगातार बढ़ रही संख्या ने रोजगार की गुणवत्ता, सामाजिक सुरक्षा कवरेज, कानूनी संरक्षण आदि मुद्दों को जन्म दिया है।

भारत का 93 प्रतिशत श्रम बल असंगठित क्षेत्र के रोजगार में लगा है। इस क्षेत्र में काम करने वालो श्रम बल को संरक्षण लगभग न के बराबर है। उनकी रोजगार की परिस्थितियों की कुछ विशेषताएं इस प्रकार
कम मजदूरी, सामाजिक सुरक्षा का अभाव, करनूनी संरक्षण का अभाव और निम्न कौशल आदि। परिणाम स्वरुप वे अधिकाशतः गरीबी में रहते हैं और जब उनकी काम करने की क्षमता कम होती है उनके सामने अनिश्चितता मुंह बाए खड़ी हो जाती है क्योंकि उन्हें कोई सामाजिक संरक्षण प्राप्त नही होता। जब मुद्रा स्फीति लगातार बनी रहती है तब उनकी हालत और बिगड़ जाती है क्योंकि महंगाई उनकी मामूली आय और बचत का सफाया कर देती है।

असंगठित क्षेत्र छोटे छोटे उपक्षेत्रों में बंटा हुआ है। ये उपक्षेत्र घोर असुरक्षा के शिकार हैं और कभी कभी अपनी प्रकृति, गातिविधियों और अवस्थिति के कारण नजरों से ओझल रह जाते हैं। ऐसा एक उपक्षेत्र पत्थर खादान गतिविधि है। पत्थर की खदाने देश में लगभग सभी जगह पर है। ये खदाने अधिकतर दूरदराज की जगहों और ऐसी जगहों पर है जहां पहुंचना आसान नही होता। यही कारण है कि पत्थर खदानों में काम करने वाले कर्मकारों की कार्यदशाओ की बहुत कम जानकारी उपलब्ध है। तथापि विभिन्न अनुसंधान कर्ताओं द्वारा बहुत कम अध्ययन किए गए हैं (रामामूर्ति एवं वार्ष्णेय, 1994, रहमान एवं चौहान, 1996) ये अध्ययन दिखाते है कि पत्थर खादानों में काम करने वाले कर्मकारों की दशा बड़ी शोचनीय है। उनका शोषण होता है वे बहुधा प्रतिकूल वातावरण में काम करते हैं जो बहुत अधिक खतरनाक होता है।

इन वंचित कर्मकारों में अधिकांश अनुसूचित जाति और जनजाति से संबंध रखते है जिन्हें सामाजिक और अर्थिक दोनों प्रकार के भेदभाव का सामना, अपने संगी साथियों के मुकाबले अधिक करना पड़ता है।

मानव तुलन पत्र पर नजर डालने से पता चलता है कि जिन लोगों के लिए विकास के प्रयास किए गए है उनकी आधारभूत आवश्यकताओं को पूरा करने और उनकी बेहतरी के लिए आरम्भ की गई गातिविधियों के हिसाब से, उनकी घोर उपेक्षा हुई है। इससे सहभागिता और विकेन्द्रीकरण की प्रक्रिया में बाधा पड़ी है।

इस स्थिति और ऐसी ही अन्य महत्वपूर्ण समस्याओं के कारण समाज के कुछ तबके विकास के अधिकांश हिस्से के लाभग्राही रहे है। जब कि कुछ अन्य तबके धीरे धीरे घोर गरीबी और असहाय अवस्था में पहुंच गए हैं। वंचितों के समाज में भी कुछ हिस्से अन्य की अपेक्षा अत्याधिक वंचित है।

इस प्रकार असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को राज्यों द्वारा प्रायोजित गरीबी उपशमन कार्यक्रमों का वांछित लाभ नही मिल पाया है। इसका मुख्य कारण यह है कि जो आधारभूत सुविधाए उनके लिए अपेक्षित थी उन्हें न्यूनतम स्तर तक भी उपलब्ध नही हो सकी। आधारभूत पूर्वपेक्षाएं निम्न प्रकार है।

(i) मौजूदगी की स्थिति पर नियंत्रण
(ii) उनकी मौजूदगी की वास्तविकाओं के बारे में स्पष्ट अवधारणा
(iii) उनके लाभ के लिए निर्णय लेने की प्रक्रिया में सहभागिता
(iv) योजना बनाने और प्रबंधन के लिए अपेक्षित संगठनात्मक कौशल
(v) निर्भरता से बचने के लिए भौतिक व्यवस्थाएं, तथा
(vi) आत्म निर्भरता के लिए सहकारी अन्तर सबंध

उद्देश्य

भूतकाल में ऐसे बहुत से अध्ययन किए गए हैं जिनमें उन समस्याओं का विश्लेषण किया गया है जिनका सामना असंगठित कर्मकारों को करना पड़ता है। अध्ययन के अलावा सिविल समाज, गैर सरकारी संगठनों और सरकार द्वारा भी उनकी गरीबी उपशमन के प्रयास किए गए है। तथापि अधिकांश अध्ययन और विकासात्मक प्रयासों के बारे में यह कहा जा सकता है कि वे प्रयास तथ्यों का पता लगाने और इस प्रक्रिया में उनके हस्तक्षेप की प्रकृति अधिकांशतः लघुकालिक रही है और किसी कार्यक्रम को संस्थागत बनाने के लिए कोई अनुवर्ती कारवाई नही की गई है। इसके अतिरिक्त असंगठित कर्मकारों को बौधिक और भौतिक दोनो स्तरों पर उनके सशक्तिकरण के लिए समुचित रणनीति बनाने और उसका डिजाइन तैयार करने के लिए संगठित प्रयास हमेशा नही किए गए। इसी तथ्य को ध्यान

में रखते हुए यह वर्तमान अध्ययन सामान्य रूप से असंगठित कर्मकारों और विशेष रूप से पत्थर खादानों में काम करने वाले कर्मकारों की सहभागिता और विकास के मुद्दे को सुलझाने के प्रयास करेगा। प्रस्तावित अध्ययन के उद्देश्य निम्नलिखित रूप में रखे गए है:–

- बुंदलेखण्ड क्षेत्र पचांयत में कुछ चुने हुए अंसगठित क्षेत्र के कर्मकारों के परिवारों की जांच और अध्ययन आय, शिक्षा, स्वास्थ्य आवास सुविधा, व्यावसायिक पैटर्न, रोजगार के अवसर आदि पहलुओं को ध्यान में रखते हुए करना।
- उन विस्तृत सूचनाओं को प्रकाश में लाना कि वे अपनी मौजूदगी के तथ्यों के बारे में क्या सोचते हैं।
- उन कारकों और बलों पर ध्यान केन्द्रित करना जो संगठन स्थापित करने के उनके प्रयासों के विरुद्ध प्रेरक और गैर प्रेरक कारकों के रूप में काम करते है।
- अध्ययन क्षेत्र की सांस्कृतिक और सामाजिक आर्थिक विशेषताओं तथा प्रकृति का खाका इस आशय के साथ खीचना कि असंगठित क्षेत्र के कर्मकारों की मौजूदगी की सही स्थितियों की जांच हो सके।
- उन पहुंच मार्गो और समुचित पद्यतियों का सुझाव देना जिनसे उन्हें निर्णय लेने की प्रक्रिया में सशक्त होने में सहायता मिले।
- सुझाव दिए गए पहुंच मार्गो को व्यवहारिक स्थिति में ढाल कर उनकी व्यवहार्यता का पता लगाना।
- इस प्रस्तावित अध्ययन की प्रक्रिया में अर्जित की सूचना तथा शिक्षा और सिद्धान्त को व्यवहार में बदलने की प्रक्रिया का इस आशय से प्रचार प्रसार करना कि अनुभव को माडल के रूप में इस्तेमाल करके असंगठित क्षेत्र के कर्मकारों को फलक को विस्तृत किया जा सके।

संक्षेप में इस क्रियानिष्ठ अनुसंधान परियोजना का मुख्य उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के कर्मकारों को उनकी मौजूदगी के दो स्तरों पर सशक्त बनाना है।

(i) पहला तैयारी के स्तर पर जिसका अर्थ उनके बौधिक स्तर को ऊंचा उठाना है ताकि वे अपनी यर्थाथता की जीवित प्रक्रिया को समझ सके। इस विशिष्ट उद्देश्य की प्राप्ति के लिए विभिन्न उपाय और उपागम किए जाएंगे।

(ii) दूसरे सहभागिता के स्तर पर, यह ऐसी अवस्था है जहां वे अपनी आजीविका कमाने के लिए काम करेंगे। इस स्तर पर उन्हें इस बात से अवगत करवाया जाएगा कि वे दोना स्तरों पर अपने रोजगार के अवसरों को बढ़ाने की संभावनाएं क्या क्या उपाय किए जा सकते है। उन्हें यह भी बताया जाएगा कि उनके अधिकार क्या है और वे अपने प्रयासों से कैसे अपने हालात सुधार सकते हैं ताकि धीरे धीरे वे दूसरों पर अपनी निर्भरता को कम कर सकें।

(परियोजना निदेशक: डॉ. एम.एम. रहमान, वरिष्ठ फेलो)

राष्ट्रीय बाल श्रम संसाधन केन्द्र

वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान में नेशनल रिसोर्स सेन्टर ऑन चाइल्ड लेबर की स्थापना यूनीसेफ, आईएलओ और श्रम मंत्रालय के सहयोग से एक विशिष्ट केन्द्र के रूप में की गई है। इसकी स्थापना का उद्देश्य एक ऐसी केन्द्रीय एजेंसी उपलब्ध कराना था, जो बाल श्रम पर काबू पाने के समूचे कार्य में सरकार, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, गैर–सरकारी संगठनों, श्रमिक संगठनों और नियोक्ता संगठनों सहित विभिन्न विशेष साझेदारों और पणधारियों के बीच सक्रिय सहयोग सुनिश्चित कर सके। इसका उद्देश्य जानकारी आधारित संगठन का सृजन करना और अनुसंधान करना तथा उसे बढ़ावा देना भी है । केंद्र सरकार बाल श्रम के उत्तरोतर उन्मूलन के अपने कार्य में नीति निर्धारकों और विधायकों का समर्थन करती है और केन्द्र तथा राज्य सरकारों की नीतियों के उद्देश्यों की प्राप्ति में योगदान देती है । केन्द्र का मुख्य विषय तकनीकी सलाह, सेवा और परामर्श प्रदान करना तथा सूचना का प्रसार/प्रचार करना है ताकि बाल श्रम की समस्या को उजागर किया जा सके और लोगों की अभिवृत्ति में परिवर्तन कर उनमें जागरूकता लाई जा सके। केन्द्र का आशय व्यक्तियों, समूहों और संगठनों की क्षमताएं विकसित करने में योगदान करना है ताकि वे बाल श्रम के उन्मूलन में अपना भरपूर योगदान कर सकें। एनआरसीसीएल विभिन्न स्तरों पर अनुसंधान, प्रशिक्षण, पाठ्यक्रम, विकास, समर्थन, तकनीकी सहयोग, प्रलेखन, प्रकाशन, प्रचार–प्रसार, नेटवर्किंग और सामाजिक कार्यकर्ताओं के प्रयासों को सुदृढ. बनाकर कनवर्जन को प्रोत्साहित करने के जरिए अपने उद्देश्य प्राप्त करने प्रयास कर रहा है ।

अनुसंधान

अनुसंधान एनआरसीसीएल का एक महत्त्वपूर्ण कार्य है। अनुसंधान परियोजनाओं के केन्द्र में निम्नलिखित विषयों पर ध्यान केंद्रित किया गया है:

1. आईएलओ कनवेंशन संख्या 182 में उल्लिखित व्यवसायों और प्रक्रियाओं सहित चुने हुए खतरनाक व्यवसायों और प्रक्रियाओं में बच्चों के नियोजन के संबंध में महत्त्वपूर्ण सूचनाओं का संग्रह।
2. बाल श्रम की परिभाषा से संबंधित पहलुओं को समझने के लिए अनुसंधान अध्ययन की समीक्षा।
3. बाल श्रम के लिए जिम्मेदार कारकों का पता लगाना और समूचे विकास परिदृश्य में उन कारकों पर आवश्यक कार्यवाही करने के लिए रणनीतियां बनाना।
4. सफल अनुभव का प्रलेखन करके बाल श्रम को काम से मुक्त करवाए जाने की अवसर लागतों को स्पष्ट करना।
5. बाल श्रमिकों के स्वास्थ्य, पुनर्वास और पोषाहार पहलुओं की समस्या हल करना।
6. बाल श्रम के आर्थिक परिणामों का अध्ययन करना।

इन सूक्ष्म स्तरीय अध्ययनों में बाल श्रम से संबंधित विभिन्न पहलुओं को शामिल किया जाता है, जिसमें बाल श्रम की व्यापकता, कानूनों का प्रवर्तन, सरकारी और गैर–सरकारी हस्तक्षेपों का प्रभाव, शिक्षा की स्थिति, रहन–सहन जोखिम आदि शामिल हैं। इन अध्ययनों में अपनाए गए तरीकों में मात्रात्मक सर्वेक्षण दृष्टिकोण, केन्द्रित समूह विचार–विमर्श, साक्षात्कार, सहभागी विचार और वैयक्तिक अध्ययन शामिल हैं। एनआरसीसीएल में अनेक अनुसंधान अध्ययन और

प्रमुख मूल्यांकन अध्ययन पूरे किए गए हैं। इसके अलावा देश के 13 राज्यों में फैले 50 जिलों में स्थित राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना सोसाइटियों के मूल्यांकन अध्ययन करने के लिए 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंत में इस केंद्र में ''भारत में बाल श्रमिकों का पुनर्वास : राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के मूल्यांकन से ली गई सीख'' शीर्षक वाला एक अन्य मूल्यांकन अध्ययन भी किया गया है जिसमें 11वीं पंचवर्षीय अवधि के आरंभ में भारत के भिन्न–भिन्न 15 राज्यों में स्थित 70 एनसीएलपी जिले शामिल किए गए हैं ।

पूरी कर ली गई अनुसंधान परियोजना

1. आप्रवासी कामकाजी बालिकाओं की स्थिति जन्य विश्लेषण

हमारी अगली पीढ़ी का गुणात्मक विकास इस तथ्य पर आधारित है कि वर्तमान में बच्चों को अपनी पूर्ण मानवीय क्षमताओं को पहचानने के कितने अवसर प्राप्त हो रहे हैं। बालिका ही वह मुख्य इकाई है जो भविष्य में महिलाओं के समान भूमिका निभाएगी और स्तर प्राप्त करेगी। कोई बालिका भविष्य में किस प्रकार की महिला बनेगी यह बचपन में ही तय हो जाता है। बालिकाओं की स्थितियों में सुधार और उनके विकास में किया गया निवेश यह सुनिश्चित करता है कि उन्हें भविष्य में बहुत से अवसर प्राप्त होंगे और उसे कम असमानता का सामना करना पड़ेगा। संसार के अधिकांश देशों में बालकों की अपेक्षा बालिकाएं निचला स्तर, कम अधिकार, कम अवसर और कम लाभ प्राप्त करती हैं जबकि समुदाय के संसाधनों और परिवार पर दोनों का समान हक है। लड़कियों को किशोरावस्था से पहले से ही असमानता का अनुभव हो जाता है और यह असमानता धीरे–धीरे इतनी बढ़ जाती है कि इस पर काबू पाना मुश्किल होता है। इस असमानता का वास्तविक चित्र महिलाओं की वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखकर देखा जा सकता है। आज की बालिका कल की महिला होगी। यदि भविष्य की महिलाएं पुरूषों के साथ मिलकर सामाजिक परिवर्तन और विकास में बराबर की हिस्सेदार हो जाएं तो यही वह आदर्श स्थिति होगी जब बालिकाओं को उनकी मानवीय प्रतिष्ठा और सहयोग में बराबर का हिस्सा होगा। इस प्रकार बचपन के विकास की प्रक्रिया के दौरान लिंग समानता की भावना विकसित की जानी चाहिए। बालिकाओं को वह हर अवसर प्रदान करना चाहिए जिससे उन्हें अन्य लोगों के समान समान स्तर और उचित व्यवहार मिले ताकि वे प्रत्येक देश में अपने संभावनाओं का पूर्णतया प्रयोग कर सकें। इस प्रकार के अवसरों के लिए सरकार का सहयोग और सरकारी और गैर–सरकारी संगठनों की प्रतिबद्धता, सहयोग और कोशिशों के साथ–साथ परिवार की प्रतिबद्धता परिणामों को प्राप्त करने के लिए चाहिए।

इस अध्ययन के मुख्य उद्देश्य हैं: गंदी बस्तियों में रह रहे बच्चों विशेष रूप से बालिकाओं की स्थितियों का समालोचनात्मक विश्लेषण, प्रवासी बालिकाओं के श्रम आयामों को समझना और शहरी गंदी बस्तियों में बाल श्रम के उत्तरोत्तर उन्मूलन के प्रति कार्य अभियान की शुरूआत करना। इस अध्ययन का आशय सामान्यतः बच्चों की तथा विशेषतः बालिकाओं की असुरक्षितताओं, समस्याप्रद स्थितियों तथा व्यावहारिक सलाहकारों को प्रमुखता से दर्शाना और उनके अधिकारों तथा सशक्तीकरण को गति प्रदान करने हेतु नीतिगत उपाय तैयार करने में सहयोग देना है ।

(परियोजना निदेशकः डॉ. हेलन आर. सेकर, फेलो)

चल रही परियोजना

1. संयुक्त राज्य अमरीका के फार्मों में बच्चों द्वारा कठोर श्रम और उनके लिए कानूनी ढांचा: एक आलोचनात्मक विश्लेषण

पिछले कुछ दशकों में संयुक्त राज्य अमरीका में गरीब और अमीर के बीच खाई बढ़ती जा रही है यही कारण है कि करोड़ो बच्चों को स्कूल की बढ़ाई बीच में छोड़ कर काम करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। संयुक्त राज्य ने राष्ट्र के रूप में अपनी शुरुआत किसानों के राष्ट्र के रूप में की थी जो अपने पारिवारिक खेतों पर काम करते थे। इसके कई नागरिक अब भी यह विश्वास करते है कि कठोर श्रम का उपयुक्त समय बाल्य अवस्था ही है। संयुक्त राज्य के नागरिकों की यह अवधारण उन कारकों में से एक कारण हो सकता है क्योंकि संयुक्त राज्य में सामान्य रूप से बाल श्रम की व्यापक्ता अत्याधिक है और कृषि कार्य में तो बाल श्रम की बहुतायत में है। मौजूदा अध्ययन डेस्क अनुसंधान पद्धति के माध्यम से किया जा रहा है जिसमें आंकड़ों को मौजूदा स्रोतों, आन्तरिक स्रोतों, सरकारी और गैर सरकारी प्रकाशनों और इन्टरनेट के माध्यम से एकत्र किया जा रहा है। अनुसंधान की महत्ता को ध्यान में रखते हुए खोजने की तकनीक काफी परिष्कृत होगी ताकि इसके परिणाम संगत और आशाजनक होंगे। एकत्र किए उपलब्ध आंकड़ों की जांच व्यवस्थित ढंग से की जाएगी ताकि उनकी सत्यता और विश्वसनीयता, मूल्य का पता लग सके तब उनका अनुसंधान के उद्देश्यों में ध्यान में रखते हुए विश्लेषण किया जाएगा।

(परियोजना निदेशक: डॉ हेलन आर सेकर, फेलो)

समेकित श्रम इतिहास अनुसंधान कार्यक्रम

वी वी गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान के इण्टेग्रेटेड लेबर हिस्ट्री रिसर्च प्रोग्राम को एसोसिएशन ऑफ इंडियन लेबर हिस्टोरियन्स (ए.आई.एल.एच.) के सहयोग से जुलाई, 1998 में शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य श्रम इतिहास पर अनुसंधान शुरू करना तथा उसे समन्वित और पुनरूज्जीवित करना था। कार्यक्रम के कोर में श्रम संबंधी दस्तावेजों के विशिष्ट भण्डारण के लिए संस्थान द्वारा भारतीय श्रम अभिलेखागार को रखा गया है। अभिलेखागार में श्रमिक आंदोलन के संबंधित श्रमिक संगठनों, राज्य और व्यापार घरानों द्वारा सृजित दस्तावेजों का सिलसिलेवार संरक्षण किया जाता है। समसामयिक दस्तावेजों और अन्य सामग्रियों जैसे व्यक्तिगत विवरण, श्रम से संबंधित दृश्य सामग्रियों को भी अभिलेखागार में संरक्षित किया जाता है। कार्यक्रम का दूसरा घटक व्यक्तियों और संस्थाओं के सहयोग से प्राथमिक क्षेत्र या उपेक्षित विषयों (जैसे अनौपचारिक क्षेत्र) में भारत के श्रम इतिहास पर अनुसंधान करना है। इस घटक के सीधे परिणाम के रूप में श्रम इतिहास लेखन श्रृंखला का प्रकाशन किया जा रहा है और इसका उद्देश्य श्रम इतिहास के महत्त्वपूर्ण मुद्दों पर अनुसंधान करना है। कार्यक्रम के तीसरे घटक में संस्थान के अन्य अनुसंधान केन्द्रों के सहयोग से अंतर्विषयक अनुसंधान करने की अभिकल्पना की गई है।

कार्यक्रम के तत्काल भावी अनुसंधान के लिए प्राथमिक क्षेत्रों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- अनौपचारिक क्षेत्र श्रम इतिहास
  - मौखिक इतिवृत्त संग्रहण
  - बीड़ी और वस्त्र पर संग्रहण
- सेन्ट्रल ट्रेड यूनियन और टेक्सटाइल का बढ़ता दायरा
- केन्द्रीय सरकार के श्रम रिकार्ड का संग्रह:
  - टैक्सटाइल
  - रेलवे
  - खान
- मौखिक इतिहास संग्रहण
- कार्य संगठनों का नया ढांचा और बदलते रोजगार संबंध

पूरी की गई परियोजनाएं

	परियोजना का नाम	डिजिटाइड किए गए पृष्ठों की संख्या
1	आल इण्डिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस कलेक्शन (चरण 1) का डिजीटाइजेशन	9000
2	आल इण्डिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस कलेक्शन (चरण 1) का डिजीटाइजेशन (1960–1980) – 300 फाइलें	9000
3	श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के पास उपलब्ध श्रम से संबंधित सरकारी प्रकाशनों और प्रलेखों का डिजीटाइजेशन	10,000
4	श्रम विद्यान से संबंधित प्रलेखों का डिजीटाइजेशन	6,000
5	समुद्र पार उत्प्रवास से संबंधित प्रलेखों का डिजीटाइजेशन	6,000

2 भारतीय श्रम के डिजीटल अभिलेखागार का मूल्यांकन और प्रोद्योगिक उन्नयन (चरण 1)

मूल्यांकन और प्रोद्यौगिक उन्नयन कार्यक्रम के हिस्से के रूप मे (01 सितम्बर 2010–31 मार्च 2011) डिजीटल अभिलेखागार के कार्यो का किया गया मूल्यांकन यह दिखाता है कि इसकी प्रोद्यौगिकी तथा कार्यफ्लो के आमूल चूल परिवर्तन के बिना अभिलेखागार की अवस्था अनिश्चित हो जाएगी। इसके अतिरिक्त जो प्रोद्यौगिकी और कार्य फ्लो भविष्य में संभाल कर रखे जाने के लिए डिजीटाइजेशन, प्रोसेसिंग और डिलीवरी के लिए अपनी जगह पर रखा जा रहा है उसका लेखा जोखा रखना जिस रूप में अभिलेखार मौजूद है, उसी रूप में रखा जाना आवश्यक है क्योंकि भौतिक रूप में इसकी परिसम्पत्तियां अभी भी कागजों पर आधारित है। वर्ष 2010–11 मूल्यांकन और प्रोद्यौगिक उन्नयन कार्यक्रम की विस्तृत रणनीति एक ऐसा अभिलेखागार मंच विकसित करने की है जो हर प्रकार की डिजीटल विषय वस्तु को पहचान सके, प्रबंध कर सके और उन्हें सुरक्षित रख सके। भण्डारण प्लेटफार्म और डिलिवरी पद्यति की ओर मुड़ना, जो अधिक सामयिक, विस्तारणीय, संतुलित तथा जिसे संचालित करना और प्रबंधित करना आसान है, का अर्थ यह है कि वह विषय वस्तु उनके लिए ट्रांजिसंड है। समेकित श्रम इतिहास अनुसंधान कार्यक्रम टीम का ध्यान कागज आधारित (मुद्रित तथा फोटोग्राफी) सुरक्षित इतिहास को उन्नत और ट्रांजिसंनिंग बनाने पर है। कुछ कलेक्शन पहले से ही आनलाइन है (13 संख्या) जिनका अकेंक्षण और ट्रांजिसन पहले ही हो चुका है। जो कलेक्शन (जिन्हें सार्वेजनिक नही किया गया है (7 संख्या) उनके अंकेक्षण और ट्रांजिसन का कार्य चल रहा है।

श्रम एवं स्वास्थ्य केन्द्र

उद्देश्य और लक्ष्य

स्वास्थ्य प्रणाली जिस मात्रा में विभिन्न सामाजिक समूहों की जरुरतों को पूरी करती है यह पूरे विश्व में सरोकार का मुद्दा है। यह मुद्दा उन देशों में अधिक है जो देश त्वरित आर्थिक और संस्थागत परिवर्तन का सामना कर रहे है। भारत में, जहां अधिकांश लोग गरीब है और अपनी आजीविका के लिए अनौपचारिक क्षेत्र पर निर्भर है, स्वास्थ्य लाभों में जिस प्रकार समान्तर निष्पक्षता उपलब्ध करवाता है, चुनौति बन जाता है। स्वास्थ्य उपबंधों के मुख्य मुद्दों पर आवश्यक कार्रवाई करने और इसको कार्य की दुनिया से जोड़ने के लिए वी वी गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान में श्रम एवं स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना की गई है। यह विशिष्टीकृत केन्द्र वैश्विक अर्थव्यवस्था में कर्मकारों के समक्ष उभर कर आने वाली स्वास्थ्य चुनौतियों पर अपना ध्यान केन्द्रित करता है। केन्द्र के कोर अनुसंधान क्षेत्र निम्न प्रकार हैः–

केन्द्र के कोर अनुसंधान क्षेत्र

- श्रम बाजार रूपान्तरणों और कर्मकारों की स्वास्थ्य सुरक्षा में हो रहे रूपान्तरणों और चुनौतियों को समझाना
- सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं का निर्धारण करना और श्रम और श्रमिकों की आजीविका पर उसके प्रभाव का आकलन करना
- सामाजिक संरक्षण और एच आई वी/एड्स

केन्द्र के विशिष्ट अनुसंधानिक मुद्दे

- स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच में असमानताओं और अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में कर्मकारों पर पड़ने वाले इसके प्रभावों का विश्लेषण करना
- स्वास्थ्य सेवाओं के वित्तीय भार तथा कर्मचारों की आजीविका पर पड़ने वाले प्रभावों का विश्लेषण
- जन स्वास्थ्य उपबंधों तथा निष्पक्षता की भूमिका और कारकों का विश्लेषण करना
- स्वास्थ्य संरक्षण प्रदान करने में सामाजिक बीमा की भूमिका को समझाना
- अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में कार्यरत कर्मकारों की आजीविका पर एच आइ वी/एड्स का प्रभाव

अनुसंधान करने के अतिरिक्त यह केन्द्र श्रम एवं रोजगार मंत्रालय तथा अन्तार्राष्ट्रीय श्रम संगठन के सहयोगात्मकं कार्यक्रम कार्य की दुनिया में एच आई वी /एड्स की रोकथामः एक त्रिपक्षीय प्रतिक्रिया का कार्यान्वयन भी करता है।

चल रही परियोजनाएं

(1) ग्रामीण क्षेत्रों के असंगठित कर्मकारों की रहन सहन की दशाओं पर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी अधिनियम का प्रभाव

अध्ययन का संदर्भ

भारत में रोजगार के परिदृश्य मे मूलभूत परिवर्तन आया है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन के निष्कर्षो के अनुसार हालांकि 1990–00 से 2004–05 के दौरान कार्यबल में वृद्धि हुई है फिर भी कार्यबल का क्षेत्रीय विभाजन यह दिखाता है कि कृषि क्षेत्र, जो ग्रामीण क्षेत्र में 80 प्रतिशत रोजगार उपलब्ध करवाता है, में रोजगार के हिस्से में राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 55 वें से लेकर 61 वें चक्र के दौरान 59.8 प्रति से 58.4 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है। रंगराजन सी तथा अन्य 2007) यदि हम राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण और भारत की जनगणना के आकड़ों को मिला कर देखे 2004–05 के प्रक्षेपण यह दिखाते है कि लगभग 280 मिलियन लोग देश के कार्यबल का लगभग आधा हिस्सा मौजूदा रूप में स्वरोजगार में लगा है। इसमें से लगभग 62 प्रतिशत (जो ग्रामीण श्रम बल के 60 प्रतिशत के बराबर है) ग्रामीण क्षेत्र में है 61 वे चक्र के विश्लेषण के अनुसार जो चन्द्रशेखर और घोष ने किया है, स्वरोजगार में लगे अधिकांश लोग सघन और निम्न उत्पादकता वाले रोजगारों में लगातार लगे है। यह रोजगार उन्हें मामूली पारिश्रमिक प्रदान करता है और वे आय की अनिश्चिता के हमेशा शिकार बने रहते है (2007)

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी अधिनियम, जिसे अब महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी अधिनियम कहा जाता है, जिसे फरवरी 2006 में आरम्भ किया गया था, ऐसे क्रांन्तिक बिंदु पर पहुंच गया है जब ग्रामीण अर्थव्यवथा संपूर्ण गतिहीनता के दौर से गुजर रही है। हालॉकि पिछले कुछ वर्षों के दौरान किए गए स्कीम के विश्लेषण यह दिखाते है कि गुणात्मक आउट पुट के हिसाब से नरेगा की कुल निष्पादन क्षमता महत्वपूर्ण रही है। राज्य वार नरेगा का गहराई से किया गया विश्लेषण यह दिखाता है कि विभिन्न क्षेत्रों और विभिन्न समूहों के बीच इसके निष्पादन में अन्तराज्यीय भिन्नताएं देखने को मिली हैं।

उद्देश्य

उपरोक्त पृष्ठिभूमि को ध्यान में रखते हुए मौजूदा अध्ययन के मोटे मोटे उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में असंगठित कर्मकारों की रहन सहन की दशाओं पर नरेगा के प्रभाव का आकलन उन कारकों की रोशनी में किया जाना है जो जीवन की गुणवत्ता में बढोतरी करने में अपनी भूमिका निभाते हैं। इस विस्तृत उद्देश्य के अनुसार विशिष्ट उद्देश्य जिनका पता लगाया जाना है, निम्न प्रकार हैः–

(i) चयनित राज्यों/जिलों में नरेगा के उद्देश्यों और संचालन संबंधी मार्ग निर्देशों के अनुसार इसके कार्यान्वयन का मूल्यांकन करना

(ii) निम्नलिखित कारकों के हिसाब से कर्मकारों की रहन–सहन की दशाओं पर महात्मा गाधी ग्रामीण रोजगार गारन्टी अधिनियम के प्रभाव का विश्लेषण करना इस अधिनियम के लागू होने से पहले और बाद के आय का स्तर, खाद्य और गैर खाद्य मदों पर खर्च किए जाने के पैटर्न में परिवर्तन लाभग्राहियों के भूमि रखने का पैटर्न, चल और अचल सम्पत्ति का अर्जन, ऋण की स्थिति आदि।

(iii) श्रम बाजार में सकारात्मक बदलाव लाने में नरेगा के प्रभाव का आकलन

(iv) महिला सहभागिता तथा महिलाओं द्वारा कठिनाइयों का सामना करने के माध्यम से लिंग सशक्तिकरण को समझना

(v) प्रभावी और बेहतर कार्यान्वयन के लिए नीतियों और रणनीतियों का सुझाव देना

पद्धति

अध्ययन प्राथमिक और द्वितियक दोनों आंकड़ों पर आधारित होगा ये आंकड़े फील्ड तथा सरकारी स्रोतों से लिए जाएंगे। प्राथमिक आकड़ों का एकत्रीकरण नमूना सर्वेक्षण (मात्रात्मक) और सहभागी (गुणात्मक) पद्यतियों से किया जाएगा। सर्वेक्षण का मार्ग मुख्य रूप से लोगों की आजीविका प्रोफाइल की भिन्नता के माप को कुछ ऐसे संकेतको से संबंधित परिवर्तनों से तुलना करके तैय किया जाएगा जैसे परिसम्पत्तियों का बनाना, गतिविधियां, स्कीम के पहले और बाद में परिवार की आय का स्तर, उत्प्रवास का प्रभाव, महिला सहभगिता आदि। इस सर्वेक्षण को स्थानीय समुदाय के दृष्टिकोण को समझ कर सिद्ध किया जाएगा जिसके लिए अर्धसंरचित साक्षत्कार, अनौपचारिक सामुहिक चर्चा तथा संकेन्दित समूह चर्चा जैसी गुणात्मक पद्यतियों का इस्तेमाल किया जाएगा।

अध्ययन क्षेत्र का चुनाव, नमूना परिवार

यह अध्ययन दो राज्यों आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल में किया जाएगा। हॉलाकि इन राज्यों का चुनाव करने के पीछे मुख्य कारण गरीबी रेखा से नीचे रह रही ग्रामीण जनसंख्या है। एक अन्य कारक भी जिसे इस अध्ययन के लिए ध्यान में रखा गया है वह कर्मकार को गारन्टी की गई अधिकारिताओं और इस स्कीम के समग्र कार्यान्वयन और लोगों की आजीविका को मजबूत बनाने की दृष्टि से इस स्कीम की प्रभावशीलता है। उपरोक्त उद्देश्यों का प्राप्त करने के लिए अध्ययन चयनित राज्य के दो जिलों के किया जाएगा और प्रत्येक जिले के कुल दो खण्डों को कवर किया जाएगा। इस अघ्ययन का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे असंगठित कर्मकारों की रहन सहन की दशाओं पर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी अधिनियम के प्रभाव का पता लगाना है। यही कारण है कि इन दोनों राज्यों में जिलों और समुचित खण्डों का चयन द्वितीयक आंकडों के सकेतकों जैसे ग्रामीण जनसंख्या, गरीबी का घनत्व, अनुसूचित जाति और जन जाति की जनसंख्या का अनुपात, साक्षरता स्तर, लिंग अंतर और कृषि कार्य में लगी जनसंख्या के अनुपात पर आधारित होगा। नमूना परिवारों (एक खण्ड 250 परिवार) की पहचान उन परिवारों के बीच से की जाएगी जो परिवार पिछले वर्ष के दौरान स्कीम के लाभग्राही रहे होंगे।

(परियोजना निदेशक डॉ रुमा घोष, फेलो)

श्रम लिंग और केन्द्र

लिंग और श्रम केन्द्र की स्थापना का उद्देश्य श्रम बाजार में लिंगीय मुद्दों की समझ को सुदृढ़ बनाना और उसके समाधान के उपाय खोजना है। बाजार सुधारों के साथ साथ ऐसे मुद्दों ने अनुसंधान के आयामों में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया है। महिलाओं को श्रम बाजार में प्रवेश के लिए कई तरह की प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। उन्हें बहुधा पुरुषों को कार्य चुनने की आजादी के बराबर आजादी नही मिलती श्रम बल सहभगिता दर और रोजगार दर में लिंगीय अंतर वैश्विक श्रम बाजार की शाशवत विशेषता हैं। वैश्विक स्तर पर श्रम बाजार में लिंगीय असमानता हमेशा एक मुद्दा रहा है। इन मुद्दों के समाधान की जरुरत है ताकि श्रम बाजार में लिंगीय समानता सुनिश्चित की जा सके जिसके लिए अकादमिक और नीति दोनों स्तरों पर संगठित प्रयासों कर जरुरत है।

महिलाएं जिन आर्थिक गतिविधियों में काम करती हैं उन सेक्टरों में उन्हें बाधाओं का सामना करना पड़ता है। महिलाए अक्सर कुल रोजगार में असुरक्षित रोजगार के हिस्से के हिसाब से शोषित स्थिति में रहती हैं। इन कर्मकारों को घरेलू कर्मकारों की तरह असुरक्षित रोजगार की विशेषताओं वाले रोजगार में रखा जा सकता है विशेष रूप से ऐसे प्रवासी कर्मकारों को जिनके पास निम्न कौशल, निम्न आय तथा निम्न उत्पादकता है। सरोकार का दूसरा मुद्दा लिंगीय मजदूरी का अंतर है जिसके लिए हो सकता है विभिन्न कारक जिम्मेदार हों जैसे अत्यधिक कम मजदूरी अदा करने वाले उद्योगों में महिलाओं की सघनता, और कौशल और कार्य अनुभव में अंतर लेकिन हो सकता है ऐसा भेदभाव के कारण भी हो। इन बाधाओं के चलते, जिनका सामना महिलाओं को करना पड़ रहा है, लिंगीय समानता को बढ़ावा देना और महिलाओं को सशक्त बनाना महत्वपूर्ण स्थान रखता है ताकि सभी के लिए उत्तम कार्य तथा पूरा और उत्पादक रोजगार प्राप्त करने के नए लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके।

मक्रो क्रडिट और स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से कौशल विकास के लिए की गई पहल इस केन्द्र के प्रयास में शमिल होंगे। इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य, जो सामाजिक रूप से उत्पादित फिनोम्नन है, की जांच कामकाजी निर्धनों और विशेष रूप से महिलाओं के संदर्भ में की जानी है, जो ऐतिहासिक रूप से सामाजिक और राजनैतिक दृष्टि से हाशिए पर है। सीमान्त महिलाओं की स्वास्थ्य देखभाल में बढोतरी के लिए विभिन्न प्रकार के प्रयास किए गए है।

केन्द्र की गातिविधियों के ढांचे को ध्यान में रखते हुए यह अपेक्षित है कि लिंग तथा विशेष रूप से महिलाओं को लेकर संस्थान के स्तर को अनुसंधान, शिक्षा, प्रशिक्षण तथा पक्ष समर्थन के क्षेत्र में अग्रणी संस्थान के स्तर तक बढ़ाया जाए। इसके अतिरिक्त केन्द्र को महिला श्रमिकों पर आंकडों तथा प्रलेखों के शीर्ष भण्डार के रूप में देखे जाने के साथ साथ इस क्षेत्र के कार्यकर्ताओं और विशेषज्ञों के लिए परस्पर विचार विमर्श के मंच के रूप में समझा जाना चाहिए ताकि महिला श्रम के मुद्दों और लिंग की समझ को बढ़ाया जा सके।

अनुसंधसान के कोर क्षेत्र

- वैश्वीकरण के लिंग आयाम
  - ➲ नई अर्थव्यवस्था के उभरती प्रवृत्तियां
  - ➲ उत्तम कार्य
  - ➲ घरेलू कर्मकार मुद्दे और सरोकार
  - ➲ कार्य की दुनिया में लिंग समानता
- अनौपचारिक क्षेत्र में महिलाओं का सशक्ति करण
  - ➲ कौशल प्राशिक्षण और विकास
  - ➲ माइक्रो केडिट संस्थान तथा स्वयं सहायता समूह
- ग्रमीण श्रम बाजार में बदलते लिंग संबंध
  - ➲ बदलते कृषि संबंध तथा महिलाओं के रोजगार पर इनका प्रभाव
  - ➲ गैर फार्म ग्रामीण रोजगार में महिलाएं
- समाजिक सुरक्षा के लिंग पहलु
  - ➲ महिला कर्मकारों के लिए सामाजिक सुरक्षा स्कीमें: उभरते आदर्श और दृष्टिकोण
  - ➲ आजीविका में लिंगीय मुद्दे
- लिंग और स्वास्थ्य
  - ➲ बागान सेक्टर में लिंग तथा स्वास्थ्य मुद्दे
  - ➲ लिंगीय दृष्टिकोण के साथ स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रमों को समझना

विशिष्ट अनुसंधान प्रतिपाद्य विषय

- प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम का कार्यान्वयन
- क्रियानिष्ठ अनुसंधान (ग्रामीण शिविर) के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाना
- बागान सेक्टर में लिंग तथा स्वास्थ्य मुद्दे
- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी अधिनियम पर विशेष ध्यान केन्द्रित करते हुए रोजगार की विशिष्ट स्कीमों के लिंगीय आयाम
- मेहनतकश निर्धनों के लिए स्वास्थ्य कार्यक्रम
- अनौपचारिक क्षेत्र में महिला कर्मकारों पर कौशल प्रशिक्षण का प्रभाव
- जेण्डर बजटिंग

पूरी की गई अनुसंधान परियोजनाएं

(I) कामकाजी महिलाओं की प्रसवोत्तर श्रम बाजार सहभागिता: निजी क्षेत्र का मामला

पृष्ठभूमि

प्रसव के पश्चात श्रम बाजार में महिलाओं की सहभगिता अकसर उनकी बाद की व्यावसायिक प्राप्ति निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। (जेन्नीफर तथा रिले, 1998) जो महिलाएं कुछ सालों के लिए श्रम बाजार से बाहर रहती है उन्हें लगता कि वे अपनी मानव पूंजी खो रही हैं और जब वे दुबरा श्रम बाजार में प्रवेश करना चाहती है तो अक्सर उन्हें कम गुणवत्ता वाली स्थिति/या रोजगार प्राप्त होता है। इसके अलावा, ऐसे क्षेत्रों में, जहां बेरोजगारी की दर उच्च है, महिलाओं के लिए श्रम बाजार में पुनः प्रवेश करना कठिन है । इससे महिलाएं इस बात के लिए उत्प्रेरित रहती है कि वे भविष्य में कोई अन्य नौकरी खोजने के लिए नौकरी छोड़ने के बजाय यथा संभव लंबे समय तक प्रसूति छुट्टी लेना टालें । जब माताएं अपनी नौकरी नहीं छोड़ती हैं तो वे डाउनवर्ड व्यावसायिकता सचलता का अनुभव कर सकती हैं । अपने कैरियर की प्रगति और वेतन में गैर–माताओं के संबंध में बच्चों वाली महिलाएं दंडित होती हैं । यह कार्य संबंधी क्रियाकलापों में कामकाजी महिलाओं के वास्तविक या काल्पनिक निम्न प्रयास से संबंधित है (समयापेरि कार्य या यात्रा भत्ते की उपलब्धता में कमी बच्चों की बीमारी के कारण बढ़ी अनुपस्थिति में वृद्धि) । इसके अलावा, बच्चों वाली अनेक महिलाएं अंशकालिक कार्य करना पसंद करती हैं, इसका अर्थ है, पूर्णकालिक नियोजन पर वापस लौटने में बाद में आने वाली कठिनाई के पश्चात करियर के कम अवसर । इस सब से माताओं के वेतन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है । इस संदर्भ में वर्तमान अनुसंधान में, नौकरी बदलने और प्रसूति के पश्चात नियोजित महिलाओं के बीच श्रम शक्ति में अंतरालों के निर्धारकों का उल्लेख किया गया हैं जिसमें संगठनों द्वारा उपलब्ध कराए गए लाभों और कार्य संबंधी दशाओं पर ध्यान केन्द्रित किया गया है ।

आयु, लिंग के भेद तथा पारिवरिक जिम्मेदारियां अक्सर घेरलू महिलाओं को अन्तराल के बाद उन्हें स्थायी नौकरी प्राप्त करने से रोकती है और उन्हें मजबूर करती है कि वे कम मजदूरी वाले या अशंकालिक (अक्सर अस्थायी) रोजगार प्राप्त करें इस अवधि के दौरान मानव पूंजी की हानि और सामाजिक ढांचा बहुत सी महिलाओं को, विशेष रूप से स्नातक महिलाओं को इस बात के लिए मजबूर करता है कि श्रम बाजार में लौटने की इच्छा के बावजूद भी वे घर पर बैठे। उनके पुराने कौशल को पैना करने के लिए भी रोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम पर्याप्त नही है।

उद्देश्य

प्रसव के पश्चात श्रम बाजार में महिला श्रम शक्ति के निर्णय, उनकी बाद की व्यावसायिक उपलब्धि निर्धारित करने में अक्सर महत्वपूर्ण होते हैं (जेन्नीफर एण्ड रिले, 1998)। इस सन्दर्भ में मौजूदा अनुसंधान का यह प्रयास होगा कि प्रसव के पश्चात महिलाओं की श्रम बाजार में सहभागिता को प्रभावित करने वाले कारकों को, संगठनों द्वारा उनको उपलब्ध करवाए जा रहे लाभों तथा कार्य करने की दशाओं को विशिष्ट रूप से ध्यान केन्दित करते हुए उसी आलोक में देखा जाए मौजूदा अध्ययन के विस्तृत उद्देश्य निम्न प्रकार थे:

- देश में बाल सुरक्षा सुविधाओं के विधायी ढांचे पर दृष्टि डालना।

- कैरियर ब्रेक जॉब पैनल्टी और घटती हुई व्यावसायिक सचलता, यदि कोई है, पर दृष्टि डालना (इसमें श्रम शक्ति से अस्थायी रूप से वापसी की अवधि और समय तथा बच्चे को जन्म देने के पश्चात माताओं द्वारा श्रम बाजार में लौटने की प्रवृत्ति पर दृष्टि डाली गई है)।
- बच्चे को जन्म देने के पश्चात नियोजन के स्थायित्व की जांच करना ।

पद्धति, नमूना आकार और अध्ययन क्षेत्र

(क) आरंभतः बाल सुरक्षा सुविधाओं के विधायी ढांचे पर उपलब्ध द्वितीयक संगृहित किए जाएंगे और उनकी समीक्षा की जाएगी।

(ख) इसके पश्चात, नौएडा, गुड़गांव, गाजियाबाद और फरीदाबाद में स्थित आईटी, आईटीईएस फर्मों का पता लगाया जाएगा।

(ग) सूचना प्राद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्रों (साफ्टवेयर विकास) और आई टी एस (ज्ञान प्रोसेसिंस, व्यापार प्रोसेसेसिंग, कालसेटर आदि) सिले सिलाए वस्त्र तथा नर्सिंग

(घ) प्रश्नावली तैयार की गई और नोएडा स्थित फर्मों की प्रारम्भिक जांच की गई।

(ड) एक बार प्रश्नावली को अन्तिम रूप देने के पश्चात साक्षात्कार की प्रत्यक्ष और परोक्ष पद्यतियों का इस्तेमाल किया गया ताकि महिला कमकारों और नियोजके से अपेक्षित सूचनाएं प्राप्त की जा सकें।

(च) संरचित नमूनाकरण तकनीक का इस्तेमाल करके, 25–45 वर्ष के आयु समूह में आने वाली महिला कर्मकारों से संरचित प्रश्नावली के जरिए आंकड़े संगृहित किए गए ।

संगृहित आंकड़ों को आगे व्याख्या किए जाने के लिए सामाजिक विज्ञान पैकेज के लिए सांख्यिकीय पैकेज में प्रविष्टि के जरिए सारणीकृत किया जाएगा ।

निष्कर्ष

बहुत से लोग अभी भी महिलाओं के कार्य और परिवार के बीच संघर्ष को महिलाओं की समस्या के रूप में देखते हैं और समाज के बीच पुरुषों और महिलाओं के परम्परागत विचारों को व्यक्त करते हैं। पिछले समय में लोग अन्य गतिविधियों के साथ घरेलू कार्य किया करते थे जिनका सीधा संबंध उत्पादन से हुआ करता था। औद्योगिककरण के पश्चात् घरेलू कार्य और उत्पादन अलग अलग हो गए और लिंग आधारित श्रम विभाजन का कड़ा रूप प्रचलित हो गया। इस प्रकार महिलाओं को घर पर रह कर परिवार बढाने और बच्चों के पालन पोषण की जिम्मेदारी मिली और पुरुषों को घर से बाहर रह कर उत्पादक कार्यों की जिम्मेदारी मिली। इसके लिए उन्हें भुगतान की मिलने लगा। सांस्कृतिक रचना ने इस कठोर श्रम विभाजन के स्वरूप को प्राकृतिक विशिष्टता के रूप में बदल दिया इसके अतिरिक्त महिला की पत्नी और मां की भूमिका को धोखे में रखा गया और घर पर रह कर पूर्णाकालिक रूप से काम करना प्रतिष्ठा का प्रतीक मान लिया गया घरेलूपन को एक ऐसी पूजा पद्यति के रूप में स्थापित कर दिया गया जिसमें परिवार और घर प्रेम प्यार और बच्चों का पालन पोषण मुख्य हो गए और इसे महिला का संरक्षण प्राप्त हो गया। इसने दो विश्वासों को तर्क संगत बना दिया पहला यह घर पर रह कर बिना पारिश्रमिक के काम करना महिला का काम हो गया और दूसरे यह कार्य कभी भी कार्य नही माना गया (बैरियर और फेनर, 2004)

इतना होने पर भी अर्थव्यवस्था के लिए महिला की महत्ता में कभी कमी नही आई। ऐसा केवल इस लिए नही हुआ कि उसका घर के कामों (खाना बनाना, कपड़े धोना, स्वास्थ्य देखभाल और परिवार के सदस्यों के पोषण) दैनिक योगदान रहा बल्कि उनके उत्पादक कार्यों (चाहे उसके लिए कुछ मजदूरी मिले या नही) और परिवार को बचाए रखने और इसके कल्याण की रणनीतियों के कारण भी।

महिलाओं के घरेलूपन की रचना वास्तविक न होकर सांस्कृतिक है। लेकिन इसकी स्थापना की जड़ें इतनी गहरी हैं कि इससे जन नीतियों, उनके बीच श्रम विधान सामाजिक व्यवहार और पारिवारिक सौदेबाजी को बढ़ावा दिया है। इस क्षेत्र में दो भ्रान्तियां प्रचलित है और वे अवधारणाएं सशक्त अवधारणाएं हैं कि वे परिवार और कार्य के बीच तनाव पर आधारित हैं। सबसे पहला यह कि महिलाओं को अपनी पहली अग्रता के रूप में परिवार और बाल बच्चों की देखभाल करनी चाहिए और दूसरे श्रम बल, जिसकी आय पुरुष के लिए पूरक आय है को दूसरे स्थान पर रखना चाहिए।

विश्लेषण बताते है कि रिश्तों पर आधारित देखभाल को अभी भी अग्रता प्रदान की जाती है और भारत में कामकाजी महिलाओं द्वारा बच्चों की देखभाल की व्यवस्था बड़े पैमाने पर की जाती है। दादा, दादी, नाना, नानी, की भूमिका बच्चों की देखभाल में लगातार मजबूत बनी हुई है।

सुझाव और सिफरिशें

महिलाओं को कर्मकार के रूप में अपनी भूमिका निभाने के लिए परिवार, समाज, नियोजक तथा राज्य से सहायता और सहारे की अपेक्षा है। ऐसा करने से वह बच्चों को, मातृत्व को बिना कोई नुकसान पहुचाएं अपनी पुर्नउत्पादक भूमिका को भली भांति निभा पाएंगी और समाज को अपना योगदान उत्पादक कर्मकार के रूप में दे सकेगी। ऐसी स्थिति में प्रवर्तन के स्तर पर बच्चों की देखभाल और प्रसूति सहयता की आवश्यकता है क्योंकि अधिकांश नियम संगठित सेक्टर पर लागू होते है और कुछ सीमा तक उनका पालन सूचना प्रोद्यौगिकी, आई टी ई एस कंपनियों द्वारा किया जाता है। इस अध्ययन से यह पता चलता है कि अधिकांश महिला कर्मकार सिलेसिलाए वस्त्र तथा स्वास्थ्य सेक्टर में कार्यरत है। इस लिए इस अध्ययन में यह सिफारिश की गई है कि इन कानूनों के कार्यान्वयन और प्रर्वतन के लिए पर्याप्त कदम उठाए जाने चाहिएं।

महिलाएं स्वयं बच्चों की देखभाल और प्रसूति सुविधाओं के बारे में जागरूक नही है। अतः इस दिशा में गैर सरकारी संगठनों ट्रेड यूनियनो, वी वी गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान को चाहिए के जागरूकता फैलाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं

विश्व स्वास्थ्य संगठन की यह सिफरिश है कि स्तनपान यथाशीघ्र आरम्भ किया जाए और पहले छह महीने तक बच्चे को केवल मां का दूध दिया जाए और लगभग दो साल का होने तक बच्चे को स्तनपान के साथ पूरक आहार भी दिया जाए। अध्ययन से यह पता चलता है कि आई टी ई एस तथा स्वास्थ्य सेक्टर में काम करने वाली महिलाएं छह महीने से अधिक समय तक ब्रेक लेती है। इसका अर्थ यह हुआ कि बच्चों के लिए स्तन पान की अवधि अनिवार्य रूप से घट रही है। इस ओर पर्याप्त रूप से ध्यान दिए जाने की जरुरत है विशेष रूप से कार्यालय परिसरों में बच्चों के लिए क्रेच की सुविधा उपलब्ध कराने की नीति बनाते समय। ऐसा करने से शिशुओं के स्तनपान की अवधि को बढाया जा सकेगा। स्कूल जाने वाले बच्चों की माओं के लाभ के लिए और कार्यलय के समय में एक रूपता होनी चाहिए या स्कूलों को डे बोर्डिंग के रूप में काम करना चाहिए।

यह पाया गया है कि लड़कियां अपनी शादी और मां बनने को बच्चों की अपर्याप्त सुविधाओं के अभाव में टालती रहती हैं। करियर से संबंधित ब्रेक को कम करने के लिए यदि कोई हों तो प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम में संशोधन किया जाना चाहिए और बच्चों की देखभाल से संबंधित उपबंधों का अध्ययन किया जाना चाहिए।

(परियोजना निदेशक: डॉ शशि बाला, फेलो)

चल रही परियोजनाएं

(I) प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम का कार्यान्वयन

पृष्ठभूमि

भारत में कुल श्रम बल में महिलाओं की अच्छी खासी प्रतिशतता है। काम में महिलाओं की बढ़ती स्वीकार्यता, साक्षरता की बढ़ती दर और अपेक्षाकृत अधिक आयु में विवाह कुछ ऐसे मुख्य कारक है जो कार्यबल में महिलाओं के मजबूत योगदान में अपनी भूमिका निभाते हैं। महिलाओं की कार्यबल में उच्च सहभागिता के कारण अनुचित रणनीति, नीति तथा उनसे संबंधित मुद्दों से निपटने के लिए कानूनों की जरुरत होगी। उनमें एक महत्वपूर्व मुद्दा प्रसूति संरक्षण है।

समय बीतने के साथ साथ पूरे विश्व में प्रसूति संरक्षण में धीरे धीरे गति आई है। गर्भवती महिला कर्मकारों और प्रसूति के आधार पर उनके द्वारा सामना किए जाने वाला भेद भाव प्रसूति संरक्षण के अविभाज्य अंग है। मौजूदा प्रसूति मानक, रोजगार में भेदभाव के विरुद्ध कानून की मांग करते हैं जिसमें रोजगार तक पहुंच, पद्च्युति और छुटटी के दौरान रोजगार को बनाए रखने से संबंधित कानून भी शमिल हैं।

प्रसूति को संरक्षण प्रदान करना अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के प्राथमिक सरोकार और मुख्य पहल है 1919 में पहले अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन में प्रसूति संरक्षण पर पहली कन्वेंशन (कन्वेंशन संख्या 3) को अपनाया गया था। इस कन्वेंशन के बाद दो कन्वेंशन और पारित किए गए 1952 में कन्वेंशन संख्या 103 और 2000 में कन्वेंशन संख्या 183 जिन्होंने धीरे धीरे कार्य स्थल पर प्रसूति की हकदारिताओं के कार्यक्षेत्र का विस्तार किया।

संविधान के अनुच्छेद 42 में निर्देश दिए गए है कि राज्य कार्य की मानवीय दशाओं और प्रसूति प्रसुविधा से संबंधित उपबंधों को सुनिशिचत करेगा। इसके अतिरिक्त कतिपय स्थापनाओं में कतिपय अवधि के लिए बच्चे के जन्म से पहले और बाद में रोजगार की शर्तों को विनियमित करेगा और प्रसूति प्रसुविधा उपलब्ध करवाने के साथ साथ और कतिपय अन्य सुविधाओं के साथ भारत की संसद् ने प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961 को लागू किया। अब मुख्य प्रश्न यह है कि जिस उद्देश्य के लिए संरक्षण नियम बनाए गए थे वे उद्देश्य प्राप्त कर लिए गए है या नही/महिला कर्मकारों को उन संरक्षण वादी कानूनों से फायदा हुआ है या नही। यदि हम कार्यान्वयन की स्थिति पर नजर डालें तो यही पाते है कि महिला कर्मकार जिन लाभों की हकदार थी उन्हें नियमानुसार वे लाभ प्राप्त नही हुए हैं। केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त अध्ययन दलों और श्रम समस्याओं को लेकर गठित विभिन्न जांच समितियों की रिपोर्ट इन कानूनों के कार्यान्वयन की अपर्याप्तता की ओर इशारा करती है (शर्मा 2006) इस बात को मानना महत्वपूर्ण है कि पिछले कुछ वर्षों में श्रम बाजार महिलाओं की सहभागिता विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों मे बढ़ी है। इसके अतिरिक्त यह तथ्य भी सामने आया है कि शहरी क्षेत्रों के श्रम बाजार में महिलाओं की सहभगिता में युवतियों का योगदान है। भारत चूंकि लिंग अनुकूल श्रम बाजारों के सृजन के लिए प्रतिबद्ध है इस लिए बढ़ता अहसास यह है कि उन्हें कार्य का अनुकूल वातावरण प्रदान किया जाए।

उद्देश्य

उपरोक्त पृष्ठभूमि के आलोक में मौजूदा अध्ययन का प्रक्षेपण किया जा रहा है। इस अध्ययन का मुख्य उद्देश्य प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961 की संभावनाओं की जांच, चयनित अध्ययन क्षेत्र में इसके कार्यान्वयन और नियोजकों द्वारा इसे अगींकृत करने की दृष्टि से की जाए।

मौजूदा अध्ययन के उद्देश्य निम्न लिखित होंगे

- प्रसूति छुट्टी के उपबंधों के मुख्य पहलुओं का विश्लेषणः इसकी अवधि, लाभ और इसके वित्त पोषण के स्रोत
- प्रसूति पर अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के मानकों के संदर्भ में भारत के कानूनी उपबंधों की महत्ता/निहितार्थों को देखना/समझना
- प्रसूति प्रसुविद्या अधिनियम की नियोजक और लाभग्रहियों के दृष्टिकोण से जांच करना
- प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम के संबंध में न्यायालयों के समक्ष उठाए गए मुद्दों की जांच करना
- संगठन के भीतर प्रसूति संरक्षण के लिए किए गए अन्य उपायों की भी जांच करना
- प्रसूति से संबंधित मुद्दों के कारण कर्मकारों के बीच गैर नियमित कार्य के मुद्दों की जांच भी अध्ययन में की जा सकती है।

पद्धति

(i) अध्ययन के पहले चरण में प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम पर उपलब्ध द्वितीयक स्रोतों से प्राप्त आंकड़ो की समीक्षा की जाएगी। द्वितीयक स्रोतों के विश्लेषण के आधार पर अध्ययन क्षेत्र का चुनाव किया जाएगा और निजी क्षेत्र में तुलनात्मक अध्ययन का प्रयास किया जाएगा। {बहुराष्ट्रीय (आइ टी निर्माण) शिक्षा तथा सेवा}

(ii) स्तरण नमूना तकनीक का इस्तेमाल केवल उन निजी एककों को चुनने के लिए किया जाएगा बहुराष्ट्रीय आई टी निर्माण शिक्षा तथा सेवा) जिनमें 10 से अधिक कर्मकार नियोजित है।

(iii) संरचित नमूना पद्यति का इस्तेमाल केवल उन महिलाओं को चुनने के लिए किया जाएगा जो लाभग्राही है और प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, के अधीन लाभों की हकदार है।

(iv) प्रारिम्भक जांच के लिए ओपन एडिड प्रशानवलियां तैयार की जाएंगी।

(v) प्रश्नावलियों के लिए अपेक्षित सूचनाएं लाभग्रहियों, इच्छुक लाभग्रहियों तथा नियोजकों से गहन साक्षत्कार करके एकत्र की जाएंगी

अध्ययन क्षेत्र

एशिया में नोएडा सबसे बड़ा आयोजित औघोगिका शहर है। नोएडा में आवसीय और औद्योगिक उपक्रमों का अद्भुत मेल है। यह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का हिस्सा है और 20.316 हैक्टेयर भूमि पर फैला है जिसके अधिकांश सेक्टर पूरी तरह बसे हुए है और यह दिल्ली की पूर्वी/दक्षिणपूर्व सीमा पर उत्तर प्रदेश में स्थित है। यह दिल्ली महानगर के पास स्थित है। नोएडा का मुख्य उद्देश्य एक नए आयोजित औद्योगिक शहर को विकसित करना था जो दिल्ली के गैर कन्फरमिंग क्षेत्रों से उद्योगों को आकर्षित कर सके (अर्थव्यवस्था का विकेन्द्रीकरण) और लघु पैमाने की औद्योगिक इकाइयों को अपने में शमिल करके दिल्ली के उत्प्रवास में कमी कर सके। नोएडा के अतिरिक्त उपलब्ध द्वितीयक स्रोत तथा अन्य राज्यों में उपलब्ध द्वितीयक स्रोत तथा अन्य राज्यों में उपलब्ध साहित्य की समीक्षा के आधार पर वैयक्तिक अध्ययन के रूप पहचान की जाएगी और सर्वेक्षण किया जाएगा।

(परियोजना निदेशकः डॉ शशि बाला, फेलो)

पूर्वोत्तर अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केन्द्र

पूर्वोत्तर अनुसंधान केन्द्र

उत्तर–पूर्व क्षेत्र में अनुसंधान और प्रशिक्षण के लिए एक विशिष्टीकृत केन्द्र की स्थापना संस्थान में उत्तर–पूर्व क्षेत्र में श्रम तथा रोजगार के मुद्दों पर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए की गई थी। इस अनुसंधान केन्द्र का मुख्य उद्देश्य श्रम तथा रोजगार मुद्दों पर नीति उन्मुख अनुसंधान करना है जो उत्तर पूर्व क्षेत्र के सम्पूर्ण विकास के लिए रोजगार पैदा करने की रणनीतियों के विकास को सुविधाजनक बनाएगा। केन्द्र के अनुसंधान विषयों की पहचान निम्न रूप में की गई हैं:–

- भारत में आर्थिक विकास, रोजगार, गरीबी और विकास के संकेतक : पूर्वोत्तर क्षेत्र के साक्ष्य
- पूर्वोत्तर क्षेत्र में आर्थिक सुधारों का रोजगार पर प्रभाव
- पूर्वोत्तर क्षेत्र में गैर–कृषि रोजगार की संभावनाएं और भूमिका
- पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुल रोजगार में सेवा क्षेत्र की भूमिका और हिस्सा
- असुरक्षित समूह : बाल श्रमिक, ठेका श्रमिक और बंधुआ मजदूर
- पूर्वोत्तर क्षेत्र में आजीविका की रणनीति के रूप में आप्रवास
- रोजगार विस्तारण : पर्यटन की संभावना और भूमिका, हस्तशिल्प और कुटीर उद्योग तथा चाय बागान क्षेत्र
- पूर्वोत्तर क्षेत्र में युवा बेरोजगारों का मुद्दा
- पूर्वोत्तर क्षेत्र में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना तथा रोजगार की अन्य योजनाओं और पहल का प्रभाव

अनुसंधान परियोजनाएं चलाने के अलावा यह केंद्र विभिन्न पूर्वोत्तर राज्यों से संबंधित अनुसंधान शोधकर्ताओं को श्रम अनुसंधान पद्धति प्रशिक्षण प्रदान करने में भी सक्रियता से लगा हुआ है । यह केंद्र, चर्चाएं करने के लिए समय–समय पर अनुसंधान कार्यशालाएं भी आयोजित करता है जिनमें पूर्वोत्तर विश्वविद्यालयों और संस्थानों के सहभागियों को शामिल किया जाता है तथा केंद्र के अनुसंधान कार्यक्रमों को अंतिम रूप देता है ।

पूरी की गई परियोजनाएं

(I) विनियमित श्रम बाजार में जीवन का मूल्य : असम के चाय बागानों का अध्ययन

असम राज्य की अर्थव्यवस्था में चाय उद्योग मुख्य आजीविका प्रदान करने वाला उद्योग है । बागान श्रम अधिनियम, 1951 तथा असम चाय बागान पेंशन तथा भविष्य निधि ट्रस्ट के अधीन उपलब्ध सामाजिक सुरक्षा के अपेक्षित विनियमित उपबंधों के बावजूद अध्ययन और रिपोर्टें यह बताती है कि आजीविका के इस मुख्य साधना में श्रम मानकों की कमी है हालांकि निम्न श्रम मानक बागानों के केवल श्रमिकों को वंचित रखने के केवल एक हिस्से को ही दिखाते हैं। एक ऐसा भी पक्ष है जो कभी उजागर नहीं हुआ है वह है कार्य से संबंधित स्वास्थ्य जोखिम, मशीनों से लगी चोटें और बागान क्षेत्र में होने वाली मौतें स्वास्थ्य जोखिमों, चोटों और मौतों के संबंध में बहुत कम जानकारी उपलब्ध है ।

प्राथमिक अवलोकन से यह पता चलता है कि रसायनिक खतरों, दुर्घटनाओं तथा मशीनों से होने वाले खतरों जो फील्ड तथा चाय बागानों के कारखानों में होते है वे आम हैं । असम के सबसे बड़े आजीविका साधन में स्वास्थ्य जोखिमों तथा लगने वाली चोटों की घटनाओं का अनुमान नहीं लगाया गया है । प्राथमिक रूप से जो जानकारी उपलब्ध हुई है उससे पता चलता है कि बागान उद्योग में होने वाले खतरे और दुर्घटनाएं कर्मकारों की अक्षमता और नियोजकों द्वारा सुरक्षा के उपायों को न अपनाए जाने के कारण होती हैं । इसके अतिरिक्त, नियोजक सुरक्षा उपायों को अंगीकार करने में निवेश करने से भी बचते हैं और ऐसे उपकरण और मशीनें उपलब्ध नहीं करवाते जिन पर कर्मकार सुगमता से कार्य कर सकें । यहीं कारण है कि चाय बागानों में काम करने वाले मजदूर बीमारियों और दुर्घटनाओं का शिकार होते हैं और कार्य स्थल पर उनकी मौत हो जाती हैं । नियोजक कर्मकारों को ऐसी दुर्घटनाओं की प्रतिपूर्ति भी नहीं करते क्योंकि किसी नियामक ढांचे का वहां नितांत अभाव है ।

इस संदर्भ में किसी के मन में यह जिज्ञासा हो सकती है कि वह विश्व के सबसे बड़े चाय बागानों में व्यावसायिक सुरक्षा तथा कर्मकारों के लिए स्वास्थ्य जोखिमों की स्थिति के बारे में जाने । इसके अतिरिक्त चाय बागानों में अंगीकृत सुरक्षा उपायों तथा दुर्घटना जो फील्ड तथा कारखानों में होती है उनके लिए प्रतिपूर्ति के क्या–क्या उपाय किए गए हैं उन पर नजर डालने की आवश्यकता है । ऐसी रिपोर्ट असम राज्य के सबसे बड़े आजीविका साधन में जीवन का मूल्य और कार्य की उत्तमता के संबंध में जानकारी दे सकती है ।

(समन्वयकः डॉ. कल्याण दास)

(II) त्रिपुरा में नरेगा की कार्यकुशलता और औचित्य पहलू – स्थिति रिपोर्ट

त्रिपुरा का धलाई जिला देश के उन 200 जिलों में से एक था जहां राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम, जिसे बाद में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम के नाम से जाना गया 2 अक्टूबर 2009 से लागू की गई थी। प्रारंभिक तौर पर इसे 2006 में लागू किया गया था । राज्य के शेष जिलों में नरेगा के दूसरे चरण में लागू किया गया दो को दूसरे चरण में और एक को तीसरे चरण में त्रिपुरा भारत के उत्तर–पूर्व के 8 राज्यों में से एक हैं । यह एक स्थल राज्य है और राष्ट्रीय स्तर के मुकाबले यहां प्रति व्यक्ति आय कम है । राज्य में कोई महत्वपूर्ण उद्योग भी नही है यहां की अधिकांश जनसंख्या गांवों में निवास करती है और यहां रोजगार प्रदान करने में कृषि की महत्वपूर्ण भूमिका है । अधिकांश काश्तकार सीमांत अथवा अर्ध सीमांत प्रकार के हैं और औसत जोत का आकार जो 1990–91 में 0.97 हैक्टेयर था, 1995–96 में घटकर 0.60 हैक्टेयर रह गया है । ऐसी स्थिति में कोई भी निष्कर्ष निकाल सकता है कि यहा के ग्रामीण लोगों के पास रोजगार के पर्याप्त अवसर नहीं है । परिणामस्वरूप यहां घोर गरीबी है जो ग्रामीण परिवारों का लगभग 66.81 प्रतिशत है । नरेगा जो प्रति वर्ष 100 दिनों का कार्य उपलब्ध करवाता है उसके अंतर्गत कुल ग्रामीण 5.8349 लाख परिवारों में से केवल 5.3886 लाख परिवार ही आ पाए हैं ।

वर्तमान अध्ययन में यह प्रयास रहेगा कि इस स्कीम के फायदे संपत्ति बनाने के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था और ग्रामीण परिवारों को पहुंचे । डिलीवरी तंत्र की कमियां और ताकतों का भी मूल्यांकन किया जाएगा जिसका आधार फील्ड सर्वेक्षण होगा । सभी चारों जिलों को कवर किया जाएगा और प्रत्येक जिले से दो खण्ड लिए जाएंगे । एक खण्ड वह होगा जो संपन्न होगा और दूसरा पिछड़ा हुआ जिसका आधार रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने को बनाया जाएगा । उत्तरदाताओं की कुल संख्या 800 होगी प्रत्येक खण्ड से 100 अध्ययन के निष्कर्षों को पंचायती राज संस्थानों के तीनों

स्तरों के सदस्यों, अन्य पणधारियों तथा सरकारी अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और इस पर विचार–विमर्श होगा । त्रैमासिक रिपोर्ट पर पंचायती राज संस्थानों, ग्रामीण विकास अभिकरणों तथा वी.वी. गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान से विचार–विमर्श किया जाएगा । ऐसी आशा है कि इस विस्तृत मूल्यांकन से महात्मा गांधी नरेगा को बेहतर तरीके से कार्यान्वित करने में सहायता मिलेगी और राज्यों तथा केंद्रीय सरकार को अपनी नीतियां बनाने के लिए आवश्यक इनपुट मिलेगा ।

(समन्वयक: डॉ. अमिताभ सिन्हा)

(III) भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में रोजगार चुनौतियां–असंगठित विनिर्माण सेक्टर की संभावनाएं तथा भूमिका

इस अध्ययन का केंद्रीय उद्देश्य भारत के उत्तर–पूर्व क्षेत्र में उत्पादक रोजगार अवसर सृजन के लिए असंगठित विनिर्माण क्षेत्र के विकास के पैटर्न तथा बदलते ढांचे को समझना तथा उसका विश्लेषण करना है ।

संगठित विनिर्माण क्षेत्र की तरह ही असंगठित विनिर्माण क्षेत्र ने सुधार बाद अवधि के दौरान कर्मकारों की संख्या और सीापनाओं की संख्या दोनों में उल्लेखनीय वृद्धि देखी है । नीति निर्माण के क्षेत्र में अब यह माना जाने लगा है कि असंगठित विनिर्माण क्षेत्र, जिसमें बहुतायत छोटे और बहुत छोटे स्थापन है, में रोजगार अवसरों की अपार संभावनाएं है। अन्य सभी बातों के होते हुए भी असंगठित विनिर्माण क्षेत्र की स्पष्टतया उत्साहवर्धक निष्पादन दिखाई देता है । यह मुद्दा सरोकार का मुद्दा है क्योंकि इस क्षेत्र में उत्पादन का निम्न स्तर बना ही हुआ है । इसके नीचे उत्पादन स्तर के लिए इस्तेमाल की जाने वाली प्रौद्योगिकी का निचला स्तर, निवेश और उधार तक सीमित पहुंच और अन–अनुकूल बाजार स्थितियों जैसे कारक जिम्मेदार है । इन समस्याओं में से कुछ समस्याएं तो आर्थिक सुधारों और वैश्वीकरण के प्रक्रिया से घटने की बजाए बढ़ी है ।

इस अध्ययन में ऐसी बाधाओं को पहचानने का प्रयास किया जाएगा जो राज्य विशिष्ट और सेक्टर विशिष्ट हैं जिससे उन चुनौतियों और अवसरों से निपटने में सहायता मिलेगी जो सुधार प्रक्रिया से प्राप्त हुई है । प्रस्तावित अध्ययन में विशेष जोर ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की बाधाओं पर अलग–अलग दिया जाएगा क्योंकि ऐसा विश्वास किया जाता है, दोनों जगह स्थापनाओं का अलग–अलग समस्याओं का सामना करना पड़ता है । इससे सार्थक नीतिगत हस्तक्षेपों को वैध और सुदृढ़ आधार उपलब्ध हो सकेगा । अध्ययन के निष्कर्ष न केवल सेक्टर के लिए नीतियां और कार्यक्रम बनाने में सहायक होंगे बल्कि पूरे उत्तर–पूर्व अर्थव्यवस्था के लिए लाभदायक होंगे क्योंकि इनका संबंध गरीबी की चुनौतियों, बेरोजगारी तथा प्रवास से जुड़ा है ।

(समन्वयक डॉ. पी.पी. साहू)

चल रही परियोजनाएं

(I) उत्तर–पूर्व भारत के परिसंकटमय रोजगार में लगे प्रवासी तथा ऐसे बच्चे जिनकी खरीद फरोख्त की गई है : नागालैण्ड का मामला

काम पर लगाए जाने के लिए बच्चों की खरीद–फरोख्त तथा बच्चों को केवल रोजगार के उद्देश्य से उत्प्रवास दोनों प्रक्रियाएं ऐसी है जिन्होंने बच्चों की बहुत बड़ी संख्या को प्रभावित किया है । बच्चों की खरीद–फरोख्त में वे सारे कार्य

शामिल है जो भर्ती, व्यक्तियों को सीमा पार या सीमा के भीतर लाना ले जाना, बलपूर्वक कार्य लेना, कर्ज के फलस्वरूप दासता या धोखाघड़ी जो व्यक्तियों के काम पर लगाए जाने के उद्देश्य से की जाएं और व्यक्तियों को ऐसी स्थितियों में काम पर लगाना जिनमें उनका शोषण किया जा सके जैसे बलातः वेश्यावृत्ति, गुलामी, मारना–पीटना या अत्यधिक अत्याचार, पसीना बहाने वाला श्रम या शोषणकारी घरेलू सेवा आदि । आंकड़े अत्यधिक कम है और ऐसे है जिनपर विश्वास नहीं किया जा सकता । मात्रात्मक सूचनाएं अधिकांशतः सर्वेक्षण तथा अध्ययनों से एकत्र की गई हैं और अनुमानों के आधार पर उनका विश्लेषण किया गया है ।

नागालैण्ड में अधिकांश बच्चों की खरीद–फरोख्त भोन तथा ट्यूनसांग जिलों से की जाती है । इन बच्चों को मुख्य रूप से घरेलू कार्यों में लगाया जाता है लेकिन उन्हें दुकानों, रेस्तराओं, होटलों तथा मोटर कार्यशालाओं में भी लगे देखा जा सकता है । इसके अतिरिक्त उन्हें फार्मों पर भी लगाया जाता है । कुछ मामलों में उनका यौन उत्पीड़न भी किया जाता है । खरीदे गए ऐसे बच्चों में से जो घरेलू कार्य करते हैं, में से 80 प्रतिशत लड़किया हैं । इन जिलों से खरीदे गए बच्चों को नागालैण्ड के दीमापुर कोहिमा तथा मोकोचुग जैसे शहरों में ले जाया जाता है । कुछ बच्चों को बहुत दूर मध्य पूर्व, थाइलैण्ड, सिंगापुर और कुछ भारतीय राज्यों जैसे महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल आदि में भी भेजा जाता है । खरीद–फरोख्त के रास्ते स्थानीय परिस्थितियों या मांग और आपूर्ति जैसे मुद्दों के अनुसार बदलते रहते हैं। अधिकांश मामलों में उनकी दिशा और बहाव तर्क विरूद्ध लगता है। बच्चे अधिकतर/बहुधा खरीद–फरोख्त के खतरों से अनजान रहते हैं और उन्हें यह विश्वास रहता है कि उन्हें रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध होंगे उनकी कमाई बेहतर होगी । लेकिन ऐसी बातें छिपा कर रखी जाती है और उनका समाधान मुश्किल होता है ।

आज की तारीख तक नागालैण्ड में इन आंकड़ों का प्रलेखन नहीं हुआ है कि परिसंकटमय व्यवसायों में कार्यदल प्रवासी अथवा ऐसे बच्चे जिनकी खरीद की गई है, की वास्तविक संख्या कितनी है । जो थोड़ी बहुत जानकारी उपलब्ध है वह यह है कि इन बच्चों का अनौपचारिक क्षेत्र में गंतव्य स्थानों पर किस प्रकार इस्तेमाल किया जाता है और बच्चों की खरीद–फरोख्त करने या उनके उत्प्रवास की प्रक्रिया क्या है । वित्तीय बाधाओं के चलते ऐसे बच्चों का सर्वेक्षण नहीं हो पाता । अतः आंकड़ों का अभाव है । इसके साथ ही अनुसंधान पद्धति जो ऐसे कार्य के लिए उपयुक्त का भी अभाव है। इसके अतिरिक्त, इन इलाकों में यह मान्यता भी है कि राज्य में ऐसे बच्चे है ही नहीं । यही कारण है कि लक्ष्य प्राप्त करने में बाधाएं आती हैं । इस अध्ययन का उद्देश्य इस उलझी गुत्थी को सुलझाना है कि बच्चों की खरीद–फरोख्त के आगे–पीछे की कहानी क्या है और इन बच्चों की मांग और आपूर्ति के बीच क्या संबंध है और इस संबंध में समग्र बातों को ध्यान में रखते हुए सुझाव देना है तथा बच्चों की खरीद–फरोख्त को रोकने के साथ–साथ बच्चों की विभिन्न व्यवसायों में लगाने की प्रथा को रोकना है विशेष रूप से निकृष्टतम रूप में जिनमें बच्चों को रोजगार में लगाया जाना केवल खतरनाक ही नहीं बल्कि शोषणकारी भी है।

(समन्वयक : श्री टी. चुबायंगर)

(II) भारत के उत्तर–पूर्व क्षेत्रों में युवा बेरोजगारी का स्वरूप और चुनौतियां

यह अध्ययन उत्तर–पूर्व राज्यों में युवा बेरोजगारी की स्थिति पर केंद्रित है । इन राज्य में आर्थिक विकास धीमा है और इनकी जनसंख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है अथवा भविष्य में बढ़ने की आशा है । उपरोक्त संदर्भ में यह युवा बेरोजगारी की प्रकृति और व्यापकता, उसकी विभिन्न चुनौतियां तथा अर्थव्यवस्था पर भविष्य में पड़ने वाले प्रभावों का

अध्ययन करेगा । अध्ययन के विस्तृत उद्देश्य निम्नलिखित है – (क) रटोर परिवर्तन के वर्तमान संदर्भ में उत्तर–पूर्व क्षेत्र में श्रम बाजार परिदृश्य को परिस्थिति के अनुसार ढालना । इसमें भी विभिन्न सेक्टरों में रोजगार की गुणवत्ता तथा विस्तार पर अधिक ध्यान दिया जाएगा । (ख) युवा बेरोजगारी तथा आपूर्ति पक्ष के कारणों के सह–संबंधों का सिलसिलेवार विश्लेषण – इसमें भी आपूर्ति पक्ष के कारणों तथा रोजगार में लगने की स्थितियों पर अधिक ध्यान दिया जाएगा । (ग) संकटकालीन विकल्प के रूप में शहरी क्षेत्रों में उत्प्रवास के महत्व को समझना । (घ) युवा बेरोजगारी के लिंगीय आयामों की समीक्षा करना । (ड) मैदानी तथा पहाड़ी क्षेत्रों के बीच श्रम बाजार स्थितियों के बीच अंतर का पता लगाना ।

यह अध्ययन प्राथमिक तथा द्वितीय स्रोतों से प्राप्त आंकड़ों पर आधारित हेागा । द्वितीयक आंकड़ें सरकारी तथा गैर–सरकारी स्रोतों से चाहे वह प्रकाशित हो या अप्रकाशित से एकत्र किए जाएंगे । ये स्रोत सर्वेक्षण रिपोर्ट, सांख्यिकीय रिपोर्ट, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण रिपोर्ट पत्र–पत्रिकाएं जो उस क्षेत्र से या देश से संबंधित हों । प्राथमिक आंकड़ें फील्ड सर्वेक्षण के माध्यम से एकत्र किए जाएंगे। प्राथमिक आंकड़ें असम, नागालैण्ड, मणिपुर से यादृच्छिक नमूना प्रणाली का इस्तेमाल करके एकत्र किए जाएंगे । इसमें मानक साक्षात्कार अनुसूचियां तथा प्रश्नावलियां शामिल होंगी । ये आंकड़ें पारिवारिक नमूनों के माध्यम से एकत्र किए जाएंगे ।

(समन्वयक: डॉ. वी. किलंगला जमीर)

(III) पूर्वोत्तर भारत में गैर–कृषि रोजगार के विकास, गठन तथा निर्धारक तत्व

कृषि उत्पादन के संबंध में लोच तथा कृषि के क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्र में उच्चस्तरीय छिपी हुई बेरोजगार तथा अल्प बेरोजगारी से यह पता चलता है कि इस क्षेत्र को ग्रामीण गरीबी तथा ग्रामीण बेरोजगारी की समस्या के समाधान के क्षेत्र के रूप में देखा जा सकता है जैसाकि साहित्य की समीक्षा से संकेते मिलते है कि आरएनएफई पर होने वाले अधिकांश अध्ययन सम्पूर्ण देश या देश के किन्हीं हिस्सों से संबंधित है और उत्तर–पूर्व राज्यों के संबंध में कोई अध्ययन नहीं हुआ है । आज की तारीख तक आरएनएफई की गतिशीलता पर कोई व्यवस्थित अध्ययन नहीं हुआ है जो सम्पूर्ण क्षेत्र के लिए हो । इस क्षेत्र में पिछले तीस वर्षों से अधिक समय तक जनसंख्या की दशकीय वृद्धि बड़ी तेजी से हुई है (पिछले तीन दशकों में 35 प्रतिशत से अधिक) क्षेत्र का शहरीकरण भी सही दिशा में हो रहा है और क्षेत्र में विकास के कार्यकलाप हो रहे है जो अधिकांशतः सरकार द्वारा किए जा रहे हैं । कृषि योग्य भूमि और व्यक्तियों के बीच का अनुपात इस अवधि के दौरान और घटा है क्योंकि कृषि जोतों के आकार में लगातार कमी आ रही है । पिछले कुछ वर्षों से इस क्षेत्र में शैक्षिक बेरोजगारी बढ़ी है विशेष रूप से 1990 के दशक में । इस क्षेत्र का मानव विकास सूचकांक पूरे भारत के मुकाबले अधिक है लेकिन इस क्षेत्र का आर्थिक विकास पिछड़ा है (1.2 प्रतिशत प्रति व्यक्ति) विशेष रूप से 1990 के दशक में । विशेषज्ञ व्यक्तियों की राय में ऐसी स्थिति उत्तर–पूर्व समाज में सामाजिक तनाव में बढ़ोतरी कर सकती है । कृषि क्षेत्र धीरे–धीरे लेकिन लगातार विकास कर रहा है और आधुनिक बनता जा रहा है । इस प्रकार इन सभी विकास कार्यों ने कार्य बल की उपलब्धता, प्रकृति और गठन में प्रत्यक्ष परिवर्तन कर दिया है । इस क्षेत्र के लिए नीतियां बनाने पर इसके गंभीर परिणाम सामने आए हैं ।

मोटे तौर पर किए गए अनुमानों से यह पता चलता है कि 2001 की जनगणना के आधार पर इस क्षेत्र का आरएनएफई अखिल भारतीय औसत और एनएसएस के 55वें चक्र में 29 प्रतिशत और 24 प्रतिशत के मुकाबले क्रमशः 39 प्रतिशत

और 32 प्रतिशत रहा है । इस क्षेत्र के बहुत से अर्थशास्त्री और नीति निर्माताओं की यह राय है कि मामूली–सा आर्थिक विकास और कमजोर औद्योगिक विकास के संदर्भ में ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार का अधिकांश विचलन हो सकता है नीची अंतिम सेवाओं को निम्न दें । क्या यह स्थिति वैद्यनाथन के शेष बचे सैक्टर के हाइपोथीसिस की पुष्टि तो नही कर रही है । यह क्षेत्र विविधता से पूर्ण है और विभिन्न क्षेत्रों में अपनी उप–क्षेत्रीय विशिष्टताओं का प्रदर्शन करता है जिसमें इसकी अर्थव्यवस्था, भूगोल, सामाजिक–आर्थिक और सांस्कृतिक प्रथाएं शामिल हैं । इस प्रकार की विविधताओं की मौजूदगी के कारण गैर–कृषि क्षेत्र में रोजगार की गतिशीलता, आय सृजन के आयामों का विश्लेषण के एकल ऊंचे या एकसार अथवा एक समान हाइपोथिसिस में स्पष्टीकरण कराना आसान नहीं होगा । इन कारणों के आलोक में इस अध्ययन में यह प्रस्तावित है कि सामान्य रूप से उत्तर–पूर्व में और विशेष रूप से असम और मेघालय में आरएनएफई के निर्धारक तत्वों, विस्तार तथा प्रकृति पर सुव्यवस्थित अध्ययन का प्रस्ताव है । विशेष रूप से हमारे अनुसंधान का उद्देश्य उत्तर–पूर्व क्षेत्र में गैर–कृषि ग्रामीण रोजगार के विकास निर्धारक तत्वों, सेक्टोरल गठन, प्रकृति तथा प्रवृत्तियों का परीक्षण करना है । यह अध्ययन दोनों तरह के आंकड़ों प्राथमिक और द्वितीयक आंकड़ों पर आधारित होगा । प्राथमिक तथा द्वितीयक आंकड़े जनगणना, एनएसएसओ, सीएमआईई तथा अन्य प्रकाशनों से लिए जाएंगे । प्राथमिक आंकड़े 1000 परिवारों जो असम और मेघालय के 5 जिलों और 15 गांव तक विस्तारित होंगे, से एकत्र किए जाएंगे । आंकड़ों का विश्लेषण करने के लिए गुणात्मक और मात्रात्मक पद्धतियों को इस्तेमाल किए जाएंगे।

(समन्वयक: डॉ. भागीरथी पाण्डा)

(iv) पूर्वोत्तर क्षेत्र से शहरी केंद्रों पर उत्प्रवास : दिल्ली क्षेत्र का एक अध्ययन

यह देखा गया है कि पिछले कुछ वर्षों से सचल जनसंख्या (विशेषतः युवाद) की उत्तर–पूर्व राज्यों से देश के मुख्य शहरी केंद्रों पर मौजूदगी देखी जा रही है । ये केंद्र मूल रूप से दिल्ली, बंगलौर, मुम्बई, कलकत्ता, चेन्नई, चण्डीगढ़, पुणे तथा हैदराबाद आदि हैं । युवाओं की मौजूदगी विश्वविद्यालयों में विद्यार्थियों के रूप में उच्च शिक्षण संस्थानों में, और सेवा सेक्टर के व्यवसायों, जैसे रेस्तराओं, पैरा–मैडिकल, काल सेंटरों, घरेलू तथा देखभाल सेवाओं, ब्यूटी पार्लरों, सत्क्रम संबंधी सेवाओं तथा सेवा सेक्टर के अन्य कार्यों में लगे देखा जा सकता है।

प्रारंभिक रूप से एकत्र की गई जानकारी और विशेषज्ञों से हुई बातचीत से यह पता चलता है कि युवा वर्ग का उत्तर–पूर्व राज्यों से शहरी केंद्रों में उत्प्रवास के कारणों में निम्नलिखित शामिल हैं – (क) शैक्षिक (ख) रोजगार (ग) अन्य अनुकूल परिस्थितियों जहां के स्थानीय श्रम बाजार में रोजगार की क्षीण संभावनाएं ही उत्तर–पूर्व क्षेत्र से शहरी क्षेत्रों में उत्प्रवास का मुख्य कारण है । उत्तर–पूर्व राज्यों में शिक्षित युवा वर्ग के लिए रोजगार के घटते अवसर या उनकी संख्या में हो रही बढ़ोतरी का कारण उस क्षेत्र में औद्योगिक विकास का नीचा स्तर तथा आधुनिक सेक्टर और व्यवसायों का कम विस्तार है । सरकारी तथा सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार की स्थिति ने स्थिति को और गंभीर बना दिया है । श्रम बाजार में श्रमिकों की कम खपत और शहरी क्षेत्रों में रोजगार के खुलते अवसरों ने युवाओं को शहरी क्षेत्र के केंद्रों में प्रवास के लिए प्रेरित किया है (कम से कम कुछ मामलों में) ताकि वे रोजगार के बेहतर अवसरों की तलाश कर सकें । क्षेत्र में राजनीतिक अस्थिरता, हिंसा तथा गरीबी ने भी युवाओं के निर्णयों को प्रवास के लिए प्रभावित किया है । इसके साथ–साथ बड़े–बड़े शहरों में उनका काम करने का सपना और नई अर्थव्यवस्था में काम करने के अवसरों की तलाश भी उनके प्रवास का कारण है ।

इस पृष्ठभूमि में वर्तमान अध्ययन युवाओं के उत्तर–पूर्व क्षेत्रों से प्रवास जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में उनके प्रवास फील्ड आधारित अध्ययन पर केंद्रित किया जाएगा । अध्ययन के विशिष्ट उद्देश्य निम्न प्रकार है– (क) उत्तर–पूर्व क्षेत्र से

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (अध्ययन क्षेत्र) में युवाओं के उत्प्रवास की विशेषताओं, प्रक्रिया, विशिष्ट पैटर्न को समझना (ख) उत्तर–पूर्व क्षेत्र से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (अध्ययन क्षेत्र) में युवाओं के उत्प्रवास के मुख्य कारणों का विश्लेषण करना और उनकी पहचान करना (ग) ऐसे महत्वपूर्ण शहरी व्यवसायों का खाका तैयार करना जिनमें उत्तर–पूर्व से आए श्रमिकों की बहुतायत है और इस प्रवृत्ति के कारणों की जांच करना । (घ) उत्तर–पूर्व क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में युवाओं के उत्प्रवास में सामाजिक नेटवर्किंग तथा संस्थागत/अभिकरण नेटवर्क की भूमिका का विश्लेषण करना (ड) उत्तर–पूर्व क्षेत्र से प्रवासित कर्मकारों द्वारा शहरी क्षेत्रों में जिन सांस्कृतिक समायोजनों का सामना किया जाता है उनके कारणों पर विचार–विमर्श करना (च) शहरी केंद्रों में उत्तर–पूर्व राज्यों से प्रवासी युवाओं की दशाओं को सुधारने और नीतिगत हस्तक्षेप के लिए आवश्यक सुझाव देना ।

(समन्वयक: डॉ. बाबू पी रमेश)

(v) पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्वयं सहायता समूहों का गठन और महिलाओं के बीच व्यावसायिक ढांचे में तथा पैटर्न में परिवर्तन

देश के भीतर वित्तीय दशा सुधारने और स्वरोजगार सृजन के लिए दो महत्वपूर्ण कार्यक्रमों (i) एसएचजी बैंक–नाबार्ड का लिंकेज कार्यक्रम और (ii) ग्रामीण विकास मंत्रालय का एसजीएसवाई गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, ने स्वयं सहायता समूह माडल अपनाया है । दोनों कार्यक्रमों ने स्वयं सहायता समूहों के गठन और स्व–रोजगार सृजन के लिए समाज की महिलाओं को लक्ष्य बनाया है । एसएचजी बैंक लिंकेज कार्यक्रम में माइक्रो फाइनेंस सेक्टर का एक आदर्श रूप में, माइक्रो सेविंग से शुरू करके माइक्रो क्रेडिट और माइक्रो स्थापन तक जाता है । इस प्रकार यह माइक्रो आजीविका की वृद्धि के माध्यम से रोजगार के अवसर प्रदान करता है और गरीब उन्मूलन काल है । बेरोजगारी और गरीबी की समस्या से निपटने के लिए नाबार्ड ने मार्च 2006 से कौशल विकास के लिए माइक्रो स्थापना विकास कार्यक्रम चलाया है । इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य परिपक्व स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों की क्षमता में वृद्धि करना है ताकि वे माइक्रो स्थापना को अपने हाथ में ले सकें । जिससे इनके कौशल का उन्नयन हो । विकास हो सके जो काम वो अभी कर रहे हैं या भविष्य में करेंगे । चाहे वह कार्य खेतों में करें या गैर–फार्मों में करें । इस कार्यक्रम के माध्यम से स्थापन प्रबंधन, व्यापारिक गतिशीलता तथा ग्रामीण बाजार पर सहभागियों की जानकारी को बढ़ाना है । एसएचजी–बैंक लिंकेज कार्यक्रम उत्तर–पूर्व क्षेत्र की महिलाओं के विकास के आय सृजक कार्यकलापों तथा रोजगार सृजन के लिए सुसंगत है।

उत्तर–पूर्व राज्यों में शिक्षा में सुधार, प्रशिक्षण आधारभूत सुविधाओं, सूचना प्रौद्योगिकी तथा स्वयं सहायता समहों तथा सरकारी केन्द्रित प्रयासों जैसे नई संस्थागत व्यवस्थाओं के कारण उनके परम्परागत व्यवसायों में भारी परिवर्तन आया है । एसएचजी बैंक लिंकेज कार्यक्रम ने महिला सदस्यों के बीच वित्तीय, समावेश तथा स्वरोजगार सृजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है । अध्ययन का यह निष्कर्ष है कि जहां तक उत्तर–पूर्व क्षेत्र का संबंध है, कई कारणों से, उनमें महिलाओं के बीच स्व–रोजगार सृजन पर एसएचजी लिंकेज कार्यक्रम के प्रभाव पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया है । इसके अतिरिक्त, बहुत से अध्ययन द्वितीय स्रोतों से प्राप्त सूचनाओं के प्रति एक पक्षीय है ।

वर्ष 2008–09 तक, एसएचजी बैंक लिंकेज कार्यक्रम के तहत पूरे देश में केवल 4 प्रतिशत स्वयं सहायता समूहों का गठन हो पाया था । इस निष्फल निष्पादन के लिए बहुत से कारणों को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है।

इन परिस्थितियों में यह समीचीन होगा कि एसएचजी बैंक लिंकेज कार्यक्रम के संबंध में एक अध्ययन किया जाए जिसमें व्यावसायिक ढांचे और उत्तर–पूर्व क्षेत्र में महिलाओं के पैटर्न पर बैंक के प्रभाव का मूल्यांकन किया जाए । मौटे तौर पर अध्ययन में दो विस्तृत मुद्दों पर विचार किया जाएगा।

(क) प्रकाशित आंकड़ों का इस्तेमाल करके उत्तर–पूर्व क्षेत्र के सभी आठ राज्यों में महिलाओं के व्यावसायिक वितरण का सूक्ष्म स्तरीय विश्लेषण करना ।

(ख) कार्यक्रम कार्यान्वयन से पूर्व और पश्चात के चरणों में व्यावसायिक परिवर्तन पर एसएचजी बैंक लिंकेज कार्यक्रम के प्रभाव का सूक्ष्म स्तरीय विश्लेषण करना ।

(समन्वयक: डॉ. शुभरांशु त्रिपाठी)

(vi) कार्यबल सहभागिता का अध्ययन और अरुणाचल प्रदेश में ग्रामीण महिलाओं का टाइम–यूज पैटर्न

पूर्वोतर भारत के अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में महिलाए कृषि, खाना बनाने, घर की देखभाल, बच्चों की देखभाल, जलावन तथा पानी लाना, जंगल के उत्पादों को एकत्र करने, पशुओं की देखभाल करने, अनाज का भण्डारण आदि कार्यों में लगी हैं। परिवार के रख रखाव का अधिकांश महत्वपूर्ण काम बड़े पैमाने पर महिलाओं द्वारा किया जाता है। मानव वैज्ञानिकों तथा इतिहासकारों के अनुसार मानव इतिहास में महिलाएं खाना, वस्त्र तथा हस्तशिल्प की उत्पादक रही है। इसके अतिरिक्त महिलाएं लघु पैमाने के निर्वाह क्षेत्र के उत्पादन में मुख्य श्रम इनपुट उपलब्ध करवाती रही हैं। महिलाओं द्वारा किया गया कार्य बहुधा दिखाई न पड़ने वाला या ध्यान में न रखा जाने वाला कार्य या श्रम बल सहभगिता के हिसाब में लिया जाने वाला आंशिक कार्य ही कहलाता है। उनका कार्य आयु, लिंग, आय व्यावसायिक समूह, अवस्थिति, आकार, और परिवार के आकार के अनुसार भिन्नता रखता है क्योंकि महिलाओं का कार्य अधिकांशतः स्वयं के उपभोग के लिए होता है, उनके द्वारा किए गए अधिकांश कार्य को राष्ट्रीय आय के आंकड़ों में 'कार्य' के रूप में मान्यता नही दी जाती।

महिलाओं के कार्य, श्रम का लिंगीय विभाजन और महिलाओं की कार्य सहभागिता पर पूरे विश्व में कई अध्ययन किए गए हैं। ऐसे बहुत से अध्ययनों से, जिनमें मुख्य रूप से ग्रामीण समाज को केन्द्र में रखा गया है, यह पता चलता है कि भारतीय महिलाएं, विशेष रूप से ग्रामीण महिलाएं, घर के भीतर और बाहर दोनों में विभिन्न प्रकार की सामाजिक आर्थिक भूमिकाएं निभाती है। मौजूदा अध्ययन में भी यह प्रयास किया गया है कि अरुणाचल प्रदेश राज्य में विशेष रूप से लिंगीय मुद्दों का विश्लेषण, ग्रामीण क्षेत्रों में उनकी कार्य सहभागिता दर, उनके होने और उनकी उत्तरजीविता, शैक्षिक उपलब्धियो, रोजगार पैटर्न और निर्णय लेने में उनकी हिस्सेदारी की दृष्टि से किया जाए। यह अध्ययन इस मुद्दे पर सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण तथा टाइम यूज सर्वेक्षण के माध्यम से बनाए गए प्राथमिक आंकड़ो की सहायता से आवश्यक कार्रवाई करेगा। इस अध्ययन के मुख्य उद्देश्य निम्न प्रकार हैं–

1. वर्ष 1971 से भारत तथा अरुणाचल प्रदेश में महिला श्रम बल सहभागिता के क्षेत्रीय पैटर्न तथा अतः अल्पकलिक परिवर्तनों का अध्ययन
2. अरुणाचल प्रदेश में कार्यबल सहभागिता में अतः जिला विभिन्नताएं और स्तरों का अध्ययन।
3. अरुणाचल प्रदेश के उन गावों में, जिनका सर्वेक्षण किया गया है, पुरुषों और महिलाओं द्वारा घरलू कार्यों पर लगाए गए समय का अध्ययन
4. श्रम विभाजन की मौजूदगी की जांच (एस एन ए में, विस्तारित एसएनए तथा गैर एसएनए कार्य में) राज्य की विभिन्न अनुसूचित जन जातियों के बीच लिंग के अनुसार
5. विभिन्न गतिविधियों पर महिलाओं के टाइम–यूज पैटर्न पर सामाजिक आर्थिक स्तर, शिक्षा तथा आयु जैसे पृष्ठभूमि विशेषताओं के प्रभाव की जांच करना

(समन्वयक: डॉ वंदना उपाध्याय)

(vii) पूर्वोतर राज्यों में फसल के पैटर्न में परिवर्तन और किसानों तथा कर्मकारों की आजीविका, आय, रोजगार पर उसका प्रभाव

भारत के कुल श्रम बल का लगभग 60 प्रतिशत हिस्सा कृषि पर निर्भर करता है जबकि उनका सकल घरेलू उत्पाद में योगदान 1/5 से कुछ ज्यादा है। कृषि और इसके ऊपर निर्भर जनसंख्या के आकार से प्राप्त सकल घरेलू उत्पाद के बीच बेमेल ने विभिन्न सेक्टरों में लगे कर्मकारों के बीच प्रति व्यक्ति आय की खाई को चौड़ा कर दिया है। फसल के पैटर्न में परिवर्तन हुए है। इन परिवर्तनों से फार्म सेक्टर के भीतर खाद्य नकद फसलें और स्थापन की दरों में सुधार के बाद की अवधि मे बढोतरी हुई है। नकद फसलों के लिए फसलों के पैटर्न में परिवर्तन से रोजगार की लोच में कमी आई है और किसान बाजार की चंचलता के संपर्क में आए है। कमजोर श्रम बाजार श्रम गतिशीलता और सौदेबाजी को रोकता है। श्रम को कम अवशोषित करने वाली नकद फसलों के हानिकारक प्रभाव इस प्रकार है (1) यह समर्थन मजदूरी को समाप्त कर देता है और लिंग मजदूरी के अन्तर को बढ़ा देता है जो अन्ततः श्रमिकों और उनके रिश्तेदारों की खरीद शक्ति और जीवन स्तर को कम कर देती है (2) किसानों और फार्म पर काम करने वाले लोगों को घरेलू उत्पाद और खाद्य पदार्थों से इनकार किया जाता है। (3) निर्यात बाजार पर आश्रित फसलें मूल्यों की अस्थिरता का शिकार अधिक होती है। (4) अकाल और गरीबी का इतिहास यह बताता है कि किसान और सामाजिक रूप से कमजोर समूह किसी भी आर्थिक खलबली के सबसे पहले और गभीर आघात के शिकार रहे है। विशेष रूप से पूर्वोतर राज्यों में विभिन्नता भरी फसलों का नकद फसलों में वृद्धि होने का पृष्ठपट के विरुद्ध देखा जा सकता है। क्षेत्र में सामाजिक रूप से कमजोर अनुपात समूह राष्ट्रीय औसत से कही अधिक है।

भारत में व्यापार उदारवाद के सन्दर्भ में फसलों के पैटर्न में परिवर्तन के प्रभाव का विश्लेषण मोटे तौर पर माइक्रो स्तर पर किया गया है। इसमें कृषि के निर्यात, कृषि की रोजगार लोच, कृषि वृद्धि में उच्च मूल्य की फसलों की भूमिका और लोगों के निवेश में कमी पर ध्यान केन्द्रित किया गया है। साहित्य के गहन अध्ययन ने यह पता चलता है कि मैक्रो स्तर पर यह मान लिया गया है कि फसलों के पैटर्न में आए परिवर्तनों ने देश के सभी समाजों को समान रूप से प्रभावित नही किया है। मौजूदा अध्ययन में उन राज्यों के श्रम बाजार, मजदूरी और रोजगार पर परिवर्तन से संबंधित मुद्दों पर नजर नही डाली गई है, जहां सामाजिक रूप से कमजोर समूहों का जनसंख्या में बड़ा हिस्सा है। इन अध्ययनों में माइक्रो स्तर पर केवल द्वितीयक सूचनाओं का प्रयोग किया गया है। यही कारण है कि क्षेत्र विशिष्ट और सामाजिक समूह विशिष्ट नीति विकसित नही की जा सकती। इसी पृष्ठ पट में मौजूदा अध्ययन में एकत्र समझदारी में अन्तर को पाटने का प्रयास त्रिपुरा के मामले के विशिष्ट उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए किया गया है। कुछ मुख्य उद्देश्य इस प्रकार है –(i) त्रिपुरा में फसलों के पैटर्न में परिवर्तन का रोजगार, कृषि मजदूरों की वास्तविक मजदूरी, सभी सामाजिक समूहों के बीच किसानों की आय और आर्थिक श्रेणियों पर प्रभाव (ii) त्रिपुरा में निर्यात उन्मुख/औद्योगिक कच्चा माल के मूल्यों में उतार चढाव और फार्मो पर आश्रित जनसंख्या के रोजगार तथा वास्तविक मजदूरी और रोजगार पर पड़ने वाले प्रभाव (iii) विवेकपूर्ण फसल मिश्रण का अध्ययन और सुझाव जिससे त्रिपुरा के लोगों के निरन्तर चलने वाले व्यवहार्य आजीविका स्तर को सुनिश्चित किया जा सकेगा।

(समन्वयक: डॉ मोहना कुमार)

जलवायु परिवर्तन तथा श्रम केंद्र

जलवायु परिवर्तन एक वैश्विक सरोकार है और भारत में जहां लोगों की बहुत बड़ी संख्या कृषि पर निर्भर है और उनकी आजीविका का मुख्य साधन अनौपचारिक क्षेत्र है वहां जलवायु परिवर्तन संकटपूर्ण है । जलवायु परिवर्तन से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर आवश्यक कार्रवाई करने और इसका संबंध कार्य की दुनिया से स्थापित करने के लिए वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान ने एक नए अनुसंधान केंद्र की स्थापना वर्ष 2010 में की है । इस नए केन्द्र का नाम जलवायु परिवर्तन तथा श्रम केंद्र रखा गया है । इस अनुसंधान केंद्र का मुख्य उद्देश्य जलवायु परिवर्तन पर नीति अभिमुखीकरण अनुसंधान करना और इसका संबंध श्रम तथा आजीविका से स्थापित करना है । वर्ष 2010–11 के लिए कोर क्षेत्र के निम्न रूप में रखा जा सकता है ।

केंद्र के अनुसंधान के कोर क्षेत्र

- जलवायु परिवर्तन श्रम और आजीविका के बीच अन्तर संबंधों को समझना ।
- जलवायु परिवर्तन की रोजगार चुनौतियां तथा ग्रीन जॉब में संक्रमण ।
- आजीविका की अंगीकरण तथा प्रवास रणनीतियों का मूल्यांकन–जलवायु की नाजुक स्थिति, तथा मैक्रो, मैसो तथा माइक्रो स्तर पर हो रहे परिवर्तन ।
- जलवायु परिवर्तन और प्रवास पर इसका प्रभाव ।
- प्राकृतिक संसाधनों, जंगलों तथा कॉमोन्स पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव ।

विशिष्ट अनुसंधानीय मुद्दों में निम्नलिखित शामिल है –

- ऐसे नाजुक स्थिति वाले श्रमिकों पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव जो आजीविका खेती, अनौपचारिक अर्थव्यवस्था पर्यटन सैक्टर, समुद्र तटीय मछली पालन/नमक/खेती ऐसे समुदाय तथा अनुसूचित जनजातियां जो स्थानीय जंगलों पर निर्भर हैं ।
- जलवायु परिवर्तन पर काबू पाने के लिए माइक्रो नीतियों का पुनः ओरिएंटेशन करने, नौकरी पाने का संरक्षण करने और उत्पादन प्रक्रिया को समझने में नियोजकों तथा ट्रेड यूनियनों की भूमिका
- अति–अनिश्चित मानसून तथा बाढ़ सूखे कारण कृषि उत्पादन में कमी के साथ खाद्य सुरक्षा के बीच संबंध स्थापित करके इसके ऊपर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को समझना ।
- जलवायु परिवर्तन को अंगीकृत करने और आजीविका सुरक्षा के बचाव के लिए नरेगा की भूमिका की समीक्षा ।
- जलवायु परिवर्तन और लिंगीय मुद्दे ।
- उत्प्रवास प्रक्रिया के तेज करने में जलवायु परिवर्तन का प्रभाव ।
- जलवायु परिवर्तन की स्थानीय अवधारणाओं, स्थानीय कोपिंग क्षमताओं तथा मौजूदा अंगीकरण रणनीतियों को समझना ।
- विभिन्न पणधारियों के लिए जलवायु परिवर्तन विज्ञान, इसकी संभावनाएं और विभिन्न अंगीकरण तथा प्रवास

अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्किंग केन्द्र

वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान अन्य बातों के साथ–साथ ऐसे मुख्य अन्तर्राष्ट्रीय संस्थानों के साथ प्रोफेशनल सहयोग स्थापित करने के प्रति समर्पित है, जो श्रम तथा इससे संबद्ध मुद्दों पर कार्य कर रहे हैं। तदनुसार संस्थान ने पिछले कई वर्षों से अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, संयुक्त राष्ट्र बाल निधि, विश्व स्वास्थ्य संगठन, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, अन्तर्राष्ट्रीय सामाजिक इतिहास संस्थान और अन्तर्राष्ट्रीय अध्ययन संस्थान जैसे अन्तर्राष्ट्रीय संस्थानों के साथ अपने संबंधों को प्रगाढ़ किया है। अभी हाल ही के कुछ वर्षों में संस्थान ने कुछ नई पहल की हैं, जिनसे न केवल अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और संयुक्त राष्ट्र बाल निधि जैसे संगठनों के साथ सहयोग को बल मिला है बल्कि जापान श्रम नीति तथा प्रशिक्षण संस्थान, कोरिया श्रम संस्थान, अन्तर्राष्ट्रीय प्रवास संगठन तथा अन्तर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण संस्थान, टयूरिन जैसे संस्थानों के साथ दीर्घकालीन तथा नए संबंधों का निर्माण हुआ है। इन संस्थानों में जिन क्षेत्रों में सहयोग का आदान–प्रदान किया जा रहा है, उनमें बाल श्रम, श्रम की दुनिया में एचआईवी/एड्स की रोकथाम, श्रम प्रवास, सामाजिक सुरक्षा, जैण्डर मुद्दे, कौशल विकास, श्रम इतिहास, उत्तम कार्य तथा श्रम से संबंधित प्रशिक्षण हस्तक्षेप शामिल हैं।

मौजूदा समय में संस्थान भारत सरकार, विदेश मंत्रालय की आईटीईसी/एससीएएपी स्कीम के तहत अन्तर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करने के लिए प्रशिक्षण संस्थान के रूप में सूचीबद्ध है। वर्ष 2010–2011 के दौरान संस्थान ने वैश्वीकृत अर्थव्यवस्था में श्रम एवं रोजगार संबंध, नेतृत्व विकास, अनुसंधान पद्धतियां और लिंगीय मुद्दे जैसे मुख्य प्रतिपाद्य विषयों पर 6 अन्तर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया है। इन कार्यक्रमों में 38 देशों के 156 सहभागियों ने भाग लिया।

संस्थान ने अर्न्तराष्ट्रीय श्रम संगठन के श्रम संगठन के अन्तर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण केन्द्र टयूरिन के सहयोग को मूर्त रूप देने के लिए कई पहल की है यह सहयोग संस्थानों को दक्षिण तथा दक्षिपूर्व ऐशियन देशों के लिए अधिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करने में सक्षम बनाएगा। वर्ष 2010–11 के दौरान इस सहयोग के हिस्से के रूप में एक संयुक्त कार्यक्रम का आयोजन किया है। कोरिया श्रम संस्थान के पॉच सदस्यों के एक शिष्ट मण्डल ने जुलाई 2010 के दौरान संस्थान का दौरा किया। इस शिष्टमण्डल की अध्यक्षता केरल श्रम संस्थान के कार्यवाहक अध्यक्ष ने की।

अधिक जानकारी के लिए कृपया संपर्क करें

निदेशक, वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान,
(diretorvvgnli@gmail.com)

शिक्षा और प्रशिक्षण

वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, श्रम समस्याओं की जानकारी को बढ़ावा देने तथा उन पर काबू पाने के उपायों और साधनों का पता लगाने के प्रति संकल्पबद्ध है। इस संकल्प की प्राप्ति के लिए यह संस्थान अपनी विभिन्न गतिविधियों के द्वारा संगठित तरीके से श्रमिकों की समस्याओं के बारे में शिक्षा प्रदान करता है। अन्य विषयों के अतिरिक्त अनुसंधान संबंधी गतिविधियों के द्वारा विभिन्न वर्गों की बुनियादी आवश्यकताओं का पता लगाया जाता है तथा अनुसंधान से प्राप्त होने वाले आंकड़ों का प्रयोग नए प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सुधार करने के लिए किया जाता है। प्रशिक्षण माड्यूलों की पुनर्रचना के लिए इन कार्यक्रमों में भाग लेने वाले व्यक्तियों से लगातार प्राप्त होने वाले फीडबैक का प्रयोग किया जाता है।

संस्थान के शिक्षा तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों के श्रम संबंधों में संरचनात्मक परिवर्तन कर भावी साधन माना जा सकता है। ये कार्यक्रम सद्भावपूर्ण औद्योगिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए अधिक संरचनात्मक वातावरण के निर्माण में मदद कर सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में ये कार्यक्रम बुनियादी स्तर पर ऐसे नेतृत्व का विकास करने का प्रयास करते हैं जो ग्रामीण श्रमिकों के हितों का ध्यान रखने वाले स्वतंत्र संगठनों का निर्माण कर सकें। प्रशिक्षण कार्यक्रमों में मनोवृत्ति के परिवर्तन, कुशलता के विकास तथा ज्ञान की दृष्टि पर समान रूप से बल दिया जाता है।

प्रशिक्षण कार्यक्रमों में दृश्य प्रस्तुतीकरण, व्याख्यानों, सामूहिक चर्चाओं, वैयक्तिक अध्ययनों तथा व्यवहार विज्ञान तकनीकों के उचित मिश्रण का प्रयोग किया जाता है। संस्थान की फैकल्टी के अतिरिक्त प्रशिक्षण कार्यक्रमों को मजबूत बनाने के लिए गेस्ट फैकल्टी को भी आमंत्रित किया जाता है।

संस्थान, निम्नलिखित समूहों को शिक्षा तथा प्रशिक्षण प्रदान करता है:

- केन्द्र तथा राज्य सरकारों के श्रम प्रशासक तथा अधिकारी
- सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र के उद्योगों के प्रबंधक तथा अधिकारी
- असंगठित/ संगठित क्षेत्रों के ट्रेड यूनियन लीडर तथा आयोजक
- अनुसंधानकर्ता, प्रशिक्षक, क्षेत्र के कार्यकर्ता तथा श्रम समस्याओं से सम्बद्ध अन्य व्यक्ति।

अप्रैल, 2010–मार्च, 2011 वर्ष के दौरान संस्थान ने 126 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए और इन कार्यक्रमों में 3604 कार्मिकों ने भाग लिया। इसके अलावा, संस्थान ने निम्नलिखित पहल की:

श्रम प्रशासन कार्यक्रम

इन्हें, केन्द्रीय और राज्य सरकारों के श्रम प्रशासकों और अधिकारियों तथा श्रम न्यायालयों व औद्योगिक अधिकरणों के न्यायाधीशों के लिए तैयार किया जाता है। कार्यक्रमों के अन्तर्गत श्रम प्रशासन, सुलह, श्रम कल्याण और प्रवर्तन, वैश्वीकरण तथा रोजगार संबंध से संबंधित अनेक विषय शामिल हैं। समीक्षाधीन अवधि के दौरान 7 ऐसे कार्यक्रम किए गए जिनमें 175 सहभागियों ने भाग लिया।

औद्योगिक संबंध कार्यक्रम

इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत, औद्योगिक संबंध और अनुशासन पद्धतियों के सैद्धान्तिक और व्यावहारिक दोनों पहलुओं को शामिल करने का प्रयास किया जाता है। इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत सरकार, नियोक्ताओं और यूनियनों के बीच बेहतर विचार–विमर्श के लिए वरिष्ठ प्रबन्धकों और कार्मिक अधिकारियों को भागीदारीपूर्ण प्रबंधन की जानकारी प्रदान की जाती है। वर्ष के दौरान ऐसे 9 कार्यक्रमों का आयोजन किया गया जिनमें 190 सहभागियों ने भाग लिया।

क्षमता निर्माण कार्यक्रम

ये कार्यक्रम श्रम के क्षेत्र में प्रशिक्षक तैयार करने के उद्देश्य से तैयार किए जाते हैं। इसके अलावा, ये कार्यक्रम औद्योगिक और ग्रामीण दोनों प्रकार की ट्रेड यूनियनों के संगठनकर्ताओं और श्रमिकों के लिए किए जाते हैं। इनमें से कुछ कार्यक्रम देश के विभिन्न भागों में आयोजित किए जाते हैं ताकि अधिक संख्या में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित हो सके। वर्ष के दौरान ऐसे 48 कार्यक्रमों का आयोजन किया गया जिनमें 1450 सहभागियों ने भाग लिया।

बाल श्रम कार्यक्रम

ये कार्यक्रम बाल श्रम उन्मूलन की दिशा में कार्यरत व्यक्तियों, समूहों और संगठनों की क्षमताएं विकसित करने के लिए आयोजित किए जाते हैं। इन समूहों में निम्नलिखित शामिल हैं: विभिन्न सरकारी विभागों के अधिकारी, शिक्षक एसोसिएशन, गैर–सरकारी संगठन, नियोक्ता, ट्रेड यूनियन, एनएसएस, पीआरआई, एनसीएलपी शिक्षक और अधिकारी, आदि। वर्ष के दौरान ऐसे 8 कार्यक्रमों का आयोजन किया गया जिनमें 233 सहभागियों ने भाग लिया।

श्रम और स्वास्थ्य कार्यक्रम

विभिन्न लक्ष्य समूहो को, जैसे कि श्रम प्रशासन, ट्रेड यूनियनों के प्रतिनिधियों, नियोक्ताओं, स्वास्थ्य अधिकारियों और गैर–सरकारी संगठनों को संवेदनशील बनाने के उद्देश्य से तैयार किए जाते हैं, ताकि वे श्रमिकों की स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए वैश्वीकरण और श्रम बाजार परिवर्तनों के निहितार्थों को समझ सकें। वर्ष के दौरान ऐसे 5 कार्यक्रम किए गए जिनमें 216 सहभागियों ने भाग लिया।

अन्तर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम

यह संस्थान विदेश मंत्रालय, भारत सरकार के पैनल पर है। अन्तर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम, भारत सरकार, विदेश मंत्रालय के आई.टी.ई.सी./एस.सी.ए.ए.पी. कार्यक्रम के अन्तर्गत तैयार किए जाते हैं। इस अवधि के दौरान संस्थान ने 6 ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन किया जिनमें 157 विदेशी नागरिकों ने भाग लिया।

पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए अलग से कार्यक्रम

संस्थान इन कार्यक्रमों पर बहुत जोर देता है क्योंकि इस क्षेत्र में प्रशिक्षण सुविधाएं अपर्याप्त हैं। यह देखा गया है कि ग्रामीण विकास के क्षेत्र में कोई बड़े संगठित प्रयास नहीं किए गए हैं। इस कमी को पूरा करने के लिए संस्थान ने प्रशिक्षण अनुसूची में हर वर्ष इन कार्यक्रमों को शामिल करने का निर्णय लिया है। इस वर्ष के दौरान संस्थान ने 12 कार्यक्रम आयोजित किए हैं, जिनमें 366 प्रतिभागियों ने भाग लिया है।

सहयोगी प्रशिक्षण कार्यक्रम

संस्थान ने समान उद्देश्य वाले संस्थानों तथा राज्य श्रम संस्थानों के साथ नेटवर्किंग तंत्र को संस्थागत बनाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं ताकि श्रम बाजार की क्षेत्रीय और सेक्टोरल विषमताओं की तरफ ध्यान दिया जा सके और श्रमिकों की समस्त समस्याओं का पर्याप्त रूप से समाधान खोजा जा सके।

इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए संस्थान महात्मा गांधी श्रम संस्थान गुजरात, महाराष्ट्र श्रम अध्ययन संस्थान, राज्य श्रम संस्थान उड़ीसा, केरल श्रम अध्ययन संस्थान, अम्बेकर श्रम अध्ययन संस्थान, मुबंई, राज्य श्रम संस्थान पश्चिम बंगाल गुजरात, राज्य श्रम संस्थान पश्चिम बंगाल के साथ सहयोग करके विनिर्माण कर्मकारों की सुरक्षा और स्वास्थ्य, बाल श्रम और श्रम कानून, नेतृत्व विकास कार्यक्रम, श्रम अध्ययन में अनुसंधान प्रविधियां आदि विषयों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है। वर्ष के दौरान ऐसे 15 कार्यक्रमों का आयोजन किया गया जिसमें 587 सहभगियों ने भाग लिया।

इन हाउस कार्यक्रम

संस्थान ने विभिन्न इन हाउस प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया है ये कार्यक्रम बन बनाए है और संगठनों की आवश्कताओं की पूर्ति करते हैं। संस्थान ने रिजर्व बैक आफ इण्डिया, नाल्कों, तथा ओ एन जी सी के लिए 11 कार्यक्रमों का आयोजन किया जिसमें 260 सहभागियों ने भाग लिया।

अप्रैल, 2010 से मार्च, 2011 तक आयोजित किए गए प्रशिक्षण कार्यक्रम

क्रम सं.	कार्यक्रम का नाम	अवधि	प्रतिभागियों की संख्या	पाठ्यक्रम निदेशक
	श्रम प्रशासन कार्यक्रम			
1.	अर्ध–न्यायिक प्राधिकारीः भूमिका और कार्य 26–30 अप्रैल 2010	05	27	संजय उपाध्याय
2.	उत्तर प्रदेश सरकार के श्रम प्रवर्तन अधिकारियों के लिए भवन तथा अन्य निर्माण कर्मकार अधिनियम का प्रभावी प्रवर्तन, 24–28 मई, 2010	05	30	संजय उपाध्याय
3.	वैश्वीकरण, बदलते रोजगार संबंध तथा श्रम प्रशासन 5–8 जुलाई, 2010	04	24	एस के शशिकुमार
4.	प्रभावी श्रम कानून प्रर्वतन जुलाई 26–30, 2010	05	32	संजय उपाध्याय
5	भारतीय सांख्यकी सेवा के प्रोबेशनरी अधिकारियों के लिए श्रम मुद्दे, जुलाई 26, 2010	01	25	एस के शशिकुमार
6	भवन तथा अन्य निर्माण कर्मकार अधिनियम का प्रभावी प्रवर्तन, अगस्त 23–27, 2010	05	24	संजय उपाध्याय

7	प्रभावी श्रम कानून प्रवर्तन अप्रैल 25–29, 2010	05	13	संजय उपाध्याय
	औद्योगिक संबंध कार्यक्रम			
8.	ट्रेड यूनियन नेताओं को सशक्त बनाना अप्रैल, 19–24, 2010	06	13	पूनम एस. चौहान
9.	ट्रेड यूनियन नेताओं को सशक्त बनाना 24–29 मई, 2010	06	11	पूनम एस. चौहान
10.	प्रबंध में श्रमिको की सहभागित और उभारती वैश्विक अर्थव्यवस्था में उनकी भूमिका अगस्त 23–26, 2010	04	28	पूनम एस.चौहान
11.	प्रभावी नेतृत्व विकास के लिए व्यवहारिक कौशल अगस्त 30 सितम्बर–3, 2010	05	12	पूनम एस.चौहान
12.	वैश्विक अर्थव्यवस्था मे औद्योगिक संबंध तथा ट्रेड यूनियनवाद, सितम्बर 27–30, 2010	04	35	एस.के. शशिकुमार
13.	ट्रेड यूनियन नेताओं को सशक्त बनाना अक्टूबर 25–30, 2010	06	13	पूनम एस.चौहान
14	कार्य का प्रभावी प्रबंधनः व्यवहारिक दृष्टिकोण नवम्बर 29 दिसंबर 2, 2010	04	37	पूनम एस.चौहान
15	प्रभावी नेतृत्व विकास के लिए व्यवहारिक कौशल जनवरी 31–फरवरी 4, 2011	05	26	पूनम एस.चौहान
16	ट्रेड यूनियन नेताओं को सशक्त बनाना मार्च 21–26, 2011	06	15	पूनम एस.चौहान
	क्षमता निर्माण कार्यक्रम			
17.	ग्रामीण ट्रेड यूनियन नेताओं के लिए नेतृत्व विकास अप्रैल 12–16, 2010	05	46	एम.एम. रहमान
18.	प्रभावी नेतृत्व के लिए असंगठितों को संगठित करना अप्रैल 5–9–2010	05	16	अनूप सतपथी
19.	ग्रामीण महिला संगठनकर्ताओं को सशक्त बनाना अप्रैल 12–16, 2010	05	29	शशिबाला

20.	बीड़ी कर्मकारों के लिए नेतृत्व कौशल को सुदृढ़ बनाना अप्रैल 19–23, 2010	05	31	एम.एम. रहमान
21.	कोलकाता की गंदी बस्तियों में रहने वालो के लिए दूसरा अभिमुखीकरण कार्यक्रम, अप्रैल 3, 2010	01	26	एम.एम. रहमान
22.	कोलकाता की गंदी बस्तियों में रहने वालो के लिए दूसरा अभिमुखीकरण कार्यक्रम, अप्रैल 4, 2010	01	39	एम.एम. रहमान
23.	टी यू सी सी के नेताओं के लिए अनौपचारिक क्षेत्र की ट्रेड यूनियनों हेतु नेतृत्व विकास, भोपाल अप्रैल 15–17, 2010	03	50	पूनम एस.चौहान
24.	गैर सरकारी संगठनों के लिए श्रम में लिंगीय मुद्दे अप्रैल 26–30, 2010	05	30	शशिबाला
25.	ग्रामीण ट्रेड यूनियन नेताओं के लिए नेतृत्व विकास मई 3–7, 2010	05	32	अनूप सतपथी
26.	ग्रामीण ट्रेड यूनियन नेताओं के लिए नेतृत्व विकास मई 24–28, 2010	05	37	संजय उपाध्याय
27.	ग्रामीण ट्रेड यूनियन नेताओं के लिए नेतृत्व विकास जून 7–11, 2010	05	28	संजय उपाध्याय
28.	ग्रामीण ट्रेड यूनियन नेताओं के लिए नेतृत्व विकास जून 28–जुलाई 2, 2010	05	30	एम.एम. रहमान
29.	सरकार/सिविल सोसाइटी संगठनों के कर्मचारियों के लिए सामाजिक सुरक्षा का विकास, जून 21–25, 2010	05	26	एम.एम. रहमान
30.	ग्रामीण ट्रेड यूनियन नेताओं के लिए नेतृत्व विकास जुलाई 19–23, 2010	05	32	संजय उपाध्याय
31.	प्रभावी नेतृत्व के लिए असंगठितों को संगठित करना जुलाई 2–16, 2010	05	23	अनूप सतपथी
32.	लिंग, गरीबी और रोजगार जुलाई 12–15, 2010	04	23	शशिबाला
33.	परिवहन कर्मकारों के नेतृत्व कौशल को बढ़ाना जुलाई 26–30, 2010	05	25	एम एम. रहमान

34.	ट्रेड यूनियनों/बीड़ी कर्मकारों के लिए नेतृत्व कौशल को सुदृढ़ बनाना, अगस्त 2–6, 2010	05	48	एम.एम. रहमान
35.	कौशल विकास रणनीतियां बनाना अगस्त 17–20, 2010	04	26	शशिबाला
36.	ग्रामीण ट्रेड यूनियन नेताओं के लिए नेतृत्व विकास अगस्त 30–सितंबर 03, 2010	05	43	अनूप सतपथी
37.	समाजिक सुरक्षा विकसित करना सितंबर 27 अक्टूबर 01, 2010	05	35	पूनम एस.चौहान
38.	ट्रेड यूनियनो, गैर सरकारी संगठनो तथा सिविल सोसाइटी संगठनों के लिए सामाजिक सुरक्षा का विकास दिसम्बर 27–30, 2010	04	36	एम.एम. रहमान
39.	ग्रामीण ट्रेड यूनियन नेताओं के लिए नेतृत्व विकास जनवरी 3–07, 2011	05	29	अनूप सतपथी
40.	मछली कर्मकारों के लिए नेतृत्व कौशल बढ़ाना जनवरी 3–7, 2011	05	15	एम.एम. रहमान
41.	श्रम में लिंगीय मुद्दे जनवरी 10–14, 2011	05	19	पूनम एस.चौहान
42.	कार्य की दुनिया में लिंग समानता को मुख्य धारा में लाना लिंगीय दृष्टिकोण, जनवरी 17–20, 2011	04	35	शशिबाला
43.	परिवहन कर्मकारों के लिए नेतृत्व कौशल बढ़ाना जनवरी 17–21, 2011	05	28	एम.एम. रहमान
44.	कर्मकारों के संगठनकर्ताओं के लिए क्षमता बढ़ाना, संस्थान परिसर जनवरी 24–25, 2011	02	35	एम.एम. रहमान
45.	ग्रामीण ट्रेड यूनियन नेताओं के लिए नेतृत्व विकास फरवरी 5, 2011	01	40	एम.एम. रहमान
46.	भारतीय किसान मजदूर यूनियन कैडर के लिए नेतृत्व विकास, पानीपत, हरियाणा फरवरी 10–11, 2011	04	45	एम.एम. रहमान
47.	कार्य स्थलों पर यौन उत्पीड़न के प्रति संवेदनशीलता बढ़ाना, फरवरी 14–15, 2011	02	23	पूनम एस.चौहान

48.	निर्माण कर्मकारों (एन आर) के लिए नेतृत्व विकास 1–3 फरवरी, 2011	03	24	एम.एम. रहमान
49.	बीड़ी कर्मकारों (एन आर) के लिए नेतृत्व विकास फरवरी 17–18, 2011	02	45	एम.एम. रहमान
50.	भारतीय किसान मजदूर यूनियन कैडर के लिए नेतृत्व विकास, पानीपत, हरियाणा गौतमबुद्धनगर, फरवरी 21–22, 2011	02	36	एम.एम. रहमान
51.	असंगठित क्षेत्र के ट्रेड यूनियन नेताओं के लिए श्रम कानून फरवरी 21–23, 2011	03	09	ओंकार शर्मा
52.	ग्रामीण ट्रेड यूनियन नेताओं के लिए नेतृत्व विकास फरवरी 23–25, 2011	03	30	संजय उपाध्याय
53.	प्रभावी नेतृत्व के लिए असंगठितों को संगठित करना फरवरी 23–25,, 2011	03	08	अनूप सतपथी
54.	ग्रामीण ट्रेड यूनियन नेताओं के लिए नेतृत्व विकास मार्च 21–25, 2011	05	28	अनूप सतपथी
55.	श्रम मुद्दे मार्च 28–30, 2011	03	23	ओंकार शर्मा
56.	श्रम में लिंगीय मुद्दे (एन आर) मार्च 9–11, 2011	03	36	पूनम एस.चौहान
57.	समाजिक सुरक्षा का विकास (एन आर) मार्च 7–9, 2011	03	39	एम.एम. रहमान
58	ग्रामीण ड्रेड यूनियन नेताओं के लिए नेतृत्व विकास मार्च 14–16, 2011	03	27	संजय उपाध्याय
59	ग्रामीण ड्रेड यूनियन नेताओं के लिए नेतृत्व विकास मार्च 28–30, 2011	03	31	संजय उपाध्याय
60	ग्रामीण ड्रेड यूनियन नेताओं के लिए नेतृत्व विकास मार्च 16–18, 2011	03	25	अनूप सतपथी
61	असंगठित क्षेत्र के ट्रेड यूनियन नेताओं के लिए श्रम मुद्दे मार्च 1–3, 2011	03	21	ओंकार शर्मा

62	असंगठित क्षेत्र के कर्मकारों के लिए सामाजिक सुरक्षा मार्च 21–23, 2011	03	36	ओंकार शर्मा
63	बागान कर्मकार मार्च 28–30, 2011	03	22	रिंजू रसाइली
64	कार्य स्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न का प्रतिषेध (अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर) मार्च 8, 2011	01	30	शशि बाला
	बाल श्रम कार्यक्रम			
65.	बाल श्रम पर क्षमता निर्माण 05–8, 2010	04	24	हेलेन आर. सेकर
66.	बाल श्रम पर प्रशिक्षण (चरण I) अप्रैल 19–23, 2010	05	40	महावीर जैन
67.	बाल श्रम पर प्रशिक्षण (चरण I) अप्रैल 19–23, 2010	05	39	महावीर जैन
68.	राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के परियोजना निदेशकों के लिए राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजनाओं के कार्यान्वयन में सुधार, मई 12–14, 2010	03	15	अनूप सतपथी
69.	राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना को कार्यान्वित करने वाले गैर सरकारी संगठनों की महिला प्रतिनिधियों के लिए बाल श्रम पर संवदेनशीलता, जून 29–1 जुलाई, 01, 2010	03	23	हेलेन आर. सेकर
70.	समाज कार्य के विद्यार्थियों के लिए बाल श्रम पर कार्य करने वाले युवाओं की क्षमता में बढ़ोतरी जून 15–17, 2010	03	35	हेलेन आर. सेकर
71.	बाल श्रम पर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण (चरण– 1) जुलाई 19–23, 2010	05	17	महावीर जैन
72.	संरक्षणवादी व्यापार पद्यतियां और बालश्रम नीति प्रतिक्रिया पर कार्यशाला, सितंबर 29, 2010	01	40	हेलेन आर. सेकर
	स्वास्थ्य मुद्दे कार्यक्रम			
73.	कार्य की दुनिया में उभरते स्वास्थ्य सरोकार 12–16 अप्रैल, 2010	05	17	रूमा घोष

74.	ट्रेड यूनियन नेताओं के लिए कार्य की दुनिया में एचआईवी/एड्स की रोकथाम पर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण मई 03–07, 2010	05	13	रूमा घोष
75.	सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के अध्यापको के लिए एचआईवी/एड्स, मई 19–21, 2010	03	27	रूमा घोष
76.	सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के अध्यापको के लिए एचआईवी/एड्स की रोकथाम पर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण, जून 7–9, 2010	03	22	रूमा घोष
77.	महानिदेशक श्रम कल्याण के चिकित्सा डॉक्टरों के लिए प्रशिक्षण, जून 28–30, 2010	05	29	रूमा घोष
78	कार्य की दुनिया में एचआईवी/ एड्स की रोकथाम पर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण, अगस्त 9–13, 2010	03	25	रूमा घोष
79	श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के कर्मचारियों के लिए कार्य की दुनिया में एचआईवी/एड्स की रोकथाम पर एक दिवसीय संवदेनशीलता कार्यक्रम, अगस्त 30, 2010	01	25	रूमा घोष
80	श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के कर्मचारियों के लिए कार्य की दुनिया में एचआईवी/एड्स की रोकथाम पर एक दिवसीय संवदेनशीलता कार्यक्रम, अगस्त 31, 2010	01	25	रूमा घोष
81	श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के कर्मचारियों के लिए कार्य की दुनिया में एचआईवी/एड्स की रोकथाम पर एक दिवसीय संवदेनशीलता कार्यक्रम, जनवरी 7, 2011	01	14	रूमा घोष
82	श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के कर्मचारियों के लिए कार्य की दुनिया में एचआईवी/एड्स की रोकथाम पर एक दिवसीय संवदेनशीलता कार्यक्रम, फरवरी 04, 2011	01	20	रूमा घोष
	अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम			
83.	कार्य की दुनिया में एचआईवी/एड्स की रोकथाम सितंम्बर 06–24 2010	19	24	रूमा घोष
84.	नेतृत्व विकास अक्टूबर 04–22, 2010	19	31	पूनम एस चौहान
85 .	वैश्विक अर्थव्यवस्था में श्रम और रोजगार संबंध नवम्बर 8–26, 2010	19	27	एस.के. शशिकुमार

86.	विकास तथा सामाजिक सुरक्षा उपायों का प्रबंधन दिसम्बर 06–23 2010	18	18	एम.एम. रहमान
87.	श्रम अध्ययन में अनुसंधान पद्धतियां फरवरी 7–25, 2011	19	28	एस.के. शशिकुमार
88.	श्रम में लिंगीय मुद्दे मार्च 01–18, 2011	18	29	शशि बाला
	इन–हाउस कार्यक्रम			
89	रिजर्व बैंक अधिकारियों के लिए कार्य को प्रभावी ढंग से निपटने हेतु व्यावहारिक कौशल, शिमला सितम्बर 6–10, 2010	05	32	पूनम एस चौहान
90.	नेशनल अल्यूमिनियम कंपनी के लिए प्रभावी कार्यालय प्रबंधन, सितंबर 27–29, 2010	03	19	एम.एम. रहमान
91.	नेशनल अल्यूमिनियम कंपनी के कर्मचारियों के लिए प्रभावी कार्यालय प्रबंधन, अक्टूबर 25–27, 2010	03	20	पूनम एस चौहान
92.	रिजर्व बैंक कर्मचारियों के लिए कार्य का प्रभावी ढंग से निपटाने के लिए व्यवहार कौशल, शिमला नवम्बर 08–12, 2010	05	26	पूनम एस चौहान
93	श्रम कल्याण और सामाजिक वार्ता को बढ़ावा देना गोवा, नवम्बर 08–12, 2010	04	30	ओंकार शर्मा
94	नेशनल अल्यूमिनियम कंपनी के कर्मचारियों के लिए प्रभावी कार्यालय प्रबंधन, नवम्बर 22–24, 2010	03	16	पूनम एस चौहान
95	श्रम कल्याण निधि अधिनियम और स्कीमों का बेहतर कार्यान्वयन, जोधपुर, दिसम्बर 13–17, 2010	05	12	ओंकार शर्मा
96	मुख्य नियोक्ताओं के लिए श्रम कानून, औद्योगिक संबंध एवं विनियमन, जनवरी 17–21, 2011	05	25	ओंकार शर्मा
97	नेशनल अल्यूमिनियम कंपनी के कर्मचारियों के लिए प्रभावी कार्यालय प्रबंधन, जनवरी 10–12, 2011	03	24	एम.एम. रहमान
98	नेशनल अल्यूमिनियम कंपनी के कर्मचारियों के लिए प्रभावी कार्यालय प्रबंधन, फरवरी 14–16, 2011	03	24	एम.एम. रहमान

99	कार्य का प्रभावी प्रबंधनः व्यवहारिक दृष्टिकोण, शिमला (आर बी आई) मार्च 14–18, 2011	05	29	पूनम एस चौहान
	पूर्वोत्तर राज्यों के कार्यक्रम			
100	सिक्किम के पर्यटन हेतु पणधारियों के लिए कौशल विकास मार्च 09–11, 2011	02	30	अतोजित क्षेत्रीमयूम
101.	उत्तर–पूर्व क्षेत्रं के ट्रेड यूनियन नेताओं के लिए नेतृत्व विकास, 21–25 जून, 2010	05	32	पूनम एस. चौहान
102.	बाल श्रम के क्षेत्र में काम कर रहे सामाजिक भागीदारों के लिए बाल श्रम (चरण–1), 7–11 जून, 2010	05	40	महावीर जैन
103.	कार्य की दुनिया में एच आई वी/एड्स पर दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला, कोहिमा, नागालैण्ड 03–04 जून, 2010	02	28	रूमा घोष
104.	बागान कर्मकारों के लिए नेतृत्व विकास अप्रैल 26–31, 2010	05	16	एम.एम. रहमान
105.	उत्तर–पूर्व राज्य के गैर–सरकारी संगठनों तथा श्रम नेताओं के लिए श्रम कानूनों की मूलभूत जानकारी 10–14 मई, 2010	05	31	संजय उपाध्याय
106.	उत्तर–पूर्व क्षेत्र के गैर सरकारी संगठनों की महिला कर्मकारों के लिए महिलाओं से संबधित श्रम कानून 17–21 मई, 2010	05	22	शशिबाला
107.	उत्तर–पूर्व क्षेत्र के ट्रेड यूनियन नेताओं के लिए नेतृत्व विकास, 16–20 अगस्त, 2010	05	33	पूनम एस. चौहान
108.	श्रम अध्ययन में अनुसंधान पद्यतियां पाठ्यक्रम, शिलांग 17–20 अगस्त, 2010	04	30	अनूप सतपथी
109.	उत्तर–पूर्व के ट्रेड यूनियन नेताओं के लिए नेतृत्व विकास, नवम्बर 29– दिसंबर 03, 2010	05	39	एम.एम. रहमान
110.	उत्तर–पूर्व क्षेत्र के लिए श्रम कानूनों की मूलभूत जानकारी जनवरी 10– फरवरी 14, 2011	05	31	संजय उपाध्याय
111.	उत्तर–पूर्व क्षेत्र के लिए बाल श्रम पर क्षमता निर्माण जनवरी 31–फरवरी 4, 2011	05	34	हेलन आर. सेकर

	सहयोगी कार्यक्रम			
112.	बदलते वैश्विक परिदृश्य में उत्तम कार्य को बढावा देना (आई टी सी – आइ एल ओ, टयूरिन) मई 10–14, 2010	05	21	महावीर जैन एस.के. शशिकुमार
113.	आधुनिक तथा प्रभावी श्रम निरीक्षण पद्धति का निर्माण (आई एल ओ), अगस्त 02–06, 2010	05	25	
114	पश्चिम बंगाल राज्य श्रम संस्थान के साथ सहयोग से सामाजिक सुरक्षा, 22–24 सितम्बर, 2010	03	32	एम.एम. रहमान
115	श्रम में उभरते मुद्दे, महाराष्ट्र श्रम अध्ययन संस्थान 27–30 सितम्बर, 2010	04	30	संजय उपाध्याय
116	वैश्वीकरण तथा ट्रेड यूनियन नेतृत्व विकासः अवसर और चुनौतियां, थिरुअन्नतपुरम, दिसम्बर 27–28, 2010 (केरल श्रम और रोजगार संस्थान)	02	56	एस.के. शशिकुमार
117.	महाराष्ट्र श्रम अध्ययन संस्थान के सहयोग से एचआईवी/एड्स की रोकथाम में सामाजिक हिस्सेदारों की भूमिका, 27–28 जनवरी, 2011	02	33	रूमा घोष
118	ए.आईएस मुम्बई के सहयोग से असंगठितों को संगठित करना, जनवरी 27–28, 2011	02	24	पूनम एस. चौहान
119	ए. आई एल एस मुम्बई के सहयोग से सिनेमा कर्मकार जनवरी 28, 2011	01	45	एम.एम. रहमान
120	ए. आई एल एस मुम्बई के सहयोग से ठेका श्रमिकों पर श्रम कानून सुधार, जनवरी 27, 2011	01	36	ओंकार शर्मा
121	पश्चिम बंगाल राज्य श्रम संस्थान के सहयोग से सामाजिक सुरक्षा का विकास फरवरी 24–25, 2011	03	42	एम.एम. रहमान
122	पचांयतीराज संस्थाओं की महिला प्रतिनिधियों के लिए बाल श्रम भारथिआर विश्वविद्यालय, कोयम्बतूर तमिलनाडु मार्च 10, 2011	01	50	हेलन आर. सेकर
123	पचांयतीराज संस्थाओं की महिला प्रतिनिधियों के लिए बाल श्रम भारथिआर विश्वविद्यालय, कोयम्बतूर तमिलनाडु मार्च 11, 2011	01	49	हेलन आर. सेकर

124	पचांयतीराज संस्थाओं की महिला प्रतिनिधियों के लिए बाल श्रम भारथिआर विश्वविद्यालय, कोयम्बतूर तमिलनाडु मार्च 14, 2011	01	81	हेलन आर. सेकर
125	ओडिशा राज्य के ट्रेड यूनियन नेताओं के लिए नेतृत्व विकास, मार्च 23–25, 2011	03	33	अनूप सतपथी
126	गुजरात राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए बाल श्रम पर संवेदनशीलता, मार्च 23–25, 2011	03	30	हेलन आर. सेकर
	कार्यशालाएं			
127	वैश्विक अर्थव्यवस्था में राज्य श्रम प्रशासकों की प्रशिक्षण जरुरतें, बैंगलूरु, मार्च 26, 2011	01	33	एस.के. शशिकुमार
128	संरक्षणवादी व्यापार पद्धतियां और बालश्रम नीति प्रतिक्रिया पर कार्यशाला, सितंबर 29, 2010	01	40	हेलन आर. सेकर

अप्रैल, 2010 से मार्च, 2011 के दौरान प्रशिक्षण कार्यक्रम

क्रम सं.	कार्यक्रम का नाम	कार्यक्रमों की सं.	दिनों की सं.	सहभागियों की संख्या
1.	श्रम प्रशासन कार्यक्रम	07	30	175
2.	औद्योगिक संबंध कार्यक्रम	09	46	190
3.	क्षमता निर्माण कार्यक्रम	48	179	1450
4.	बाल श्रम कार्यक्रम	08	29	233
5.	स्वास्थ्य मुद्दे कार्यक्रम	10	30	216
6.	अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम	06	112	157
7.	इन–हाउस कार्यक्रम	11	45	250
8	पूर्वोत्तर कार्यक्रम	12	53	366
9	सहयोगी कार्यक्रम	15	37	587
	जोड़	126	561	3604

प्रकाशन

विभिन्न श्रम संबंधी सूचनाओं का सामान्य तौर पर और संस्थान की अनुसंधान संबंधी उपलब्धियों का खासतौर पर प्रचार–प्रसार करने का संस्थान का एक गतिशील प्रकाशन कार्यक्रम है। इस कार्य को पूरा करने की दृष्टि से संस्थान, जर्नल, अनियमित प्रकाशन, पुस्तकें और रिपोर्टें निकालता है। कुछ महत्त्वपूर्ण पत्रिकाएं निम्नलिखित हैं:

नियमित प्रकाशन

- ***लेबर एण्ड डवलपमेंट :*** संस्थान द्वारा प्रकाशित किया जाने वाला, एक छमाही जर्नल है। यह जर्नल सैद्धांतिक विश्लेषण और अनुभवजन्य परीक्षणों के माध्यम से श्रम के विभिन्न पहलुओं की समझ को बढ़ाने के प्रति समर्पित है। यह जर्नल श्रम संबंधी अध्ययन में विशेषज्ञता प्राप्त करने वाले प्रेक्टिशनरों और विद्वानों के लिए एक बहुमूल्य संदर्भ पत्रिका है।

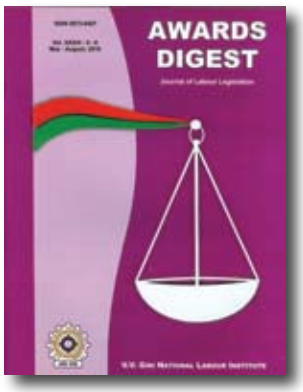

- ***अवार्ड्स डाइजेस्ट*** : एक द्विमासिक जर्नल है, जिसमें श्रम और औद्योगिक संबंधों के क्षेत्र में अद्यतन निर्णयज विधियों का सारांश प्रकाशित किया जाता है। इसमें उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों, प्रशासनिक न्यायाधिकरणों और केन्द्रीय सरकार के औद्योगिक न्यायाधिकरणों द्वारा दिए गए निर्णय दिए जाते हैं। इसमें लेख, श्रम कानूनों के संशोधन और अन्य संबंधित सूचना शामिल होती है। यह जर्नल, कार्मिक प्रबंधकों, ट्रेड यूनियन नेताओं और वर्करों, श्रम कानूनों के सलाहकारों, शिक्षण संस्थानों, सुलह अधिकारियों, औद्योगिक विवादों के माध्यस्थों, प्रेक्टिस करने वाले वकीलों और श्रम कानूनों के छात्रों के लिए एक बहुमूल्य संदर्भ पत्रिका है।

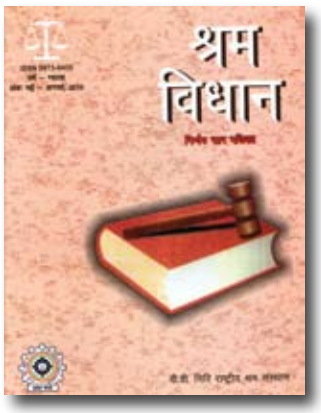

- ***श्रम विधान :*** एक द्विमासिक पत्रिका है, जिसमें श्रम और औद्योगिक संबंधों के क्षेत्र में अद्यतन निर्णयज विधि का सार दिया जाता है। इस जर्नल में, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों, प्रशासनिक न्यायाधिकरणों तथा केन्द्रीय सरकार के औद्योगिक न्यायाधिकरणों द्वारा दिए गए निर्णय रिपोर्ट किए जाते हैं। यह जर्नल कार्मिक प्रबंधकों, ट्रेड यूनियन नेताओं और वर्करों, श्रम कानूनों के सलाहकारों, शिक्षण संस्थानों, सुलह अधिकारियों, औद्योगिक विवादों के मध्यस्थों, प्रेक्टिस करने वाले वकीलों और श्रम कानूनों के छात्रों के लिए एक बहुमूल्य संदर्भ पत्रिका है।

- ***वीवीजीएनएलआई इन्द्रधनुष :*** यह द्विमासिक समाचार पत्र है जिसके माध्यम से संस्थान की सभी व्यावसायिक गतिविधियों का प्रचार किया जाता है।

एन.एल.आई. अनुसंधान अध्ययन श्रृंखला

यह संस्थान, संस्थान के अनुसंधानिक निष्कर्षों को प्रसारित करने के 'एनएलआई अनुसंधान अध्ययन श्रृंखला' शीर्षक वाली एक श्रृंखला का प्रकाशन भी कर रहा है।

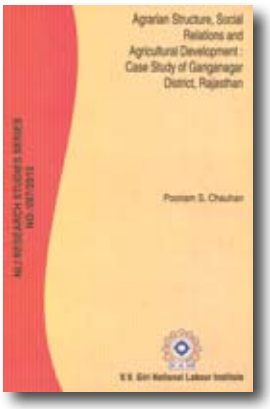

अन्य प्रकाशन

1. वार्षिक रिपोर्ट 2009–2010
2. एनुअल रिपोर्ट 2009–2010
3. प्रशिक्षण कैलेण्डर 2011–2012
4. ट्रेनिंग कैलेण्डर 2011–2012

एन.आर. डे. श्रम सूचना संसाधन केन्द्र

एन.आर. डे श्रम सूचना संसाधन केन्द्र देश में श्रम अध्ययन के क्षेत्र में एक अत्यन्त विख्यात पुस्तकालय–सह–प्रलेखन केन्द्र है। केन्द्र का नाम संस्थान के संस्थापक डीन स्वर्गीय श्री नीतीश आर.डे. की स्मृति में जुलाई, 1999 को संस्थान के रजत जयंती समारोह के अवसर पर बदलकर एन.आर. डे श्रम सूचना संसाधन केन्द्र रखा गया था। केन्द्र पूरी तरह कम्प्यूटरीकृत है और अपने प्रयोक्ताओं को निम्नलिखित सेवाएं और सुविधाएं प्रदान करता है:

1. प्रत्यक्ष उपलब्धियां

पुस्तकें – अप्रैल 2010 से मार्च 2011 तक पुस्तकालय में 693 किताबें/रिपोर्ट्स/सजिल्द पत्र–पत्रिकाएं खरीदी जिसके कारण पुस्तकालय में इन पुस्तकों/रिपोर्टों की संख्या 63,771 तक पहुंच गई।

पत्र–पत्रिकाएं – समीक्षाधीन अवधि के दौरान पुस्तकालय में 248 व्यावसायिक पत्र–पत्रिकाओं, मैंगजीन जो मुद्रित और इलेक्ट्रोनिक फार्म के रूप में थी, का अंशदान किया।

2. सेवाएं

पुस्तकालय निरंतर रूप से अपने उपभोक्ताओं के लिए निम्न सेवाएं बनाए रखता है–

- सेलेक्टिव डिसेमिनेशन ऑफ इनफॉरमेशन (एस डी आई)
- करेण्ट जागरूकता सेवा
- संदर्भ सेवा
- आन–लाइन सेवा
- आर्टिकल इण्डेक्सिंग ऑफ जर्नल्स
- समाचार पत्रों के लेखों के कतरन
- माइक्रो फिच सर्च और प्रिंटिंग
- रिप्रोग्रापिफक सेवा
- सीडी रोम सर्च
- दृश्य–श्रव्य सेवा
- वर्तमान विषय–वस्तु सेवा
- लैण्डिग सेवा
- आर्टिकल अलर्ट सेवा
- इंटर–लाइब्रेरी लोन सेवा

3 उत्पाद

पुस्तकालय उपभोक्ता जनसंख्या के लिए निम्नलिखित उत्पाद मुद्रित रूप में उपलब्ध करवाता है:

- आवधिक साहित्य की मार्गदर्शिका: तिमाही अंत:संस्थान प्रकाशन, जो 200 से भी अधिक चुनिंदा जर्नलों/पत्रिकाओं में छपे लेखों की संदर्भ सूचना प्रदान करता है।
- करेंट जागरूकता बुलेटिन: तिमाही अंत:संस्थान प्रकाशन, जो एन.आर. डे श्रम सूचना केन्द्र में संग्रहीत संदर्भ सूचना भी प्रदान करता है।
- समाचार पत्रों के लेखों की कतरन: मासिक प्रकाशन, जिसमें प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों में छपे लेखों की संदर्भ जानकारी प्रदान की जाती है।
- आर्टिकल एलर्ट साप्ताहिक प्रकाशन, जिसमें चुनिंदा जर्नलों/पत्रिकाओं में छपे महत्त्वपूर्ण लेखों की संदर्भ जानकारी प्रदान की गई है।
- वर्तमान विषय–वस्तु सेवा: यह मासिक प्रकाशन है। यह अंशदान दिए गए जर्नलों के विषय–वस्तु वाले पृष्ठों का संकलन है।
- आर्टिकल एलर्ट सर्विस: यह एक साप्ताहिक सेवा है, जिसे जनता की पहुंच के लिए संस्थान की वेबसाइट पर डाला गया है।

4. विशिष्टीकृत संसाधन केन्द्रों का रखरखाव

पुस्तकालय भवन में तीन विशिष्टीकृत संसाधन केन्द्रों का सृजन किया गया है और उनका रखरखाव संदर्भ सेवाओं के लिए किया जाता है:

(i) नेशनल रिसोर्स सेंटर ऑन चाइल्ड लेबर
(ii) नेशनल रिसोर्स सेंटर ऑन जेंडर स्टडीज
(iii) नेशनल रिसोर्स सेंटर ऑन एचआईवी/एड्स

राजभाषा नीति का कार्यान्वयन

राजभाषा अधिनियम, 1963 और उसके अंतर्गत बनाए गए कानूनी प्रावधानों तथा विभिन्न संवैधानिक प्रावधानों को लागू करने के लिए वर्ष 1983 में राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन किया गया था और बाद में दिन–प्रतिदिन के प्रशासनिक काम में राजभाषा के इस्तेमाल को बढ़ावा देने तथा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम और नियमित तथा सामयिक रूप से प्रकाशित किए जाने वाले प्रकाशनों के माध्यम से परिणामों का प्रचार करने के संबंध में संस्थान के उद्देश्यों और लक्ष्यों की पूर्ति में सहायता करने के लिए 'हिन्दी सेल' का गठन किया गया।

राजभाषा कार्यान्वयन समिति

संस्थान की राजभाषा कार्यान्वयन समिति इस वर्ष के दौरान भी काम करती रही। समिति की बैठकें प्रत्येक तिमाही में क्रमशः 29.06.2010, 23.09.2010, 22.12.2010 और 30.03.2011 को नियमित रूप से हुई। इन बैठकों के दौरान, राजभाषा के प्रगामी प्रयोग के संबंध में महत्त्वपूर्ण निर्णय लिए गए और तदनुसार लागू किए गए।

हिन्दी कार्यशाला

संस्थान ने, अनुवाद पर आश्रित रहने के बजाए हिन्दी में मूल रूप से काम करने में संस्थान के अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने के लिए हिन्दी कार्यशालाएं आयोजित की। कार्यशालाएं : 29.06.2010, 23.09.2010, 22.12.2010 और 30.03.2011 को आयोजित की गई। इन कार्यशालाओं के दौरान अधिकारियों और कर्मचारियों को हिन्दी में टिप्पणी और आलेखन तैयार करने के लिए व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया गया। कार्यशालाओं में भाग लेने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को, भारत सरकार की राजभाषा नीति, विभिन्न प्रोत्साहन योजनाओं, राजभाषा को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा की गई पहलों और अपने दिन–प्रतिदिन के काम में प्रतिभागियों द्वारा सामना की जा रही व्यावहारिक कठिनाइयों को दूर करने के बारे में भी बताया गया।

तिमाही रिपोर्ट

सभी चारों तिमाहियों, अर्थात 31 मार्च, 2010, 30 जून, 2010, 30 सितम्बर, 2010 और 31 दिसम्बर, 2010 को समाप्त तिमाहियों से संबंधित तिमाही प्रगति रिपोर्ट नियमित आधार पर और समय से पहले श्रम मंत्रालय को भेजी गई।

हिन्दी पखवाड़ा

हिन्दी पखवाड़े के दौरान आयोजित प्रतियोगिताओं का अधिकांश कर्मचारियो ने अपने परिवार के सदस्यों के साथ भाग लिया। इस दौरान विभिन्न प्रति योगिताओं का आयोजन किया गया जिसमें टिप्पणी आलेखन, निबंध हिन्दी कम्प्यूटर टाइपिंग, तत्काल वाक प्रतियोगिता, हिन्दी काव्य पाठ प्रतियोगिता श्रुतलेख एवं सुलेख, पोस्टर लेखन प्रतियोगिता तथा वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। समापन सत्र 30.09.2010 को संस्थान के निदेशक श्री वेद प्रकाश यजुर्वेदी ने सबंधित किया और 44,700 की धनराशि पुरस्कार के रूप मे वितरित की। संस्थान में 14 सितम्बर, 2010 से

30 सितम्बर, 2010 तक हिन्दी पखवाड़ा का आयोजन किया गया। हिंदी पखवाड़े का शुभारंभ निदेशक, श्री वेद प्रकाश यजुर्वेदी ने 14.09.2010 को किया ।

प्रशिक्षण कार्यक्रम

अप्रैल, 2010से मार्च, 2011 की अवधि के दौरान आयोजित किए गए 126 कार्यक्रमों में से 90 कार्यक्रम केवल हिन्दी भाषा में, 8 कार्यक्रम अंग्रेजी भाषा में ही आयोजित किए गए और 28 कार्यक्रमों में प्रतिभागियों को प्रशिक्षण देने के लिए हिन्दी और अंग्रेजी का मिला–जुला रूप इस्तेमाल किया गया।

कर्मचारियों की संख्या (31.3.2011 की स्थिति के अनुसार)

समूह	स्वीकृत संख्या	तैनाती
निदेशक	1	1
फैकल्टी	15	13
समूह क	5	2
समूह ख	8	7
समूह ग	31	17
समूह घ	25	24
कुल	85	64

फैकल्टी

संस्थान के फैकल्टी में विविध विषयों, जिनमें अर्थशास्त्र, समाज शास्त्र, श्रम कानून, सांख्यिकी, लोक प्रशासन आदि शामिल हैं, के प्रतिनिधि रखे गए हैं। इस विविधता से अनुसंधान, प्रशिक्षण और शिक्षा को अंतर्विषयक आधार मिलता है। फैकल्टी सदस्यों और अधिकारियों की सूची निम्नलिखित है:

संस्थान की फैकल्टी

	श्री वेद प्रकाश यजुर्वेदी, एम.टेक, एम.बी.ए.	**निदेशक**
1.	महावीर जैन, एम.ए., पीएच.डी.	वरिष्ठ फैलो
2.	एम.एम. रहमान, एम.ए., पीएच.डी.	वरिष्ठ फैलो
3.	एस.के. शशिकुमार, एम.ए., पीएच.डी.	वरिष्ठ फैलो
4.	पूनम एस. चौहान, , एम.ए., पीएच.डी.	फैलो
5.	हेलन आर. सेकर, एम.ए., एम.फिल., पीएच.डी.	फैलो
6.	संजय उपाध्याय, एल.एल.एम. पी.एच.डी.	फैलो
7.	ओंकार शर्मा, एम.ए., एल.एल.एम, पीएच.डी	फैलो
8.	अनूप के. सतपथी, एम.ए., एम.फिल.	फैलो
9.	रुमा घोष, एम.ए., एम. फिल., पीएच.डी.	फैलो
10.	शशि बाला, एम.ए., पी.एच.डी.	फैलो
11.	राखी थिमोथी, एम.फिल., पीएच.डी.	एसोशिएट फेलो
12.	प्रियदर्शन अमिताव खुंटिया, एम.ए., एम.फिल.	एसोशिएट फेलो
13.	ओतोजित क्षेत्रीयमयूम, एम.ए., एम.फिल.	एसोशिएट फेलो
14.	रिंजु रसाइली, पीएच.डी.	एसोशिएट फेलो

अधिकारी

1.	जे.के. कौल, डीबीए, पीजीडीटीडी	कार्यक्रम अधिकारी
2.	हर्ष सिंह रावत, एम.बी.ए. (वित्त), एआईसीडब्ल्यूए	लेखा अधिकारी
3.	वी.के. शर्मा,	सहायक प्रशासन अधिकारी
4.	के.सी. खुराणा, एम.ए., सी.सी.टी., पी.जी.डी.जे.,पी.जी.डी.बी.पी.	प्रबंधक (प्रकाशन)–प्रभारी
5.	एस.के. वर्मा, एम.एससी., एम.एल.आई.एससी.	सहायक पुस्तकालय एवं सूचना अधिकारी

वार्षिक लेखा और लेखा-परीक्षा रिपोर्ट 2010–2011

लेखा परीक्षा रिपोर्ट

31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष के लिए वी वी गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान नौएडा (गौतमबुद्ध नगर) लेखाओं पर भारत के लेखा नियन्त्रक एवं परीक्षक की वी वी गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान को अलग लेखा परीक्षा रिपोर्ट पर पैरा वार टिप्पणी

क्रम संख्या	लेखा परीक्षा पैरा	उत्तर	टिप्पणी
क–1	गत वर्ष के तुलना पत्र के अनुसार पूंजीगत निधि का अंत शेष 10,43,63,492.00 रुपये थे। जबकि चालू वर्ष के तुलन पत्र (अनुसूची 'ए') पूंजीगत निधि का आदि शेष 10,49,82,111 रुपये के रूप में दिखाया गया है। परिणाम स्वरूप पूंजी गत निधि 6,18,619. 00 बढ़ गई है।	आदि शेष की रकम गलती से 6,18,619 रुपये अधिक ले ली गई थी। इस गलती को चालू वर्ष में सुधार लिया गया है। उपरोक्त गलती का संगत प्रभाव अन्य लेखा में ढूंड लिया गया है।	लेखा परीक्षकों की सलाह के अनुसार आवश्यक कार्यवाही आरम्भ कर दी गई है।
क–2	गृह निर्माण पेशगी की परक्रामी निधि के 35,24,144 रुपये के वास्तविक अन्त शेष (बैक में गृह निर्माण पेशगी का अन्त शेष 8,65,998 + पेशगी रजिस्टर के हिसाब से स्टाफ पर बकाया 22,04,425 रुपये + गृह निर्माण पेशगी + स्थायी जमा रसीद 4,53,721 रुपये) तुलन पत्र (अनुसूची सी) में परक्रामी निधि का अंत में शेष 24,92,385 रुपये दिखाया गया है। परिणाम स्वरुप गृह निर्माण पेशगी की परक्रामी निधि 10,31,759 रुपये कम दिखाई गई है।	गृह निर्माण पेशगी तथा परक्रामी निधि में 10,31,759 रुपये की धनराशि, जिसे गत वर्षों में स्टाफ से ब्याज के रूप में वसूल किया गया था, को जोड़ा नही गया है। चालू वर्ष के दौरान सुधार प्रविष्टि पास की जा रही है। परिसम्पत्तियां और देयताएं लेखा में उल्टी प्रविष्टी से यह धन राशि, समान राशि से बढ़ जाएगी।	लेखा परीक्षकों की सलाह के अनुसार आवश्यक कार्यवाही आरम्भ कर दी गई है।

क–3 (ख)	इण्डियन ओवरसीज बैक में 1.4.2010 को स्थायी जमा के आदि शेष के 53,02,053 रुपये के जोड़ में दो स्थायी जमा रसीदे क्रमशः 27,13,224 और 25,88,829 रुपये शामिल है। 21–8–2009 को दूसरी स्थायी जमा रसीद की 28,50,620 रुपये की परिप. क्व धन राशि को पुनः निवेशित 8.10.09 को 12 महीनों के लिए कर दिया गया था। पुनर्निवेशित जमा रसीद को परिपक्व होने पर 30,55,463 रुपये की धन राशि को पुनः 9.11.10 को 555 दिनों के लिए पुनर्निवेशित कर दिया गया। इस प्रकार दोनों स्थायी जमा रसीदों को मूलधन 31.3.2011 को 57,68,687 रुपये हो गया (27,13,224 + 30,55,463 रुपये) जबकि तुलन पत्र की अनुसूची 'एच (ए)' में शेष धन राशि 53,02.053 रुपये दिखाई गई है। परिणाम स्वरुप चालू परिसम्पत्तियां (योजनागत तथा योजनेतरा 4,66,634 रुपये कम दिखाई गई है।	स्थायी जमा रसीदों की **परिपक्वता/नवीकरण** पर वर्ष के दौरान मिलने वाले ब्याज/उपार्जित ब्याज को गलती से नही दिखाया गया था। इस धन राशि को चालू वर्ष इसे लेखाओ में लिया जा रहा है।	लेखा परीक्षकों की सलाह पर आवश्यक कार्यवाही आरम्भ कर दी गई है।
क–4 (क)	गृह निर्माण पेशगी के 22,04,425 रुपये के वास्तविक अंत शेष के स्थान पर (गृह निर्माण पेशगी रजिस्टर के अनुसार) तुलन पत्र की अनुसूची एच (बी) (बी) में अंत शेष 9,21,189 रुपये दिखाया गया है। परिण ाम स्वरुप पेशगी के विरुद्ध ऋण को 12,83,236 रुपये कम दिखाया गया है।	स्टाफ से वसूली गई ब्याज की धन राशि को स्टाफ पेशगी से काट लिया गया है और आवश्यक सुधार प्रविष्टि 2011–12 के चालू वर्ष के दौ. रान पास कर दी गई है।	लेखा परीक्षकों की सलाह पर आवश्यक कार्यवाही आरम्भ कर दी गई है।

31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के लिए वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नोएडा (गौतम बुद्ध नगर) के लेखाओं पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा–परीक्षक की अलग लेखा–परीक्षा रिपोर्ट

हमने, नियंत्रक एवं महालेखा–परीक्षक (कर्त्तव्य, शक्तियां एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 20(1) के अंतर्गत 31 मार्च, 2011 को यथास्थिति, वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नोएडा (गौतमबुद्ध नगर) के संलग्न तुलन–पत्र और उक्त तारीख को समाप्त वर्ष के आय एवं व्यय लेखा तथा प्राप्तियां एवं भुगतान लेखे की लेखा–परीक्षा की है। इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने की जिम्मेदारी प्रबंधन की है। यह लेखा–परीक्षा 2012–13 तक की अवधि के लिए सौंपी गई है। हमारी जिम्मेदारी अपनी लेखा–परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर एक राय व्यक्त करना है।

2. इस अलग लेखा–परीक्षा रिपोर्ट में, वर्गीकरण, सर्वोत्तम लेखांकन पद्धतियों के साथ अनुरूपता, लेखांकन मानकों और प्रकटीकरण मानदंडों आदि के संबंध में केवल लेखांकन संव्यवहार पर भारत के नियंत्राक एवं महालेखा–परीक्षक (सीएजी) की टिप्पणियां हैं। विधि, नियमों एवं विनियमों (औचित्य तथा नियमितता) और दक्षता व कार्य–निष्पादन संबंधी पहलुओं, यदि कोई हों, के अनुपालन में वित्तीय लेनदेनों पर लेखा–परीक्षा की टिप्पणी की सूचना, अलग से निरीक्षण रिपोर्ट/ नियंत्रक एवं महालेखा–परीक्षक की लेखा–परीक्षा रिपोर्टों के माध्यम से दी जाती है।

3. हमने, भारत में आमतौर पर अपनाए गए लेखा–परीक्षा करने के मानकों और लागू होने वाले नियमों के अनुसार लेखा–परीक्षा की है। इन मानकों में यह अपेक्षा की गई है कि हम इस बारे में तर्कसंगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखा–परीक्षा की योजना बनाएं और लेखा–परीक्षा करें कि क्या वित्तीय विवरण, सारवान अयथार्थ कथनों से मुक्त हैं या नहीं। लेखा–परीक्षा में, एक परीक्षण आधार पर जांच करना, लेखाओं का समर्थन करने वाले साक्ष्य और वित्तीय विवरणों में अभिव्यक्ति शामिल होते हैं। लेखा–परीक्षा में, इस्तेमाल किए गए लेखांकन सिद्धांतों और प्रबंधन द्वारा किए गए महत्त्वपूर्ण आकलनों का मूल्यांकन करना और वित्तीय विवरणों के समग्र प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन करना शामिल है।

हमारा विश्वास है की हमारा लेखा परीक्षा उचित तथ्यों पर आधारित है।

4. हमारी लेखा–परीक्षा के आधार पर हम रिपोर्ट करते हैं कि:

(i) हमने वे सभी सूचनाएं और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं, जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखा–परीक्षा के उद्देश्य के लिए आवश्यक थीं;

(ii) इस रिपोर्ट से संबंधित तुलन–पत्र और आय एवं व्यय लेखा/प्राप्ति एवं भुगतान लेखा, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित प्रपत्र पर बनाया गया है।

(iii) हमारी राय में, जहां तक लेखाबहियों की जांच से पता चलता है, वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नोएडा–गौतमबुद्ध नगर (संस्थान) द्वारा लेखाओं की उचित लेखाबहियां और अन्य संबंधित रिकार्ड रखे गए हैं।

(iv) हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि:

लेखाओं पर टिप्पणियां

(क) तुलन पत्र

देयताए पक्ष

पूंजीगत निधि

क–1 गत वर्ष के तुलना पत्र के अनुसार पूंजीगत निधि का अंत शेष 10,43,63,492.00 रुपये था। जबकि चालू वर्ष के तुलन पत्र (अनुसूची 'ए') में आदि शेष 10,49,82,111.00 दिखाया गया था। परिणाम स्वरूप पूंजी गत निधि 6,18,619.00 बढ़ गई है।

क–2 गह निर्माण पेशगी की परक्रामी निधि के 35,24,144 रुपये के वास्तविक अन्त शेष (बैक में गृह निर्माण पेशगी का अन्त शेष 8,65,998 + पेशगी रजिस्टर के हिसाब से स्टाफ पर बकाया 22,04,425 रुपये + गृह निर्माण पेशगी + स्थायी जमा रसीद 4,53,721 रुपये) तुलन पत्र (अनुसूची ग) में परक्रामी निधि का अंत में शेष 24,92,385 रुपये दिखाया गया है। परिणाम स्वरुप गृह निर्माण पेशगी की परक्रामी निधि 10,31,759.00 रुपये कम दिखाई गई है।

क–3 (क) इण्डिय ओवरसीज बैक में चालू खाते (योजनागत और योजनेत्तर अनुदान) के अंत शेष खाते में वास्तविक अंत शेष में 2,67,506 रुपये की धन राशि के स्थान पर तुलन पत्र की अनुसूची एच (ए) में अंत शेष 8,72,518 रुपये दिखाया गया है। परिणाम स्वरुप चालू परिसम्पत्तियां (योजनागत और योजनेतर) 605,012 रुपये बढ़ गई है।

क–3 (ख) इण्डियन ओवरसीज बैक में 1.4.2010 को स्थायी जमा के आदि शेष के 53,02,053 रुपये के जोड़ में दो स्थायी जमा रसीदे क्रमशः 27,13,224 और 25,88,829 रुपये शामिल है। 28–8–2009 को दूसरी स्थायी जमा रसीद की 28,50,620 रुपये की परिपक्व धन राशि को पुनः निवेशित 8.10.09 को 12 महीनों के लिए कर दिया गया था। पुनर्निवेशित जमा रसीद को परिपक्व होने पर 30,55,463 रुपये की धन राशि को पुनः 9.11.10 को 555 दिनों के लिए पुनर्निवेशित कर दिया गया। इस प्रकार दोनों स्थायी जमा रसीदों को मूलधन 31.3.2011 को 57,68,687 रुपये हो गया (27,13,224 + 30,55,463 रुपये) जबकि तुलन पत्र की अनुसूची 'एच (ए)' में शेष धन राशि 53,02.053 रुपये दिखाई गई है। परिणाम स्वरुप चालू परिसम्पत्तियां (योजनागत तथा योजनेतरा 4,66,634 रुपये कम दिखाई गई है।

क–4 (क) गृह निर्माण पेशगी के 22,04,425 रुपये के वास्तविक अंत शेष के स्थान पर (गृह निर्माण पेशगी रजिस्टर के अनुसार) तुलन पत्र की अनुसूची एच (बी) (बी) में अंत शेष 9,21,189 रुपये दिखाया गया है। परिणाम स्वरुप पेशगी के विरुद्ध ऋण को 12,83,236 रुपये कम दिखाया गया है।

ख सहायता अनुदान

वर्ष 2010–11 के दौरान संस्थान ने 7.18 करोड़ (3.49 करोड़ योजनागत तथा 3.69 रुपये योजनेतर) का सहायता अनुदान श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार से प्राप्त किया। संस्थान ने इस पूरे अनुदान को खर्च कर दिया।

पिछले पैराग्राफों से हमारे अवलोकन के अधीन हम यह रिर्पोट करते है कि तुलन पत्र, आय व्यय लेखा प्राप्ति और भुगतान लेखा जिस का उल्लेख इस रिर्पोट में किया गया है लेखा पुस्तकों से मेल खाते है।

v. पिछले पैराग्राफों में दी गई हमारी टिप्पणियों की शर्त के अधीन हम सूचित करते हैं कि इस रिपोर्ट से संबंधित तुलन–पत्र और आय एवं व्यय लेखे/प्राप्ति एवं भुगतान लेखे, लेखाबहियों से मेल खाते हैं।

vi. हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार लेखांकन नीतियों और लेखाओं पर दी गई टिप्पणियों के साथ पठित और ऊपर उल्लिखित महत्त्वपूर्ण मामलों तथा अनुबंध में उल्लिखित अन्य मामलों की शर्त के अधीन उक्त वित्तीय विवरण निम्नलिखित के संबंध में, भारत में आमतौर पर स्वीकार किए जाने वाले लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप सही और उचित तस्वीर पेश करते हैं:

ग. जहां तक यह, दिनांक 31 मार्च, 2011 को यथास्थिति वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नोएडा के कार्य के तुलन–पत्र से संबंधित है; और

घ. जहां तक यह, उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय लेखे से संबंधित है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा–परीक्षक की ओर से

ह./–

प्रधान महालेखाकार

(सिविल लेखा–परीक्षा) उत्तर प्रदेश

स्थानः इलाहाबाद

दिनांकः 19.10.2011

अस्वीकरण

"प्रस्तुत प्रतिवेदन मूलरूप से अंग्रेजी में लिखित पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन का हिन्दी अनुवाद है। यदि इसमें कोई विसंगति परिलक्षित होती है तो अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन मान्य होगा।"

अनुबंध

आन्तरिक लेखा परीक्षा प्रणाली की अपर्याप्तता

संस्थान में आन्तरिक लेखा परीक्षा प्रणाली प्रचलन में नही है अक्टूबर 2005 में संस्थान की आन्तरिक लेखा परीक्षा श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा की गई थी। इसके पश्चात 2009–10 तक कोई आन्तरिक लेखा परीक्षा नही की गई वर्ष 2010–11 के दौरान एक निजी चार्टरित लेखापाल फर्म द्वारा मई 2011 में की गई थी।

आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली की अपर्याप्तता

आन्तरिक नियत्रण प्रबंध तंत्र का वह टूल है जो पर्याप्त रूप से यह सुनिश्चित करता है कि वित्तीय रिपोर्टिगं की विश्वसनीयता, प्रचालन की प्रभावशीलता एवं प्रभाव कारिता, लागू नियमों और विनियमों का अनुपालन होना आदि उद्देश्यों की प्राप्ती हो रही है। यह उत्तरदायित्व स्वायत निकायों का है और उन्हें चाहिए कि वे सुशासन के लिए विशिष्ट नियमावली का निमार्ण करें। संस्थान के संगम ज्ञापन एवं नियम विनियमों का अध्ययन करने से पता चलता है कि संस्थान में विशिष्ट नियम/सुशासन नहीं बनाए हैं। पुनः लेखा परीक्षा द्वारा की गई जांच से पता चलता है कि संस्थान की आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली में सुधार की आवश्यकता है।

परिसंपत्तियों के प्रत्यक्ष सत्यापन की प्रणाली

वर्ष 2010–11 के लिए परिसंपत्तियों का प्रत्यक्ष सत्यापन अप्रैल, 2011 में किया गया।

इनवैंटरी के प्रत्यक्ष सत्यापन की प्रणाली

वर्ष 2010–2011 के लिए इंन्वेंट्री प्रत्यक्ष सत्यापन अप्रैल, 2011 में किया गया।

सांविधिक देय भुगतानों में नियमितता

संस्थान ने सांविधिक देय का नियमित भुगतान किया।

ह./–

उपमहालेखाकार/ आईसी–सी

आर पी एल एण्ड कम्पनी
चार्टर्ड लेखापाल

तारीख 29.5.2011

सेवा में
निदेशक
वी वी गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नोएडा

आन्तरिक लेखा परीक्षा रिर्पोट

हमने 31 मार्च 2011 को यथा स्थिति संलग्न वी वी गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान के तुलन पत्र, आय व्यय लेखा और प्राप्ति और भुगतान लेखा की लेखा परीक्षा की है। इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने की जिम्मेदारी प्रबंधन की है। हमारी जिम्मेदारी अपनी लेखा परीक्षा के आधार पर हन वित्तीय विवरणों पर अपनी राय व्यक्त करना है।

हमने, भारत में आमतौर पर अपनाए गए लेखा–परीक्षा करने के मानकों और लागू होने वाले नियमों के अनुसार लेखा–परीक्षा की है। इन मानकों में यह अपेक्षा की गई है कि हम इस बारे में तर्कसंगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखा–परीक्षा की योजना बनाएं और लेखा–परीक्षा करें कि क्या वित्तीय विवरण, सारवान अयथार्थ कथनों से मुक्त हैं या नहीं। लेखा–परीक्षा में, एक परीक्षण आधार पर जांच करना, लेखाओं का समर्थन करने वाले साक्ष्य और वित्तीय विवरणों में अभिव्यक्ति शामिल होते हैं। लेखा–परीक्षा में, इस्तेमाल किए गए लेखांकन सिद्धांतों और प्रबंधन द्वारा किए गए महत्त्वपूर्ण आकलनों का मूल्यांकन करना और वित्तीय विवरणों के समग्र प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन करना शामिल है।

1. हमने वे सभी सूचनाएं और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं, जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखा–परीक्षा के उद्देश्य के लिए आवश्यक थीं;
2. बहियों की जॉच करने से ऐसा प्रतीत होता है कि संस्थान ने लेखा बहियां उचित ढंग से तैयार की हुई है।
3. तुलन पत्र, आय व्यय लेखा तथा प्राप्ति तथा भुगतान लेखा लेखा बहियों से मेल खाता है।
4. हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार लेखांकन नीतियों और लेखाओं पर दी गई टिप्पणियों के साथ पठित और ऊपर उल्लिखित महत्त्वपूर्ण मामलों तथा अनुबंध में उल्लिखित अन्य मामलों की शर्त के अधीन उक्त वित्तीय विवरण निम्नलिखित के संबंध में, भारत में आमतौर पर स्वीकार किए जाने वाले लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप सही और उचित तस्वीर पेश करते हैं:

   क. जहां तक यह, दिनांक 31 मार्च, 2011 को यथास्थिति वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नोएडा के कार्य के तुलन–पत्र से संबंधित है; और

   ख. जहां तक यह, उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय लेखे से संबंधित है।

   ग. जहां तक यह, उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए प्राप्ति एमं भुगतान लेखे से संबंधित है।

आर पी एल एण्ड कंपनी की ओर से
चार्टर्ड लेखापाल
ह./–
शेलेन्द्र कुमार जायसवाल
पार्टनर
मेंबरशिप नं. 512557

मुख्य आफिसः 23, मयूर विहार फेस–2, शास्त्रीनगर, मेरठ, यू.पी.–250001
शाखाः गंगा अपार्टमेंट्स, प्रथम तल, 1/50, ललिता पार्क, लक्ष्मी नगर, विकास मार्ग, दिल्ली–92
दूरभाष: 22420772, 22024044. फैक्स: 22024044. ई–मेल: rajendra.icai@yahoo.com

वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा

31 मार्च, 2011 को यथास्थिति तुलन–पत्र

पिछले वर्ष के आंकड़े	देयताएं	अनुसूची	चालू वर्ष के आंकड़े
104.363.492	पूंजीगत निधि	ए	95.165.894
41.502.304	विकास निधि	बी	39.565.406
7.117.244	आरक्षित और अधिशेष	सी	8.287.072
32.225.908	विनिर्धारित निधि	डी	28.208.196
42.486.853	चालू देयताएं और प्रावधान	ई	43.141.437
227.695.801	**जोड़**		**214.368.005**
	परिसंपत्तियां		
96.289.696	स्थायी परिसंपत्तियां	एफ	86.974.007
41.252.730	निवेश	जी	40.721.352
90.153.375	चालू परिसंपत्तियां, ऋण और पेशगियां	एच	86.672.646
227.695.801	**जोड़**		**214.368.005**

ह./–
वी.के. शर्मा
प्रशासन अधिकारी (प्रभारी)

ह./–
वेद प्रकाश यजुर्वेदी
निदेशक

वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा

31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय लेखा

पिछले वर्ष के आंकड़े	विवरण	अनुसूची	चालू वर्ष के आंकड़े
	आय		
64590494.00	सहायता अनुदान	आई	67400613.00
8045298.00	फीस/अभिदान	जे	10842206.000
107.00	अर्जित ब्याज	के	681.00
9110519.00	अन्य आय	एल	8202064.00
81746418.00	**जोड़ क**		**86445564.00**
	व्यय		
28840935.00	स्थापना व्यय	एम	30244922.00
16788987.00	प्रशासनिक व्यय	एन	25532451.00
33306016.00	योजनागत अनुदान/रियायत पर व्यय	ओ	31172299.00
78935938.00	**जोड ख**		**86949672.00**
2810480.00	मूल्य ह्रास से पूर्व आय से अधिक व्यय क–ख		(504108ण00)
16293887.00	मूल्य ह्रास	एफ	13685496.00
(13483407.00)	अधिशेष होने के कारण शेष/घाटा पूंजी निधि में ले जाया गया		(14189604.00)

ह./–
वी.के. शर्मा
प्रशासन अधिकारी (प्रभारी)

ह./–
वेद प्रकाश यजुर्वेदी
निदेशक

वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा

31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष की प्राप्तियां एवं भुगतान लेखा

पिछला वर्ष	प्राप्तियां		चालू वर्ष	पिछला वर्ष	भुगतान		चालू वर्ष
	1 आदि शेष				**1 व्यय**		
19.395	क. हस्त रोकड़	एच	9.763	28.840.935	i) स्थापना व्यय	एम	30.244.922
	ख. बैंक शेष	एच		16.780.743	ii) प्रशासनिक व्यय	एम	25.528.871
15.274.846	i) चालू खाते में		17.927.321	33.306.016	iii) योजनागत अनुदान का उपयोग ओ		31.172.299
41.299.545	ii) जमा खाते में		4.438.977				
3.041.389	iii) बचत खाते में		47.195.394	4.137.256	**2) स्थाई परिसम्पतियां**	**एफ**	4.373.387
54.655	ग. हस्तगत डाक टिकट		36.217				
	2) प्राप्त अनुदान			3.859.657	**3) विभिन्न परियोजनाओं के लिए निधि के प्रति किए गए भुगतान**	**एच**	21.969.353
70.647.000	i) भारत सरकार (श्र.एवं. रो.मं से)		71.774.000				
5.590.334	ii) अन्य एजंसियों से	एच	2.698.026				
				509.942	**4) स्टाफ को पेशगी**		658.189
	3) प्राप्त ब्याज						
3.321.983	i) बैंक जमा पर	एच	3.567.064		**4) स्टाफ/अन्य संस्थानों से वसूली का प्रेषण**		
107	ii) अर्जित ब्याज	के	681	58.725	निदेशक, वी.वी.गि.रा.श्र.सं.		282.685
8.045.298	**4) फीस/अभिदान**	जे	10.842.206	27.680	प्रशासन अधिकारी, वी.वी.गि.रा.श्र.सं.		69.725
				.	औंकार शर्मा		28.080
9.110.519	**5) अन्य आय**	एल	8.202.064	68.101	समूह बीमा		61.709
	(अनुसूची के अनुसार)			2.514.409	आयकर		2.140.841
418.224	**6) पेशगियों की वसूली**		745.292	4.797.860	अंशदायी भविष्य निधि अभिदान		4.346.716
	(स्टाफ से)			1.164.494	अंशदायी भविष्य निधि पेशगी		1.441.004
				296.821	गृह निर्माण पेशगी		550.000
	7) प्रेषणों के लिए स्टाफ के वेतनों से वसूली			28.909	गृह निर्माण पेशगी पर ब्याज		93.890
58.725	निदेशक, वी.वी.गि.रा.श्र.सं.		260.940	6.000	कम्प्यूटर पेशगी पर ब्याज		8.623
27.680	पूर्व प्रशासन अधिकारी, वी.वी.गि.रा.श्र.सं.		55.780				
.	औंकार शर्मा		28.080		**5 अन्य भुगतान**		
68.101	समूह बीमा		61.573	128.289	प्रतिभूमि जमा की वापसी		289.650
2.514.409	आय कर		2.155.341	.	विविध देनदार		.
4.797.860	अंशदायी भविष्य निधि अभिदान		3.773.687	1.299.603	बाह्य कार्यक्रम के लिए भुगतान		677.536
1.164.494	अंशदायी भविष्य निधि पेशगी		906.858				
296.821	गृह निर्माण पेशगी		1.363.610		**6) अंतःशेष**		
28.909	गृह निमार्ण पेशगी पर ब्याज		35.575	9.763	i) हस्त रोकड़	एच	55.091
35.600	कम्प्यूटर पेशगी		45.724		ii) बैंक शेष	एच	
6.000	कम्प्यूटर पेशगी पर ब्याज		19.167	17.927.321	a) चालू खाते में		1.949.976
				4.438.977	b) जमा खाते में		5.580.929
	8) अन्य प्राप्तियां			47.195.394	c) बचत खाते में – परियोजना		45.286.064
401.380	प्रतिभूमि जमा		92.857	36.217	iii) हस्तगत डाक टिकट		36.217
1.245.439	बाह्य कार्यक्रम के लिए प्राप्तियां		639.560				
167.468.712	**जोड़**		**176.875.757**	**167.468.712**	**जोड़**		**176.875.757**

ह./–
वी.के. शर्मा
प्रशासन अधिकारी (प्रभारी)

ह./–
वेद प्रकाश यजुर्वेदी
निदेशक

वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा

अंशदायी भविष्य निधि

31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष की प्राप्तियां एवं भुगतान लेखा

रूपयों में

पिछला वर्ष	प्राप्तियां	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	भुगतान	चालू वर्ष
	आदि शेष		1.101.016	कर्मचारियों द्वारा आहरित अ.भ.नि. अभिदान	4.165.638
	(रोकड़ बही के अनुसार)	38.626	283.890	कर्मचारियों को प्रदत्त संस्थान के हिस्से द्वारा	1.104.633
37.223	आईओबी–बचत बैंक खाता		1.517.262	संस्थान को प्रदत्त पेशगी द्वारा	336.371
17.668	प्राप्त ब्याज में – बचत खाता	4.328	23.000.677	आईओबी–एफडीआर द्वारा	.
			.	कारपोरेशन बैंक–एफडीआर द्वारा	40.243.797
4.102.161	स्टाफ अभिदान में	3.773.687	1.037.779	कारपोरेशन बैंक–फ्लेक्सी–एफडीआर द्वारा	346.532
1.138.434	पेशगी वसूली में	906.858	9	बैंक प्रभारों द्वारा	
1.939.952	प्राप्त संस्थान अंशदान में	1.272.629		**अंतःशेष द्वारा**	
14.758.877	आईओबी– भुनाई गई एफडीआर में	38.504.140		**(रोकड़ बही के द्वारा)**	
	डाकघर–भुनाई गई टीडीआर में		38.626	आईओबी–बचत खाता	42.954
4.984.944	प्राप्त ब्याज – एफडीआर	1.739.657			
26.979.259	**जोड़**	**46.239.925**	**26.979.259**	**जोड़**	**46.239.925**

ह./–
वी.के. शर्मा
प्रशासन अधिकारी (प्रभारी)

ह./–
वेद प्रकाश यजुर्वेदी
निदेशक

वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा

अनुसूची–ए – पूंजीगत निधि

(धनराशि रुपयों में)

			पिछला वर्ष	चालू वर्ष
वर्ष के आरंभ में शेष			113709643.06	104982111.06
जोड़ें: पूंजीगत निधि के प्रति अंशदान				
योजनागत अनुदानों से	–	4170846.00		
गैर–योजनागत अनुदानों से	–	202541.00	4755875.00	4373387.00
घटाएं : आय से अधिक व्यय			13483407.00	14189604.00
वर्ष के अंत में शेष			**104982111.06**	**95165894.00**

अनुसूची बी – विकास निधि

(धनराशि रुपयों में)

	पिछला वर्ष	चालू वर्ष
वर्ष के आरंभ में शेष	38.377.926.00	41.502.304.00
जोड़ें: वर्ष के दौरान वृद्धि		.
जोड़ें: बैंक खाते पर ब्याज–एफडीआर	3.107.676.00	3.407.382.00
जोड़ें: बैंक खाते पर ब्याज–बचत खाता	16.702.00	1.204.00
घटाएं गत वर्ष के दौरान समायोजित ब्याज के लिए प्रावधान		5.345.483.56
वर्ष के अंत में शेष	**41502304.00**	**39.565.406.44**

अनुसूची सी – आरक्षित और अधिशेष

(धनराशि रुपयों में)

	पिछला वर्ष	चालू वर्ष
परिकमी निधि		
क. परिकमी गृह निर्माण पेशगी निधि		
पिछले वर्ष के अनुसार शेष	2.135.161.00	2.250.918.00
जोड़ें: बैंक से अर्जित ब्याज–बचत खाता	6.355.00	6.803.00
जोड़ें: बैंक खाते पर ब्याज–एफडीआर	74.949.00	28.772.00
जोड़ें: स्टाफ से की गई वसूली	34.453.00	205.891.84
घटाएं : पिछले वर्ष के लिए वसूली	.	.
अंत शेष	2.250918.00	2.492.385.00
ख. परिकमी कम्प्यूटर निधि		
पिछले वर्ष के अनुसार शेष	309.779.00	332.941.00
जोड़ें: बैंक से प्राप्त ब्याज	8.767.00	10.635.00
जोड़ें: स्टाफ से प्राप्त ब्याजं	14.395.00	8.532.00
जोड़ें: स्टाफ से की गई वसूली	.	39.964.00
घटाएं : पिछले वर्ष के लिए वसूली	.	5.760.00
शेष	332.941.00	386.312.00
ग. परियोजना निधि		
पिछले वर्ष के अनुसार शेष	2615573.16	4533385.16
जोड़ें: वर्ष के दौरान प्राप्त	5049015.00	2663879.00
जोड़ें: बैंक से प्राप्त ब्याज	107533.84	112268.00
घटाएं : पिछले वर्ष के दौरान व्यय, यदि कोई है	3238737.00	1901157.00
शेष	4533385.00	5408375.00
जोड़ (कखग)	**7117244.00**	**8287072.00**

अनुसूची डी – विनिर्धारित की गई निधि (चल रहा कार्य)

	पिछला वर्ष	चालू वर्ष
पिछले वर्ष के अनुसार शेष	28778908.00	32225908.00
जोड़ें: के.लो.नि.वि. को जमा कार्य के लिए योजनागत अनुदान		
जोड़ें: अवसंरचना कार्य के लिए योजनागत अनुदान–अग्रेनीत	1527750.00	
	1919250.00	
	32225908.00	32225908.00
घटाएं : पिछले वर्ष के दौरान निपटाया गया	0.00	4017712.00
जोड़	**32225908.00**	**28208196.00**

अनुसूची इ– चालू देयताएं और प्रावधान

	पिछला वर्ष	चालू वर्ष
क. चालू देयताएं		
(i) ठेकेदारों से पेशगी/प्रतिभूति जमा	934123.00	737330.00
(ii) विविध देनदान	300000.00	1682755.00
जोड़ (क)	1234123.00	2420085.00
ख–प्रावधान		
(i) सांविधिक देयताएं–सेवानिवृत्ति पर भुगतान योग्य	41252730.28	40721352.28
जोड़ (ख)	**41252730.00**	**40721352.00**
जोड़ (कख)	**42486853.00**	**43141437.00**

अनुसूची एफ – स्थायी परिसंपत्तियां

(धनराशि रुपयों में)

स्थायी परिसंपत्तियां	मूल्यह्रास की दरें	आदि शेष	वर्ष के दौरान वृद्धि वृद्धि	वर्ष के दौरान बट्टे खाते डाला गया	31.03.2011 को जोड़	वर्ष के दौरान मूल्यह्रास	31.03.2011 को निवल मूल्य
पुस्तकालय की पुस्तकें	25%	8.903.018	2.395.815	3.580	11.295.253	2.557.719	8.737.534
फर्नीचर और जुड़नार	10%	6.772.691	56.559	-	6.829.250	682.925	6.146.325
वाहन	15%	1.201.170	-	.	1.201.170	180.176	1.020.995
उपकरण	15%	15.419.879	473.813	-	15.893.692	2.348.518	13.545.174
कंप्यूटरीकरण	60%	2.268.482	1.242.366	-	3.510.848	1.743.713	1.767.135
भवन	10%	61.724.456	204.834	-	61.929.290	6.172.446	55.756.844
भूमि*		-	-	-	-	-	-
जोड़		**96.289.696**	**4.373.387**	**3.580**	**100.659.503**	**13.685.496**	**86.974.007**

*भूमि राज्य सरकार द्वारा केंद्रीय सरकार को 1981 में दान में दी गई थी इसलिए इसमें कोई लागत शामिल नहीं है ।

अनुसूची जी – निवेश

(धनराशि रुपयों में)

विवरण	आदि शेष	पेशगियां/ जमा को	वसूली/ आहरण से	अंतः शेष
अंशदायी भविष्य निधि				
इंडियन ओवरसीज बैंक में	35.305.547	-	2.270.945	33.034.602
स्टाफ को पेशगी के रूप में	1.861.161	-	-	1.861.161
अर्जित ब्याज	4.086.022	1.739.567	-	5.825.589
जोड़	**41.252.730**	**1.739.567**	**2.270.945**	**40.721352**

अनुसूची एच – चालू परिसंपत्यिां, ऋण और पेशगियां

क. चालू परिसंपत्तियां

(क) योजनागत और गैर–योजनागत लेखा

विवरण	आदि शेष	अंत: शेष
1. हाथ रोकड़	9.763	55.091
2. बैंक शेष		
इंडियन ओवरसीज बैंक में चालू खाते में	17.454.875	872.518
	5.302.053	5.302.053
मियादी जमा–आईओबी	36.217	36.217
3. डाक टिकट लेखा		
जोड़ (क)	**22.802.908**	**6.265.879**

	आदि शेष	वर्ष के दौरान प्राप्त	बैंक ब्याज	वर्ष के दौरान व्यय	अंत: शेष
इंडियन ओवरसीज बैंक में चालू खाते में					
वाणिज्य मंत्रालय–वैश्विक डाउनटर्न पर परियोजना	472.446	648.500		43.488	1077458
इंडियन ओवरसीज बैंक में बचत खाते में					
विकास निधि.10355	33.912	-	1.204	-	35116
एनआरसीसीएल खाता.4475	8.126	-	302	-	8428
एफसीएनआर खाता .10500	37.927	-	30.732	-	68659
आईएलओ–नेटवर्किंग.11015	76.452	-	2.713	-	79165
आईएलओ–उत्तम कार्य के लिए शिक्षा शास्त्रीय सामग्री.11959	114.581	-	4.065	-	118646
आईएलओ–इंडस बाल श्रम परियोजना.12726	15.052	-	516	-	15568
आईएलओ–एचआईवी/एड्स की रोकथाम (पार्ट पअ)12813	217.901	270.529	8.122	61.039	435513
समुद्र पारीय कार्य मंत्रालय–कौशल विकास प्रणाली.13409	14.186	-	526	-	14712
श्र.एवं रो.मं.–एमसीएलपी का मूल्यांकन.13004	1.433.139	-	32.004	6.900	1458243
आईओसीएल–श्रम उपलब्धता पर अध्ययन.13798	274.610	-	6.109	11.250.00	269469
ज.जा.का.मं.–जनजातीय महिला प्रवास.13797	.	-	-	-	.
ग्रा.वि.मं.–नरेगा परियोजना–13613	.	-	219	66	153
सा.न्याय एवं. अ.मं.–स्वच्छता कर्मकारों पर परियोजना	941.300	-		1.091.820	150520
बैंक के पास गृह निर्माण पेशगी–2637	45.585	1.363.610	6.803	550.000	865998
बैंक के पास कम्प्यूटर पेशगी–7942	298.541	45.724	10.635	30.000	324900
आइटीआइ(श्र.रो.म)सरकार1396 खाते का उन्नयन खाता 14518	-	856.350	-	-	856350
दक्षिण एशिया की प्रवासी कर्मकार .14517	-	888.100	-	-	888100
सिंडिकेट बैंक में बचत खाते में :					
यूएनडीपी–सामाजिक सुरक्षा.8980(1211)	210.192	-	5.216	-	215407
कॉरपोरेशन बैंक में बचत खाते में :					
आ.ए.श.ग.उ.मं.–शहरी गरीबी उपशमन.2663	717.473	24.398	21.744	686.594	77021
भा.स्टेट बैंक में एफडीआर खाते में :					
विकास निधि–एफडीआर	41.468.392	-	3.407.382	5.345.484	39530290
इंडियन ओवरसीज बैंक में एफडीआर खाते में :					
गृह निर्माण पेशगी–एफडीआर	424.949	-	28.772	-	453721
जोड़ (क)	**46.804.764**	**4.097.211**	**3.567.064**	**7.826.641**	**46642398**
जोड़ (क) (कृख)	**69.607.672**			**52.908.277**	**52.908277**

अनुसूची एच – चालू परिसंपत्यिां, ऋण और पेशगियां

जारी...

ख. ऋण और पेशगियां

विवरण	आदि शेष	वर्ष के दौरान पेशगियां	वर्ष के दौरान वसूली	अंत: शेष
ख – ऋण और पेशगियां				
(क) स्टाफ को				
त्योहार पेशगी	39300.00	90000.00	72000.00	57300.00
साइकिल पेशगी	6150.00	3000.00	5050.00	4100.00
कार पेशगी	626200.00	0.00	73200.00	553000.00
स्कूटर पेशगी	48992.00	74000.00	77759.00	45233.00
एलटीसी पेशगी	28238.00	491189.00	517283.00	2144.00
विभागीय पेशगी	0.00	0.00	0.00	0.00
जोड़ (क)	**748880.00**	**658189.00**	**745292.00**	**661777.00**
(ख) परिक्रमी निधि से				
स्टाफ को गृह निर्माण पेशगी से	1.780.384	550.000	1.409.195	921.189
स्टाफ को कम्प्यूटर पेशगी	34.400	30.000	45.724	18.676
जोड़ (ख)	**1.814.784**	**580.000**	**1.454.919**	**939.865**
(ग) अन्य एजेंसियों को				
के.लो.नि.वि. को पेशगी–योजनागत 1996–97	926516.00	0.00	0.00	926516.00
के.लो.नि.वि. को पेशगी–योजनागत 1998–99	238693.00	0.00	0.00	238693.00
के.लो.नि.वि. को पेशगी–योजनागत 1999–2000	100000.00	0.00	0.00	100000.00
के.लो.नि.वि. को पेशगी–योजनागत 2000–01	3376213.00	0.00	0.00	3376213.00
के.लो.नि.वि. को पेशगी–योजनागत 2003–04	1000000.00	0.00	0.00	1000000.00
के.लो.नि.वि. को पेशगी–योजनागत 2004–05	580010.00	0.00	0.00	580010.00
के.लो.नि.वि. को पेशगी–योजनागत 2005–06	10000000.00	0.00	0.00	10000000.00
के.लो.नि.वि. को पेशगी–योजनागत 2009–10	1527750.00	0.00	0.00	1527750.00
के.लो.नि.वि. को पेशगी–योजनागत 2010–11	0.00	14142712.00	0.00	14142712.00
प्राप्त/भुगतान–बाह्य कार्यक्रम/एजेंसियां	232857.00	677536.00	639560.00	270833.00
जोड़ (ग)	**17982039.00**	**14820248.00**	**639560.00**	**32162727.00**
जोड़ (ख) (क+ख+ग)	**20545703.00**	**16058437.00**	**2839771.00**	**33764369.00**
जोड़ (क+ख)	**90153375.18**			**86672646.00**

वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा

अनुसूची आई – सहायता अनुदान

पिछले वर्ष के आंकड़े	विवरण	चालू वर्ष के आंकड़े
31400000	**1) गैर–योजनागत** 1) भारत सरकार (श्र.एवं.रो.मं. से)	36.899.000
	2) योजनागत	
	2.1) भारत सरकार (श्र.एवं.रो.मं. से)–पूर्वोत्तर 4.500.000	
39247000	2.2)भारत सरकार (श्र.एवं.रो.मं. से) 30.375.000	34.875.000
70647000	**जोड़**	**71.774.000**
1919250	घटाएं : आगे ले जाया गया आधारभूत संरचना कार्य के लिए योजनागत अनुदान	0
4137256	घटाएं : पूंजीगत बनाया गया सहायता अनुदान	4373387
64590494	**आय और व्यय लेखा में दिखाई गई धनराशि**	**67400613**

अनुसूची जे – शुल्क/चंदा

पिछले वर्ष के आंकड़े	विवरण	चालू वर्ष के आंकड़े
8002748	1) शिक्षा प्रदत्त प्रशिक्षण कार्यक्रम शुल्क	10791056
16850	2) अवार्ड डाइजस्ट का चंदा	21085
10450	3) लेबर एण्ड डेवलपमेंट का चंदा	10750
5950	4) ग्लासरी–लेबर लॉज की बिक्री से प्राप्ति	12500
0	5) इण्डिया इन आईएलओ पुस्तक की बिक्री से प्राप्ति	
5100	6) श्रम विधान के ग्राहकों से	2915
4200	7) अन्य पुस्तकों की बिक्री से प्राप्ति	3900
8045298	**जोड़**	**10842206**

अनुसूची के– अर्जित ब्याज

पिछले वर्ष के आंकड़े	विवरण	चालू वर्ष के आंकड़े
107	1) साइकिल पेशगी पर ब्याज	0
0	2) स्कूटर/वाहन पेशगी पर ब्याज	0
0	3) पीनल ब्याज	681
107	**जोड़**	**681**

वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा

अनुसूची एल – अन्य आय

पिछले वर्ष के आंकड़े	विवरण	चालू वर्ष के आंकड़े
2823313	1) योजनागत आय	2820985
4239882	2) होस्टल के उपयोग से	4525700
25300	3) निविदा फार्मों की बिक्री	43400
116068	4) फोटोस्टेट से	93484
1711222	5) गैर–योजनागत आय	498106
8244	6) पुस्तकों की लागत वसूली से	0
32555	7) अप्रयोज्य मदों की बिक्री	153381
55707	8) स्टाफ क्वार्टर से किराया+लाइसेंस फीस	67008
98228	9) परिसर के किराए से आय	0
9110519	**जोड़**	**8202064**

अनुसूची एम – स्थापना व्यय

पिछले वर्ष के आंकड़े	विवरण	चालू वर्ष के आंकड़े
18764506	1) स्टाफ के वेतन	23100893
1609086	2) भत्ते और बोनस	2956402
1243203	3) अंशदायी भविष्य निधि में अंशदान	1315662
1808311	4) कर्मचारी सेवानिवृत्ति एवं सेवांत लाभों पर व्यय	1887738
0	5) छुट्टी वेतन ओर पेंशन अंशदान–प्रतिनियुक्ति स्टाफ के लिए	234222
5415829	6) छठे वेतन आयोग का बकाया	750005
28840935	**जोड़**	**30244922**

वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा

अनुसूची एन – प्रशासनिक व्यय

पिछले वर्ष के आंकड़े	विवरण		चालू वर्ष के आंकड़े
3650909	1) बिजली एवं पावर प्रभार		4769341
338607	2) जल प्रभार		388694
78276	3) बीमा		86692
	4) मरम्मत और रखरखाव		
67279	4.1 कम्प्यूटर	34730	
319382	4.2 कूलर/ए.सी.	267314	
491572	4.3 कार्यालय भवन और सम्बद्ध	572437	874481
317889	5) वाहनचालन और उसका रखरखाव		264691
66490	6) डाक तार और सम्प्रेषण प्रभार		162502
150608	7) मुद्रण और लेखन सामग्री		493195
902142	8) यात्रा और सवारी व्यय		1204738
129321	9) स्टाफ थलयाण व्यय		67128
139230	10) विज्ञापन और प्रचार		131621
83745	11) विविध व्यय		148549
2612615	12) परिसर का रखरखाव		4171334
602365	13) टेलीफोन, फैक्स और इंटरनेट प्रभार		717166
47620	14) हिन्दी प्रोत्साहन व्यय		48800
1116852	15) भवन मरम्मत और उन्नयन		1804093
4409845	16) शिक्षा–प्रदत्त प्रतिरक्षण कार्यक्रम व्यय		6970951
1113524	17) होस्टल रखरखाव व्यय		1552763
142472	18) विधिक एवं व्यावसायिक प्रभार		111263
0	19) गत वर्ष का व्यय		1560869
16780743.00	**जोड़**		**25528871**
8244	19) बट्टे खाते डाली गई स्थायी परिसंपत्तियां		3580
16788987.00	**आय और व्यय लेखें में अंतरित धनराशियां**		**25532451**
115522	20) पूंजीकृत परिसंपत्तियों की लागत		202541
16904509.00	**सकल जोड़**		**25734992**

वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा

अनुसूची ओ – योजनागत व्यय

पिछले वर्ष के आंकड़े	विवरण	चालू वर्ष के आंकड़े
	क. अनुसंधान, शिक्षा और प्रशिक्षण	
6659160	i) अनुसंधान परियोजनाएं, कार्यशाला और प्रकाशन	7220626
9424740	ii) शिक्षा कार्यक्रम	10016284
4125224	iii) परिसर में नया स्टाफ	3962286
2479493	iv) ग्रामीण कार्यक्रम	3278032
1111383	v) सूचना प्रौद्योगिकी	1682033
23800000	**जोड़ (क)**	**26159261**
	ख. पूर्वोत्तर राज्यों के लिए कार्यक्रम/परियोजनाएं	
4475650	क. शिक्षा कार्यक्रम	2566603
2524350	ख. परियोजनाएं (सूचना प्रौद्यो./अवसंरचना/प्रकाशन सहित)	1942470
7000000	**जोड़ (ख)**	**4509073**
	ग. पुस्तकालय की सुविधाओं में वृद्धि	
1747159	i) जर्नलों/पत्रिकाओं में अभिदान	1954599
3157909	ii) पुस्तकालय की पुस्तकें	2395815
94932	iii) पुस्तकालय की वृद्धि/आधुनिकीकरण	115383
0	iv) पुस्तकालय अवसंरचना का विकास 0	0
5000000	**जोड़ (ग)**	**4465797**
	घ. अवसंरचना	
0	i) वास्तुशिल्पीय शुल्क 0	
0	ii) सिविल कार्य 0	209014
1527750	iii) विद्युत कार्य/के.लो.नि.वि. को पेशगी	
0	iv) स्थायी इंटीरियर और प्रतिपूर्ति 0	
0	v) सेमिनार हॉल की सीवर लाईन 0	
0	vi) अतिरिक्त अवसंरचना कार्य का विकास 0	
1527750	**जोड़ (घ)**	**209014**
37327750	**जोड़ योजनागत व्यय (क से घ)**	**35343145**
4021734	घटाए : पूंजीकृत परिसंपत्तियों की लागत	4170846
33306016	**आय और व्यय लेखें में अंतरित धनराशियां**	**31172299**

31 मार्च 2010 को समाप्त वर्ष के लिए वी वी गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान की लेखा परीक्षित वित्तीय कथन का प्रकृटिकरण

महत्वपूर्ण लेखाकंन नीतियां तथा उन लेखाओं पर टिप्पणियां

(क) लेखाकन नीतियां

1 वित्त संबंधी औचित्य के मानदण्ड

प्रत्येक कदम पर सख्त अर्थव्यवस्था और वित्तीय व्यवस्था को कार्यान्वित करने के लिए वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान जैसे स्वायत्त निकायों के लिए निर्धारित सभी वित्त संबंधी औचित्यों के मानदंडों का पालन किया जाता है।

2 वित्तीय कथन

वित्तीय कथन, उस सीमा को छोड़कर जिनका कथन अन्यत्र किया गया है, प्राप्त आधार पर तैयार किए गए हैं और लेखाकन मानदण्डों के अनुप्रयोग पर आधरित हैं। संस्थान के वित्तीय कथनों में आय व्यय लेखा, प्राप्ति और भुगतान लेखा और तुलन–पत्रा शामिल हैं और इसी पैटर्न को अन्य सोसाइटियों द्वारा अपनाया जा रहा है।

3 स्थायी परिसम्पत्तिया

स्थायी परिसम्पत्तियों का कथन मूल्य ह्रास निम्नलिखित दरों पर यथानुपात के आधार पर अंकित मूल्य पद्वति के अनुसार दिया जाता हैं।

परिसम्पत्ति की श्रेणी	मूल्य हास की दर
पुस्तकालय की पुस्तकें	25 प्रतिशत
फर्नीचर और जुड़नार	10 प्रतिशत
वहन	15 प्रतिशत
कार्यलय उपकरण	15 प्रतिशत
कम्प्यूटर और कल पुर्जे	60 प्रतिशत
भवन	10 प्रतिशत

5 पूर्व अवधि समायोजन

संस्थान की लेखाकन प्रणाली में नकद आधार से प्राप्ति आधार पर परिवर्तन होने के कारण चालू वित्तीय वर्ष के प्राप्ति और भुगतान लेखा में 15,60,869 का अन्तर आया है गत वर्ष से संबंधित व्यय/आय को चालू वर्ष में लेखाओं के प्राकृतिक शीर्ष और प्रकृटन में लेखाओं पर टिप्पणियों के माध्यम से निर्धारित किया गया है।

6 सामान सूची

लेखन सामग्री विविध भण्डार मदों को शमिल करते हुए सामान सूची का मूल्यांकन इसकी लागत पर किया गया है

7 कर्मचारियों की भलाई

(क) संस्थान की सेवा शर्तों के अनुसार योग्य कर्मचारियों को देय सेवा निवृत्ति उपदान को भुगतान की व्यवस्था की गई है

(ख) भविष्य निधि अभिदाय को प्राप्ति के आधार पर हिसाब में लिया जाता है। इस मद में एकत्र की गई धन राशि को भविष्य निधि स्कीम 1952/भविष्य निधि ट्रस्ट लेखा में जमा करवाने के बजाय बैक के बचत खाते में जमा किया जाता है।

(ख) लेखाओं पर टिप्पणियां

1. लेखाकंन का आधार

वर्ष 2009–10 तक के वित्तिय वर्ष तक संस्थान के लेखे गैर–लाभ वाले संस्थान के रूप में तैयार किए जाते हैं और इन्हें नकद आधार पर तैयार किया जाता है। इन लेखाओं में भविष्य में प्राप्तियां और भुगतान जैसी कोई व्यवस्था नहीं है। मंत्राालय से प्राप्त की गई सभी अनुदान राशि और आंतरिक रूप से कमाई गई धनराशि जिस वर्ष में अर्जित की जाती है, उसी वर्ष के दौरान खर्च कर दी जाती है।

वर्ष 2010.11 के वित्तीय वर्ष से गैर लाभकारी संगठन की हैसियत से संस्थान के लेखे प्राप्ति के आधार पर तैयार किए जा रहे है और इसमें भविष्य में प्राप्त और भुगतान की जाने वाली धनराशि के उपबंध किए जाते हैं।

2 सहायता अनुदान

वित्त मंत्राालय के अधीन प्रायोजित शक्तियों के अनुसरण में भारत के राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत धनराशियां श्रम एवं रोजगार मंत्राालय, भारत सरकार से योजनागत और योजनेतर, दोनों रूपों में प्रत्येक वर्ष के लिए प्राप्त की जाती हैं। जिन उद्देश्यों के लिए धनराशियां प्राप्त की गई थीं, उन्हीं मदों पर खर्च किए जाने का उपभोग प्रमाण पत्र प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में श्रम मंत्राालय को भेज दिया जाता है।

3 पूंजी तथा राजस्व लेखा

साधारण वित्तीय नियमावली या भारत सरकार द्वारा विशेष रूप से जारी किए गए आदेशों के अनुसार पूंजीगत किस्म की मदों पर किए गए खर्च को राजस्व संबंधी खर्चों से बिल्कुल अलग रखा जाता है और प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में वित्तीय कथनों को तैयार करते समय साधारण वित्तीय नियमावली और जारी किए गए विशेष आदेशों को ध्यान में रखा जाता है।

4 विविध लेनदार देन कर

संस्थान अन्य संस्थानों, मंत्रालयों, विभागों आदि द्वारा प्रायोजित व्यावसायिक गतिविधियां करता है और उन अभिकरणों की ओर से व्यय करता है। ये अभिकरण संस्थान को या तो अग्रिम प्रदान करते है या खर्च करने के बाद धनराशि की प्रतिपूर्ति करते है। इस धन राशि की प्रतिपूर्ति करते है। इस धन राशि को आउट साइडर कार्यक्रम या अभिकरण शीर्ष के अन्तर्गत प्राप्ति और भुगतान लेखा में दिखाया गया है।

5 स्थायी परिसम्पत्तियां

30 सितम्बर से पहले खरीदी गई परिसम्पत्तियों पर पूरा मूल्य ह्रास प्रभारित किया जाता है जबकि 30 सितम्बर के पश्चात् खरीदी जाने वाली परिसम्पत्तियों पर मूल्यह्रास की दर को 50 प्रतिशत रखा गया है। स्थायी परिसमपत्तियों पर मूल्याह्रास की दर को 50 प्रतिशत रखा गया है। स्थायी परिसम्पत्तियों पर मूल्यह्रास उस महीने से जिससे उनका इजाफा होता है, लेकर उनकी बिक्री के महीने से आयकर अधिनियम 1961 की धारा 32(1) में निर्धारित दर के अनुसार सीधी रेखा के आधार पर प्रभारित किया जाता है। 10,000 रुपये मूल्य तक की परिसम्पत्तिया पर 100 प्रतिशत की दर से मूल्यह्रास प्रभारित किया जाता है।

संस्थान का भूखण्ड उत्तर प्रदेश सरकार को निःशुल्क दिया गया था। अतः इस जमीन की कीमत को स्थायी परिसम्पत्तियों में शून्य दिखाया जाता है।

6 सामान सूची उपभोग मदें तथा परिसम्पत्तियों का प्रत्यक्ष सत्यापन

वर्ष के दौरान खरीदी गई सभी मदों को उनकी खरीद वर्ष में ही प्रभारित किया जाता है। सामान सूची उपभाग मदों के संबंध में रखे जाने वाला स्टाफ रजिस्टर अधूरा है। परिसम्पत्तियो का प्रत्यक्ष सत्यापन वर्ष दर आधार पर किया जाता है और परिसम्पत्तियों का प्रत्यक्ष सत्यापन वर्ष दर आधार पर किया जाता है और परिसम्पत्तियों का सत्यापन की रिपोर्ट प्रबंधन से प्राप्त कर ली गई है।

7 परिवहन भत्ता

वित्तीय नियमावली और सेवा नियमावली भाग 2 के अनुसार संस्थान के सभी कर्मचारियों के लिए 1.9.2008 से संशोधित दरों + महगाई भत्ते पर छटे वेतन आयोग की सिफारिशों के बाद ए–1/ए क्लास तथा अन्य शहरों के अनुसार स्वीकार्य है।

8 सरकारी धनराशि का रुका होना

वित्तीय लेखाओं की जांच करने पर हमारे ध्यान में यह आया कि 1,77,49,182 की धनराशि का भुगतान वर्ष 1996–97 से 2009–10 के दौरान सिविल कार्य और इलैक्ट्रिकल कार्य के नवीकरण निर्माण कार्य के लिए पेशगी के रूप में नोएडा मण्डल के केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कार्यकारी मण्डल के केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कार्यकारी अभियंता को दिए गए है लेकिन इन धन राशि का उपभोग प्रमाण पत्र केन्द्रीय लोक विभाग से अभी तक प्राप्त नही हुआ है।

1996–97 और इसके बाद के वर्षो में दी गई पेशगी की वसूली समायोजना पर विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है।

9 अवधि पूर्व मदें

गत वर्षो से संबंधित व्यय आय को प्राकृतिक लेखा शीर्ष के अन्तर्गत चालू वर्ष में निर्धारित किया गया है।

10 लेखांकन कर

सोसाइटी के पंजीकरण की प्रक्रिया आय कर अधिनियम की धारा 12 एए के तहत आरम्भ नही की गई है। इसके अतिरिक्त इसकी आयकर विवरणी आयकर आयुक्त के पास नही भेजी जाती है।

सोसाइटी ने कर कटोती लेखा संख्या (टी ए एन) आय का अधिनियम, 1961 के अनुसार प्राप्त किया हुआ है और नियमों के अनुसार इ टीडीएस जमा किया जाता है।

11 अधिशेष को आगे ले जाना

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा अनुदान योजनागत और योजनेतर गतिविधियों के लिए स्वीकृत अनुदान का संचालन राष्ट्रीयकृत बैंक में चालू खाते के माध्यम से किया जाता है और सामान्यतः इस अनुदान को उसी वर्ष के दौरान खर्च कर लिया जाता है, जिसमें इसे स्वीकृत किया जाता है। यही कारण है कि संस्थान के पास ऐसी कोई फालतू धनराशि नहीं होती, जिसे अगले वर्ष ले जाया जा सके।

12 आकस्मिक देयताएं

संस्थान स्रोत पर कर कटौती के विभिन्न उपबंधों के अधीन ब्याज तथा शस्ति के रूप में 2,50,082 रुपये की आकस्मिक धनराशि को देन दार है। यह मामला सी आई टी (अपील) गाजियाबाद के समक्ष लंबित है।

13. पिछले वर्ष के आंकड़ों को जहां भी आवश्यक समझा गया है, पुनर्गठित या पुनर्समूहित किया गया।

वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान श्रम एवं इससे संबंधित मुद्दों पर अनुसंधान, प्रशिक्षण, शिक्षा, प्रकाशन और परामर्श का अग्रणी संस्थान है। इस संस्थान की स्थापना 1974 में की गई थी और यह श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार का एक स्वायत्त निकाय है। यह संस्थान विकास की कार्यसूची में श्रम और श्रम संबंधों को निम्नलिखित के द्वारा मुख्य स्थान देने के लिए समर्पित है:

- कार्य की दुनिया में हो रहे रूपांतरणों पर आवश्यक कार्रवाई करने
- श्रम और रोजगार से संबंधित मुख्य सामजिक भागीदारों एवं पणधारियों के बीच जानकारी, कौशल और रवैये का प्रचार और प्रसार करने
- विश्वस्तरीय अनुसंधान अध्ययनों और प्रशिक्षण हस्तक्षेपों को अपने हाथ में लेने
- वैश्विक रूप से आदर प्राप्त संस्थानों के साथ समझदारी और सहभागिता विकसित करने

वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान

सेक्टर–24, नोएडा–201301

उत्तर प्रदेश (भारत)

वेबसाइट : www.vvgnli.org